

729
**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 203 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAM MILAN

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

<u>S. NO.</u>	<u>PARTICULARS</u>	<u>PAGE NO.</u>
1.	Short Reply/Response of Director, Directorate of Geology & Mining Government of Uttar Pradesh in compliance of order dated 27.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.	1-4
2.	Annexure R-1- A copy office letter bearing reference numbers 540/M.-N.G.T.-Vad/2025 dated 13.06.2025.	5
3.	Annexure R-2- A copy of the Inspection Committee undertook a site inspection on 01.07.2025.	6-18
4.	Annexure R-3- A copy of vide their office letters dated 15.07.2025, 11.07.2025, 11.07.2025 and 15.07.2025	19-152
5.	Annexure R-4- A copy of the Government order dated 29.11.2023	153-155

Dated: 14.08.2025

Ankit Verma

FILED BY:

**(ANKIT VERMA)
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST
NEW DELHI -110013.
MOB :- 09990804440 ankit.scngtup@gmail.com**

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 203 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAM MILAN



.... APPLICANT



VERSUS

...RESPONDENTS

STATE OF U.P. & ORS.




SHORT REPLY/RESPONSE AFFIDAVIT OF DIRECTOR, DIRECTORATE OF GEOLOGY & MINING DEPARTMENT GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 27.05.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No. 2 herein states as under: -

MOST RESPECTFULLY SHOWETH: -

I, Mala Srivastava aged about 44 years, posted as Director, Directorate of Geology and Mining Department, Government of Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state on oath as under:



1. That I am the above-mentioned answering Respondent No. 2 and is duly competent to file the present short reply/response. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this short reply/response.

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present short reply/response. The averments made in the Original Application, which are specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.

AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi, Lucknow

13/08/25

3. That the contents of the present short reply/response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed there from.
4. That this Hon'ble Tribunal, vide its order dated 27.05.2025 was pleased to issue the following directions: -

".....4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest & Climate Change Department; (2) Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, (3) Central Pollution Control Board through its Member Secretary, (4) Uttar Pradesh Pollution Control Board, through its Member Secretary; (5) District Magistrate, Jhansi; (6) District Magistrate, Jalaun; (7) District Magistrate, Hamirpur and (8) District Magistrate, Banda who are impleaded as respondents no. 1 to 8. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 8 requiring them to file their reply/response within two months.

5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board(CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board(UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two Months



AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
VIII. Devi Ganj, Adampur
Adampur Janubi, Luck

13/08/25

5. That the present reply is being filed in respectful compliance of the order dated 27.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.
6. That in compliance with the order dated 27.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, the deponent herein issued office letter bearing reference numbers 540/M.-N.G.T.-Vad/2025 dated 13.06.2025 to the District Magistrates of Banda, Jhansi, Hamirpur, and Jalaun, respectively, directing them to ensure immediate and effective implementation of the said order. A copy of office letter bearing reference numbers 540/M.-N.G.T.-Vad/2025 dated 13.06.2025 is being marked and annexed as **Annexure R-1**.
7. That subsequently the Joint Inspection Committee undertook a site inspection on 01.07.2025 in the presence of the complainant. That during the said inspection, covering the village Beri khand No. 10/06, village Chandaut khand no. 21/1, village Ichhaura Jitkari khand No. 25/17, village Ichhaura Jitkari khand No. 25/18 and village Ichhaura Jitkari khand No. 25/21 mining areas in District Hamirpur as well as adjoining regions in District Banda, it was observed and duly recorded in the complainant's submission that owing to continuous rainfall during the preceding week, the mining sites were submerged under water, with active water streams flowing across them. As a result, no mining pits or signs of use of machines for mining were visible, and the approach roads to the sites were rendered inaccessible due to water logging. True copy of the Inspection Committee undertook a site inspection on 01.07.2025 is being marked and annexed as **Annexure R-2**.
8. That the District Magistrates of District Jhansi, Jalaun, Hamirpur and Banda vide their office letters dated 15.07.2025, 11.07.2025, 11.07.2025 and 15.07.2025 have informed the deponent about the mining activities within their respective Districts and actions taken. True copy of vide their office letters dated 15.07.2025, 11.07.2025, 11.07.2025 and 15.07.2025 is being marked and annexed collectively file as **Annexure R-3**.
9. That, vide Government Order No. 1/435766/2023 dated 29.11.2023 District Level Task Force has been constituted in every district comprising officers from Revenue Department, Forest Department, Police Department, Transport Department and Mining Department to check illegal mining and



AMBRISH KUMAR
 ADVOCATE & NOTARY
 9, No. 31, Adampur Janubi, Lucknow
 13/07/25

transportation. True copy of the Government order dated 29.11.2023 is being marked and annexed as Annexure R-4.

10. That in light of the aforesaid facts and circumstances, it is most respectfully prayed before this Hon'ble Tribunal, that the deponent is filing the instant reply/response.

[Handwritten Signature]
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at ...9:30 P.M., on ...13/08/25 that the contents of the paras 1 to of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed there from.

[Handwritten Signature]
DEPONENT



[Handwritten Signature]
AMBRESH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur, Jantuni, Luck
13/08/25

know and testify the deponent
who has signed at T.L. &

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी / जालौन /
हमीरपुर / बांदा।

संख्या: 540/एम०-एन०जी०टी०-वाद/2025

दिनांक: 13 जून, 2025

विषय:—माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-203/2025
राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को सम्बोधित अनुभाग अधिकारी, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के नोटिस पत्र दिनांक 06.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत मामले में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में दो माह में प्रतिवादी संख्या-1 से 8 की ओर से Reply/Response दाखिल किए जाने के निर्देश दिए गये हैं। विषयगत प्रकरण में सुनवाई की तिथि 16.07.2025 नियत है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के संगत प्रभावी अंश निम्नवत् है:—

"...4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest & Climate Change Department; (2) Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, (3) Central Pollution Control Board through its Member Secretary, (4) Uttar Pradesh Pollution Control Board, through its Member Secretary; (5) District Magistrate, Jhansi; (6) District Magistrate, Jalaun; (7) District Magistrate, Hamirpur and (8) District Magistrate, Banda who are impleaded as respondents no. 1 to 8. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 8 requiring them to file their reply/response within two months."

अतः कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन करते हुए प्रकरण में Reply/Response दाखिल किए जाने के सम्बन्ध में प्रकरण से सम्बन्धित सुस्पष्ट आख्या एवं ओ०ए० की प्रति सहित संगत अभिलेख निदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि। ई-मेल के माध्यम से।

भवदीया,

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

संख्या: / /एम०-एन०जी०टी०-वाद/2025

दिनांक।

प्रतिलिपि:—संबन्धित जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की समयान्तर्गत उक्तानुसार अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 निम्नवत है :-

.....“5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months.

7. List on 16.07.2025 for further consideration.”.....

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर-203/2025 राम मिलन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 27.06.2025 को विडियों कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया था कि निरीक्षण शिकायतकर्ता के उपस्थिति में किया जाना उचित होगा। तत्पश्चात दिनांक 01.07.2025 निरीक्षण की तिथि निर्धारित की गयी।

उपरोक्त माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 27.05.2025 के कम में गठित समिति के नामित अधिकारी 1. श्री संदीप रॉय, वैज्ञानिक “घ”, क्षेत्रीय निदेशालय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ 2. श्री अशीष चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी, भू-वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, झॉंसी 3. श्री विकास सिंह परमार, खान अधिकारी, जनपद-हमीरपुर 4. श्री राज रंजन, खान अधिकारी, जनपद-बॉंदा 5. श्री इमरान अली, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, झॉंसी 6. डॉ0 माधवी कमलवंशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉंदा (नोडल) द्वारा दिनांक 01.07.2025 को खनिज विभाग, हमीरपुर कार्यालय में शिकायतकर्ता श्री राम मिलन के साथ बैठक एवं उनकी उपस्थिति में खनन पट्टों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, मौके पर श्री राम मिलन द्वारा अपना लिखित रूप से बयान प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नवत् उल्लेख किया गया है:-

“माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर-203/2025 राम मिलन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त जाँच समिति द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 27.05.2025 में उल्लिखित खनन क्षेत्रों जनपद-हमीरपुर व जनपद-बॉंदा की जाँच शिकायतकर्ता श्री राम मिलन पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार द्विवेदी, निवासी- ग्राम + पोस्ट मुस्करा, थाना-मुस्करा, तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर की उपस्थिति में किया गया, जाँच के समय पाया गया कि पिछले एक सप्ताह से बरसात हो जाने के कारण उल्लिखित क्षेत्र जलमगन हो गये है तथा क्षेत्रों में जलधारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण कोई भी खनन गढ़वा परिलक्षित नहीं हो रहा है ओर न ही किसी प्रकार की मशीनों से खनन ही हो रहा है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि लगभग एक सप्ताह से बारिस ज्यादा हो जाने के कारण खनन क्षेत्र तक पहुचने वाले रास्ते भी जलमगन हो गये है। साथ ही साथ शिकायतकर्ता श्री राम मिलन द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में अगर भारी पोकलेन मशीन या अन्य अनियमितता की जाती है तो सम्बन्धित विभाग व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सूचित करेंगे।

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये शिकायत के कम में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 01.07.2025 को वार्ता/पूछताछ मे मेरे द्वारा यह कथन बिना दबाव के स्वच्छ मन से दे रहा हूँ।

(2)

1. जनपद-जालौन तथा जनपद-झाँसी के खनन पट्टो तथा जनपद-जालौन व झाँसी के खनन विभाग से मुझे कोई शिकायत नहीं है।
2. जनपद-हमीरपुर के खनन क्षेत्र बेरी खण्ड संख्या-10/6, ग्राम-चण्डौत खण्ड संख्या-21/1 एवं ग्राम-इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/17, 25/18 एवं 25/21 में मुझे पोकलेन मशीन चलने तथा उत्पन्न गढ़बो की शिकायत है।
3. उक्त के अतिरिक्त मुझे कोई शिकायत नहीं है। (साक्ष्य संलग्न)
निरीक्षण के समय के फोटोग्राफ्स निम्नवत् है:-



जनपद-हमीरपुर में आच्छादित खनन क्षेत्रों की आख्या निम्नवत् है:-

1. मैसर्स कॉवर इण्टर प्राइजेज प्रा0लि0, खण्ड नं0-10/06, ग्राम-बेरी तहसील व जनपद-हमीरपुर।
 - मैसर्स कॉवर इण्टर प्राइजेज प्रा0लि0, खण्ड नं0-10/06, ग्राम-बेरी तहसील व जनपद-हमीरपुर को एम0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC23B001UP191792 दिनांक 02.11.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 196097/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2023 दिनांक 23.11.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 23.11.2023 से 31.12.2027 तक है।
 - यह कि खनन विभाग, जनपद-हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6- यह कि खनन पट्टा मे0 कॅवर इण्टर प्राइजेज प्रा0लि0 निदेशक श्री कॅवर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी-डी-19 सेक्टर-40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 व शिवानी सिंह पुत्री श्री अनिल कुमार सिंह पता-हाउस नं0-208 गली नं0-13 लिबर्टी शोरुम के पास भीकम कालौनी, बल्लबगढ़ फरीदाबाद हरियाणा के पक्ष में तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी खण्ड संख्या-10/6 रकबा-36.437 हे0 क्षेत्र पर बालू/मौरम खनन हेतु वार्षिक मात्रा-5,82,912 घन मीटर हेतु दिनांक-09.11.2023 से 08.11.2028 तक की अवधि के लिये स्वीकृत था। खान अधिकारी हमीरपुर द्वारा खनन क्षेत्र की जांच दिनांक-24.06.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1238.3 घन मीटर बालू/मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-551/खनिज-एम0एम0सी- तीस-विविध (2023-24) दिनांक-05.07.2024 निर्गत करते हुये अर्थदण्ड रु0-11,14,470/-आरोपित किया गया। पट्टाधारक द्वारा

Handwritten signature

(3)

उक्त धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या-233/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-23.07.2024 द्वारा अवैध खनन किये जाने के कारण अर्धदण्ड अधिरोपित किया गया है। तहसीलदार हमीरपुर, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-23.12.2024 को जांच की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-1418/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2023-24) दिनांक-26.12.2024 द्वारा अर्धदण्ड रु0-5,00,000/- आरोपित किया गया। उक्त क्षेत्र की पुनः जांच उपजिलाधिकारी हमीरपुर, क्षेत्राधिकारी हमीरपुर एवं खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-27.02.2025 को की गयी जिसमें पट्टाधारक द्वारा 663 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-1816/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-10.03.2025 द्वारा अर्धदण्ड रु0-5,96,700/-आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि खनन क्षेत्र में लगे वे-ब्रिज के माध्यम से दिनांक-09.11.2025 से 05.04.2025 तक निकासी किये गये उपखनिज के अवैध परिवहन किये जाने के कारण 356 वाहनों पर कुल रु0-1,52,74,484/- धनराशि आरोपित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र को इस कार्यालय के आदेश संख्या-141/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-24.04.2025 द्वारा खनन पट्टा निरस्त करते हुये देय बकाया धनराशि ससमय जमा करने हेतु तथा ससमय न जमा किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भोंति वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. मैसर्स ओम प्रकाश राम औतार, खण्ड नं0-21/1, ग्राम-चण्डौत, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर

- मैसर्स ओम प्रकाश राम औतार, खण्ड नं0-21/1, ग्राम-चण्डौत, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC23B001UP115799 दिनांक 23.11.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 195179/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2023 दिनांक 29.11.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 29.11.2023 से 31.12.2027 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम चण्डौत खण्ड संख्या 21/1- यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 ओम प्रकाश राम अवतार प्रो0 श्रीमती रेनु गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ0प0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 रकबा-16.00 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 2,40,000 घन मीटर खनन हेतु दिनांक- 09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत खनन क्षेत्र की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, तहसीलदार सरीला जनपद हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-19.03.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 6425 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-39/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2023-24) दिनांक-04.04.2024 द्वारा अर्धदण्ड रु0-58,32,500/- आरोपित किया गया है। तत्पश्चात बकाया धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या-623/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-20.07.2024 द्वारा अधिरोपित करते हुये धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक-15.06.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1350 घन मीटर का अवैध खनन पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-381/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-22.06.2024 द्वारा अर्धदण्ड रु0-12,15,000/-आरोपित किया गया है। तत्पश्चात बकाया धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या-230/खनिज-एम0एम0सी- तीस-विविध (2024-25) दिनांक-23.07.2024 द्वारा अधिरोपित करते हुये धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, नायब तहसीलदार सरीला, चौकी प्रभारी चण्डौत, लेखपाल चण्डौत डाडा द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-18.11.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 5169.6 घन मीटर का अवैध खनन किया गया तथा खनन क्षेत्र में सी0सी0सी0टी0 कैमरा नही लगाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-1226/खनिज-एम0एम0सी- तीस-विविध (2024-25) दिनांक-26.11.2024 द्वारा अर्धदण्ड रु0-51,02,640/-आरोपित किया गया।



(4)

तत्पश्चात् पट्टाधारक द्वारा बकाया धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या-1459/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-30.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 505 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-189/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-07.05.2025 द्वारा रु0-4,54,500/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। उक्त क्षेत्र की पुनः जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल चण्डौत द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-27.04.2025 की गयी, जिसमें पट्टाधारक द्वारा कुल 1900 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-236/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-15.05.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0-17,10,000/-आरोपित किया गया है।

- उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक संख्या-एच18723/सी-2/सा0-668/24 दिनांक 16.10.2024 द्वारा रु0-1,04,96,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

3. मै0 रेवा शुगर इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, खण्ड नं0-25/17, ग्राम-इछौरा, जितकरी, तहसील सरीला जनपद-हमीरपुर।

- यह कि खनन विभाग, जनपद-हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इछौरा जितकरी खण्ड संख्या 25/17- यह कि उक्त खनन पट्टा मै0 रेवा शुगर इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 निदेशक रसमीत सिंह मल्होत्रा पुत्र श्री अजीत सिंह मल्होत्रा पता-पोस्ट व तहसील पिपरिया नेहरुवाड नं0-13 अल्का टाकीज के पास पिपरिया हीशंगाबाद म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/17 रकबा-12.145 हे0 वार्षिक आकलित मात्रा-1,94,296 घन मीटर हेतु कार्यालय के पत्र संख्या-1737/खनिज-एम0एम0सी- तीस-विविध (2022-23) दिनांक-21.02.2023 द्वारा आशय पत्र (LOI) निर्गत किया गया है। उक्त खनन पट्टा वर्तमान समय में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया में है।
- उक्त खनन पट्टे को कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में सहमति जल/वायु निर्गत नहीं है।

4. मैसर्स यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0, खण्ड नं0-25/18, ग्राम-इछौरा, जितकरी, तहसील सरीला जनपद-हमीरपुर।

- मैसर्स यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0, खण्ड नं0-25/18, ग्राम-इछौरा, जितकरी, तहसील सरीला जनपद-हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP110127 दिनांक 14.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 205700/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2024 दिनांक 22.03.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 22.03.2024 से 31.12.2028 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इछौरा जितकरी खण्ड संख्या 25/18- यह कि उक्त खनन पट्टा मै0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 निदेशक चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया निवासी-9ए पैरामाउण्ट विला श्यामला हिल्स नियर, रीजनल कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/18 रकबा-8.180 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 1,30,864 घन मीटर खनन हेतु दिनांक-16.03.2024 से 15.03.2029 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक हमीरपुर, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा 15.06.2024 संयुक्त रूप से की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1820 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-382/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-22.06.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0-16,38,000/- आरोपित किया गया है। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक

W. K.

(5)

चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-12.12.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक 10500 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-1348/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-12.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0-94,50,000/-आरोपित किया गया है। तत्पश्चात् आदेश संख्या-1557/ खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-22.01.2025 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। खनन क्षेत्र की जांच उपजिलाधिकारी सरीला, क्षेत्राधिकारी सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-11.02.2025 को की गयी जांच में पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्दर खनन कार्य करते हुये पाया गया। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 650 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-196/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-07.05.2025 द्वारा रु0-5,85,000/-अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

5. मैसर्स डिजियाना इण्डस्ट्रीज, खण्ड नं0-25/21, ग्राम-इछौरा जितकरी, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।

- मैसर्स डिजियाना इण्डस्ट्रीज, खण्ड नं0-25/21, ग्राम-इछौरा जितकरी, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP180555 दिनांक 14.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 206013/UppCB/Banda(UppCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2024 दिनांक 22.04.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 22.04.2024 से 31.12.2025 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इछौरा जितकरी खण्ड संख्या 25/21- यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी-233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 मॅवरकुंआ इन्दौर जी0पी0 म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 रकबा-17.731 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 2,83,661 घन मीटर खनन हेतु दिनांक-11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत खनन क्षेत्र की जांच अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), हमीरपुर, उपजिलाधिकारी सरीला, खान अधिकारी हमीरपुर, क्षेत्रीय वनाधिकारी सरीला द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-22.11.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा न लगाये जाने के कारण 12 दिन की शास्ति रु0-3,00,000/-आरोपित की गयी है। तत्पश्चात् पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या-1458/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-30.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-12.12.2024 को की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-15.01.2025 को की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, उपनिरीक्षक थाना चिकासी, राजस्व निरीक्षक सरीला एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-30.01.2025 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1125 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-1732/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 27.01.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0-15,12,500/- आरोपित किया गया है। तत्पश्चात् पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या-1923/खनिज- एम0एम0सी-तीस- विविध (2024-25) दिनांक-28.03.2025 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। उपजिलाधिकारी सरीला, क्षेत्राधिकारी सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-06.03.2025 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। नदी की जलधारा में खनन कार्य होना नहीं पाया गया। खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा क्षेत्र की जांच दिनांक-19.04.2025 को की गयी।

Wala

(6)

जांच में 06 Suction Pump Machine/Lifter द्वारा बालू/मोरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये जाने पर उक्त मशीनों को सम्बन्धित थानों की सुपुर्दगी में देते हुये पत्र संख्या-101/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-19.04.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0-30,00,000/- आरोपित किया गया है। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या-276/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-28.05.2025 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 300 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-197/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-07.05.2025 द्वारा रु0-2,70,000/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

जनपद-बौदा में आच्छादित खनन क्षेत्रों की आख्या निम्नवत् है:-

1. मैसर्स ओम ट्रेडर्स, गाटा नं0-1971/1, ग्राम-गंछा, तहसील व जनपद-बौदा।

- मैसर्स ओम ट्रेडर्स, गाटा नं0-1971/1, ग्राम-गंछा, तहसील व जनपद-बौदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B0107UP5134183N दिनांक 08.10.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 223566/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 21.10.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 21.10.2024 से 31.12.2025 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-बौदा से प्राप्त सूचना के अनुसार मे0 ओम ट्रेडर्स प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामआसरे तिवारी निवासी ग्राम-मेथीटिकुर, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव के पक्ष में जनपद बौदा की तहसील बौदा स्थित ग्राम-गंछा के गाटा सं0-1971/1 रकबा 24.71 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 28.10.2024 से 27.04.2025 तक स्वीकृत था, जिसकी अवधि दिनांक 27.04.2025 को समाप्त हो चुकी है।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 3503 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-3946/खनिज-30 बांदा दिनांक 23.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रु0 31,52,700/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रु0 31,52,700/- चालान नं0-AKV240025816 दिनांक 24.11.2024 व चालान नं0-AKV240025815 दिनांक 24.11.2024 द्वारा जमा किया गया।

2. मैसर्स मयूर बॉक्सार्ईट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0-72/47 का भाग एवं 74/01 का भाग (खण्ड नं0-3), ग्राम-पथरी, तहसील व जनपद-बौदा।

- मैसर्स मयूर बॉक्सार्ईट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0-72/47 का भाग एवं 74/01 का भाग (खण्ड नं0-3), ग्राम-पथरी, तहसील व जनपद-बौदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP191707 दिनांक 06.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 204966/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 14.03.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 14.03.2024 से 31.12.2028 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-बौदा से प्राप्त सूचना के अनुसार मयूर बॉक्सार्ईट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी पता-6 फ्लोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5, साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल) हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड, कुदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर निवासी-वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,

Wish

(7)

आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं०-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं०-03) कुल रकबा 19.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 3373 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3430/खनिज-30 बाँदा दिनांक 19.10.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 30,35,700/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 30,35,700/- चालान नं०-AKV240022184 दिनांक 19.10.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2166.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3985/खनिज-30 बाँदा दिनांक 26.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 19,49,850/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 19,49,850/- चालान नं०-AKV240026036 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 05.02.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 6854.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-4755/खनिज-30 बाँदा दिनांक 07.02.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 61,69,050/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 19.03.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं०-170/खनिज-30 बाँदा दिनांक 07.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 61,69,050/- विभिन्न चालान नं०-AKV250012310 दिनांक 24.04.2025 रू० 10,00,000/-, चालान नं०-AKV250013729 दिनांक 08.05.2025 रू० 25,00,000/- व चालान नं०-AKV250013760 दिनांक 08.05.2025 रू० 26,69,050/- द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 10.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 36518.75 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-5202/खनिज-30 बाँदा दिनांक 18.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 3,28,66,875/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 20.03.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं०-299/खनिज-30 बाँदा दिनांक 17.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया। पट्टाधारक द्वारा नोटिस दिनांक 18.03.2025 व स्पष्टीकरण निरस्तीकरण पत्र दिनांक 17.04.2025 के विरुद्ध मा० न्यायालय, आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा के अपील सं०-742/2025 योजित की गयी, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 03.05.2025 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

Wille

(8)

“पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलकर्ता द्वारा समय के अन्दर प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः न्यायहित में अपील पंजीकृत की जाती है। स्थगन के संबंध में अपीलकर्ता के कथनों में बल प्रतीत होता है। ऐसी दशा में अग्रिम नियत तिथि तक के लिए जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 18.03.2025 / 17.04.2025 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है। गुणदोष पर निस्तारण हेतु अवर कार्यालय की पत्रावली एवं प्रस्तरवार आख्या तलब की जाये। पत्रावली दिनांक 12.06.2025 को पेश हो।”

उपरोक्त आदेश के क्रम में कार्यालय पत्र सं०-1011/खनिज-30 बांदा दिनांक 24.05.2025 द्वारा पत्रावली व प्रस्तरवार आख्या प्रेषित की गयी। पट्टाधारक द्वारा अवैध खनन की कुल धनराशि रू० 3,28,66,875/- से से आंशिक धनराशि रू० 50,00,000/- विभिन्न चालानों के माध्यम से जमा किया गया है।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.05.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 43696 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-667/खनिज-30 बांदा दिनांक 06.05.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 3,93,26,400/- से अवगत कराया गया।

3. मैसर्स डेस्कान बिल्डटेक प्रा०लि०, गाटा नं०-333/7, खण्ड नं०-5, ग्राम-मरौली खादर, तहसील व जनपद-बॉदा।

- मैसर्स डेस्कान बिल्डटेक प्रा०लि०, गाटा नं०-333/7, खण्ड नं०-5, ग्राम-मरौली खादर, तहसील व जनपद-बॉदा को एस०ई०आई०ए०के० के पत्रांक EC23B001UP162818 दिनांक 18.04.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 179001/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2023 दिनांक 21.04.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 21.04.2023 से 31.12.2027 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-बॉदा से प्राप्त सूचना के अनुसार डेस्कान बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी-128/189, के० ब्लाक, किदवई नगर, जिला कानपुर नगर के पक्ष में जनपद बांदा की तहसील बांदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-05) कुल रकबा 23.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 16.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1703 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 4207 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3378/खनिज-30 बांदा दिनांक 16.10.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 54,19,000/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 54,19,000/- को चालान नं०-AKV240021828 दिनांक 16.10.2024 रू० 25,00,000/- व चालान नं०-AKV240022391 दिनांक 22.10.2024 रू० 29,19,000/- द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 14.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2991.75 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के

Handwritten signature

(9)

नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-3986/खनिज-30 बांदा दिनांक 26.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 26,92,575/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 29,92,575/- को चालान नं0-AKV240026050 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 4371.20 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-4470/खनिज-30 बांदा दिनांक 04.01.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 39,34,080/- से अवगत कराया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 11.02.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1150 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-4852/खनिज-30 बांदा दिनांक 17.02.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 10,35,000/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 10,35,000/- को चालान नं0-AKV250015095 दिनांक 22.05.2025 द्वारा जमा किया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.04.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 24203.75 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-183/खनिज-30 बांदा दिनांक 08.04.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 2,17,83,375/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 05.5.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं0-1310/खनिज-30 बांदा दिनांक 13.06.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 7217 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में पट्टाधारक को नोटिस निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।
4. मैसर्स प्रज्ञाविजन बिजिनेस प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0-58, 107, 108, 109, 110, 111, 114, ग्राम-मडौली खुर्द खादर, तहसील-पैलानी, जनपद-बॉदा।
- मैसर्स प्रज्ञाविजन बिजिनेस प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0-58, 107, 108, 109, 110, 111, 114, ग्राम-मडौली खुर्द खादर, तहसील-पैलानी, जनपद-बॉदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B0107UP5972290N दिनांक 15.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 205059/U PPCB/Banda(U PPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 15.03.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 15.03.2024 से 31.12.2025 तक है।

V. S. S.

(10)

- यह कि खनन विभाग, जनपद-बौदा से प्राप्त सूचना के अनुसार मे० प्रजाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा०लि० निवासी-94 एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह पुत्र श्री यदुवंशी अशोक कुमार सिंह निवासी म०न०-72 साई नगर फेस-2 सिंहपुर, थाना सारनाथ, तहसील सदर, जिला वाराणसी के पक्ष में जनपद बौदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-मझौलीखुर्द खादर के गाटा सं०-58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 22.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1651.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1363.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3948/खनिज-30 बांदा दिनांक 23.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 27,13,500/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 27,13,500/- चालान नं०-AKV240025886 दिनांक 25.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 08.01.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 5624.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-4569/खनिज-30 बांदा दिनांक 16.01.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 50,62,050/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 23.01.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं०-1323/खनिज-30 बांदा दिनांक 13.06.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 17298.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-5238/खनिज-30 बांदा दिनांक 21.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 1,55,68,650/- से अवगत कराया गया।
5. मैसर्स श्री प्रशांत कुमार गुप्ता, गाटा नं०-पार्ट ऑफ 333/7, खण्ड नं०-01, ग्राम-मरौली खादर, जनपद-बौदा।
- मैसर्स श्री प्रशांत कुमार गुप्ता, गाटा नं०-पार्ट ऑफ 333/7, खण्ड नं०-01, ग्राम-मरौली खादर, जनपद-बौदा को एस०ई०आई०ए०ए० के पत्रांक EC24B001UP141265 दिनांक 29.04.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 209807/UppCB/Banda(UppCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 13.05.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 13.05.2024 से 31.12.2025 तक है।
 - यह कि खनन विभाग, जनपद-बौदा से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास, गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा के पक्ष में जनपद बौदा की तहसील बौदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-01) कुल रकबा 17.2802 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।



(11)

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1403 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-3431/खनिज-30 बांदा दिनांक 19.10.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 12,62,700/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 12,62,700/- चालान नं0-AKV240022185 दिनांक 19.10.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 24.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2332 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-3984/खनिज-30 बांदा दिनांक 26.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 20,98,800/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 20,98,800/- चालान नं0-AKV240026063 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1471 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 2003 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-4454/खनिज-30 बांदा दिनांक 04.01.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 31,26,600/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 31,26,600/- को चालान नं0-AKV250000702 दिनांक 08.01.2025 रू0 15,00,000/- व चालान नं0-AKV250001039 दिनांक 11.01.2025 रू0 16,26,600/- द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19.05.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1219.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-964/खनिज-30 बांदा दिनांक 22.05.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 10,97,500/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 10,97,500/- चालान नं0-AKV250015906 दिनांक 30.05.2025 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1804.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में पट्टाधारक को नोटिस निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

6. मैसर्स शुद्धतम इण्टरप्राइजेज, गाटा सं0-62 व 63/1, ग्राम-खपटिहाकलां, तहसील पैलानी, जनपद बाँदा ।

- Suddhatam Enterprises प्रो0 श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-खपटिहाकलां के

(12)

गाटा सं०-62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत था, जिसकी अवधि दिनांक 11.05.2025 को समाप्त हो चुकी है।

- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 21.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 1101.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3947/खनिज-30 बांदा दिनांक 23.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 9,91,350/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 9,91,350/- चालान नं०-AKV240025804 दिनांक 24.11.2024 व चालान नं०-AKV240025897 दिनांक 25.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 3619.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 731 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-4382/खनिज-30 बांदा दिनांक 30.12.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 39,65,450/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 39,65,450/- चालान नं०-AKV240029987 दिनांक 31.12.2024, चालान नं०-AKV240029984 दिनांक 31.12.2024 व चालान नं०-AKV240029990 दिनांक 31.12.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 20.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर 2078 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-5240/खनिज-30 बांदा दिनांक 21.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 18,70,200/- से अवगत कराया गया।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 29.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर 2875.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-28/खनिज-30 बांदा दिनांक 02.04.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 25,87,950/- से अवगत कराया गया।
- उक्त खनन पट्टे को कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में सहमति जल/वायु निर्गत नहीं है।


संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण के उपरान्त दिये गये सुझाव एवं उपचारात्मक कार्यवाही निम्नवत् है:-

1. खनन क्षेत्र में स्थापित प्रत्येक खनन पट्टों में खनन विभाग द्वारा जारी जियो को-आर्डिनेट के अनुसार पिलर की स्थापना किया जाये, साथ ही प्रत्येक पट्टाधारक के पास के०एम०एल० फाईल उपलब्ध हो, जिससे की खनन के दौरान अपने क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने की सम्भावना नगण्य हो।

W. K.

(13)

2. वाहनों के आवागमन से उड़ने वाली धूल के नियन्त्रण हेतु टैंकर से जल का छिड़काव किया जाये एवं मौरम को गीला कर तिरपाल से ढक कर आवागमन हेतु प्रयोग किया जाये तथा उक्त के सम्बन्ध में लॉग बुक मेन्टेन की जाये।
3. जनपद-हमीरपुर एवं बौदा में पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सहमति जल/वायु में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सघन वृक्षारोपण किया जाये, जिसकी प्रगति आख्या एवं विवरण सम्बन्धित विभागों को फोटोग्राफस सहित प्रेषित किया जाये।
4. सी0ई0आर0 के मद में आवंटित धनराशि को पर्यावरणीय स्वीकृति में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही खर्च किया जाये।
5. जल धारा को अवरोधित किये बिना स्वीकृत खनन क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायें।
6. खनन क्षेत्र में अस्थाई (Bio-Toilet) को स्थापित कर प्रयोग किया जायें।
7. खनन क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु कलर कोड के अनुसार डस्ट बिन स्थापित कर प्रयोग किया जाये एवं सम्बन्धित स्थानीय निकाय के माध्यम से अपशिष्ट का निस्तारण किया जाये।
8. जनपद में संचालित खनन पट्टों की जांच समय-समय पर अथवा माह में कम से कम एक निरीक्षण अवश्य रूप से कर ली जाए।




डॉ० माधवी कमलवंशी,
क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बौदा



इमरान अली,
क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, झाँसी



राज रंजन,
खान अधिकारी,
जनपद-बौदा



राम पदारथ सिंह,
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
जनपद-झाँसी



जी०के० दत्ता,
खान अधिकारी,
जनपद-जालौन



विकास सिंह परमार,
खान अधिकारी,
जनपद-हमीरपुर



अशीष चौधरी,
क्षेत्रीय अधिकारी,
भू-वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
झाँसी



संदीप रॉय,
वैज्ञानिक "घ",
क्षेत्रीय निदेशालय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक)
झाँसी।

सेवा में,

निदेशक
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उ०प्र०-लखनऊ।

पत्रांक: 303/30एम०एम०सी०/2025-26

दिनांक: 15/07/2025

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में योजित (ओ०ए०) 203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में जिलाधिकारी की ओर से Reply/Response दाखिल कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया अपने पत्र संख्या-540/एम०-एन०जी०टी०-वाद/2025 दिनांक 13.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में योजित (ओ०ए०) 203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 27.05.2025 किया गया है, जिसके बिन्दु संख्या-04 में उल्लेख किया गया है कि:-

"In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest & Climate Change Department; (2) Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, (3) Central Pollution Control Board through its Member Secretary, (4) Uttar Pradesh Pollution Control Board, through its Member Secretary; (5) District Magistrate, Jhansi; (6) District Magistrate, Jalaun; (7) District Magistrate, Hamirpur and (8) District Magistrate, Banda who are impleaded as respondents no. 1 to 8. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 8 requiring them to file their reply/response within two months."

उक्त आदेश के क्रम में निर्देश दिया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक: 27.05.2025 के अनुपालन में स्पष्ट अनुपालन आख्या एवं ओ०ए० की प्रति सहित संगत अभिलेख निदेशालय में प्रस्तुत करें।

अतः उक्त आदेश के अनुपालन करते हुए Reply/Response दाखिल किये जाने हेतु अनुदेश तैयार कर एवं ओ०ए० की प्रति सहित संगत अभिलेख इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- यथोक्त।


15/07/25
अपर
जिलाधिकारी(न्यायिक).
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक: 237/30एम0एम0सी0/2025-26

दिनांक: 11/07/2025

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में योजित (ओ0ए0) 203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में जिलाधिकारी की ओर से Reply/Response दाखिल कराने के सम्बन्ध में।

श्री आर0 पी0 सिंह
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
झाँसी।

कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में योजित (ओ0ए0) 203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 27.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके बिन्दु संख्या-04 में उल्लेख किया गया है कि:-

"In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest & Climate Change Department; (2) Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, (3) Central Pollution Control Board through its Member Secretary, (4) Uttar Pradesh Pollution Control Board, through its Member Secretary; (5) District Magistrate, Jhansi; (6) District Magistrate, Jalaun; (7) District Magistrate, Hamirpur and (8) District Magistrate, Banda who are impleaded as respondents no. 1 to 8. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 8 requiring them to file their reply/response within two months."

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन (ओ0ए0) 203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में Reply/Response दाखिल किये जाने हेतु अनुदेश तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रतिवादी संख्या-05 की ओर से Reply/Response तैयार करने का कष्ट करें, जिससे मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन समयान्तर्गत किया जा सके।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में योजित (ओ0ए0) 203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की ओर से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में समय से अनुदेश के माध्यम से वांछित रिसपोन्स दाखिल कराकर अवगत कराना सुनिश्चित करें।
(संलग्नक:-अनुदेश)

जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तददिनांक:

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. श्री अंकित वर्मा, पैनल अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि प्रश्नगत याचिका में जिलाधिकारी की ओर से मा0 न्यायालय में जवाब दाखिल कराने का कष्ट करें।
3. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), झाँसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में योजित (ओ0ए0) 203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में जिलाधिकारी की ओर से Reply/Response तैयार किये जाने हेतु वांछित अनुदेश (Instruction) निम्नवत् है:-

1. प्रदेश में अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय जनपद स्तरीय कार्यबल (टारक फोर्स) का गठन किये जाने की व्यवस्था भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शारान के शासनादेश संख्या-12/2023/1/435766/2023/86-01099/136/2019 दिनांक. 29.11.2023 में दिये गये है। (संलग्नक-01 शासनादेश दिनांक: 29.11.2023)
2. उपरोक्त निर्गत शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या-1912/30एम0एम0सी0/खनिज/2023-24 दिनांक: 11.01.2024 के माध्यम से जनपद-झोंसी में अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय कार्यबल एवं उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय कार्यबल का गठन किया गया है, जिसके सदस्यों को क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर उपखनिज यथा खण्डा/बोल्डर/गिट्टी/स्टोनडस्ट/बालू/मोरम/एम0सैण्ड/पहाडी क्षरण से उत्पन्न लाल मोरम आदि के संचालित खनन पट्टों एवं अवैध खनन की कतिपय शिकायत के आधार पर खनन क्षेत्रों की औचक निरीक्षण के साथ नियमित रूप से सघन चैकिंग/जांच किये जाने के निर्देश दिये गये है तथा गठित समिति द्वारा की गयी कृत कार्यवाही की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में की जाती है एवं टारक फोर्स के सदस्यों को आवश्यक निर्देश भी दिये जाते है। (संलग्नक-02 का0 आदेश दिनांक: 11.01.2024)
3. उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि कार्यालय पत्र दिनांक: 11.01.2024 के माध्यम से गठित टारक फोर्स के सदस्यों द्वारा जनपद में संचालित उपखनिज बालू/मोरम के स्वीकृत खनन पट्टों का वित्तीय वर्ष,2024-25 में मॉनसून सत्र बीत जाने के उपरान्त एवं वित्तीय वर्ष,2025-26 में मॉनसून सत्र प्रारंभ होने के पूर्व किये गये औचक निरीक्षण, निरीक्षण के समय पायी गयी अनियमितता तथा पायी गयी अनियमितता के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	खनन क्षेत्र का विवरण	निरीक्षण का दिनांक	पायी गयी अनियमितता/ अवैध खनन की मात्रा	पायी गयी अनियमितता/ अवैध खनन आख्या पर की गयी कार्यवाही	अभ्युक्ति
1	तहसील-गरीबा ग्राम-एच के आराजी संख्या-420, 421, 422, 423 एवं 426 रकबा 2.386 हेक्टेयर	24.10.2024	912.00 घनमीटर	नोटिस संख्या-774 दिनांक: 25.10.2024	पट्टाधारक पर रु0 1895800 की घनराशि शास्ति के रूप में अधिविहित की गयी।
2	तहसील-गरीबा स्थित ग्राम-खरवाच के आराजी संख्या-908न (खण्ड-2) रकबा-20.000 हे0	16.11.2024	पी0टी0जेड00 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया	नोटिस संख्या-973 दिनांक: 17.12.2024	पट्टाधारक पर रु0 650000 की घनराशि शास्ति के रूप में अधिविहित की गयी।
3	तहसील-गरीबा स्थित ग्राम-मोतीकटरा के आराजी-1419 (खण्ड-1)	04.12.2024	क्षेत्र में सीमासम्म अपने निर्धारित जी0पी0एम0 विन्दु कॉर्डिनेट पर न लगा होना एवं खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर नदी की जलधारा पथरों के माध्यम से बाधित किया जाना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण का उल्लंघन तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 580 घनमीटर बालू/मोरम का अवैध खनन	नोटिस संख्या-959 दिनांक: 12.12.2024	पट्टाधारक पर रु0 2097000 की घनराशि शास्ति के रूप में अधिविहित की गयी।
4	तहसील-गरीबा स्थित ग्राम-खरवाच के आराजी संख्या-908न (खण्ड-2) रकबा-20.000 हे0	11.12.2024	पट्टाधिकार की शर्तों का अनुपालन न किया जाना तथा पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों का अनुपालन न किया जाना	नोटिस संख्या-2036 दिनांक: 01.03.2025	पट्टाधारक पर रु0 50000 की घनराशि शास्ति के रूप में अधिविहित की गयी।
5	तहसील-गरीबा स्थित ग्राम-टेहरका के आराजी संख्या-278, 293	09.01.2025	स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 1541 घनमीटर सख्तन मशीन विकल्पर द्वारा खनन किया जाना पाया गया	नोटिस संख्या-1008 दिनांक: 17.01.2025	पट्टाधारक पर रु0 1888900 की घनराशि शास्ति के रूप में अधिविहित की गयी।

6	तहसील-टहरीली स्थित ग्राम-कलेश्वरा के आराजी संख्या-02 (खण्ड-1) में रकबा-3.500 हे०	04.03.2025	क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित जी०पी०एस० बिन्दु कोर्डिनेट पर न लगा होना एवं पी०टी०जेड० कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 740 घनमीटर बालू/मोरम का अवैध खनन	नोटिस संख्या-2050 दिनांक 06.03.2025	पट्टाधारक पर ₹0 1216000 की धनराशि शास्ति के रूप में अधिरोपित की गयी।
7	तहसील-मौठा स्थित ग्राम-परैम के आराजी संख्या-184/1 के क्षेत्रफल-8.903	03.03.2025	सीमास्तम्भ लगा होना नहीं पाया गया तथा पी०टी०जेड० कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया	नोटिस संख्या-2072 दिनांक 11.03.2025	पट्टाधारक पर ₹0 50000 की धनराशि शास्ति के रूप में अधिरोपित की गयी।
8	तहसील-गरोडा स्थित ग्राम-घटवारी के आराजी संख्या-1/3 (खण्ड-1) रकबा-40.000 हेक्टेयर	05.03.2025	सीमास्तम्भ लगा होना नहीं पाया गया एवं पी०टी०जेड० कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया तथा क्षेत्र में पानी का छिड़काव नहीं किया जाना पाया गया	नोटिस संख्या-2070 दिनांक 11.03.2025	पट्टाधारक पर ₹0 100000 की धनराशि शास्ति के रूप में अधिरोपित की गयी।
9	तहसील-गरोडा स्थित ग्राम-खरवाघ के आराजी संख्या-908न (खण्ड-3) रकबा-12.146 हे०	05.03.2025	क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित जी०पी०एस० बिन्दु कोर्डिनेट पर न लगा होना एवं जल स्तर आ जाने के उपरान्त भी खनन किया जाना तथा पी०टी०जेड० कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया	नोटिस संख्या-2074 दिनांक 11.03.2025	पट्टाधारक पर ₹0 600000 की धनराशि शास्ति के रूप में अधिरोपित की गयी।
10	तहसील-गरोडा स्थित ग्राम-खरवाघ के आराजी संख्या-908न (खण्ड-2) रकबा-20.000 हे०	05.03.2025	क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित जी०पी०एस० बिन्दु कोर्डिनेट पर न लगा होना एवं साईन बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 350 घनमीटर बालू/मोरम का अवैध खनन कर परिवहन किया जाना तथा नदी का जल स्तर आ जाने के उपरान्त भी खनन किये जाने के बिन्दु पाये गये व पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों का अनुपालन न किया जाना	नोटिस संख्या-2073 दिनांक 11.03.2025	पट्टाधारक पर ₹0 50000 की धनराशि शास्ति के रूप में अधिरोपित की गयी।
11	तहसील-गरोडा स्थित ग्राम-मोतीकटार के आराजी संख्या-1419 (खण्ड-1)	28.04.2025	क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित जी०पी०एस० बिन्दु कोर्डिनेट पर न लगा होना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण का उल्लंघन तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 3920 घनमीटर बालू/मोरम का अवैध खनन	नोटिस संख्या-65 दिनांक 01.05.2025	पट्टाधारक पर ₹0 4178000 की धनराशि शास्ति के रूप में अधिरोपित की गयी।
12	तहसील-गरोडा स्थित ग्राम-घटवारी के आराजी संख्या-1/3 (खण्ड-1) रकबा-40.000 हेक्टेयर	30.04.2025	सीमा स्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक से निम्न किसी अन्य भू-निर्देशांक पर लगा होना पाया गया तथा पर्यावरण शर्तों एवं निर्धारित पट्टाविलेख की शर्तों का उल्लंघन	नोटिस संख्या-66 दिनांक 01.05.2025	पट्टाधारक पर ₹0 75000 की धनराशि शास्ति के रूप में अधिरोपित की गयी।
13	जनपद-झोंसी के तहसील-टहरीली स्थित ग्राम-कुकरगांव के आराजी संख्या-01क खण्ड-02 रकबा-9.712 हेक्टेयर	08.05.2025	क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित जी०पी०एस० बिन्दु कोर्डिनेट पर न लगा होना एवं पानी का छिड़काव किया जाना नहीं पाया गया तथा पी०टी०जेड० कैमरा एवं नदी की जलवादा बाधित होना तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 1 1995 घनमीटर बालू/मोरम का अवैध खनन कर परिवहन किया जाना	नोटिस संख्या-122 दिनांक 17.05.2025	पट्टाधारक पर ₹0 28,95,500.00 की धनराशि शास्ति के रूप में अधिरोपित की गयी।

(संलग्नक-03 उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नोटिस)


- उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष,2024-25 तथा में अवैध खनन/परिवहन के प्रकरण में कुल 02 एफ०आई०आर० तथा वित्तीय वर्ष,2025-28 में अब तक कुल 28 परिवाद मा० न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,झोंसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो मा० न्यायालय में विचाराधीन है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त यहा यह भी अवगत कराना है कि अधिसूचना संख्या-436/86-2020-132-2016टी०सी०-11 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ दिनांक: 18.03.2020 द्वारा प्रख्यापित उ०प्र० जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020 एवं तदक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-662/86-2020-132/2016 टी०सी०-11 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ दिनांक: 26.03.2020 में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण के दृष्टिकोण से अवैध खनन/परिवहन पर नियन्त्रण रखने के लिए जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास विधि से तकनीकी अवरंरचनाओं के सृजन हेतु आवश्यक उपकरण एवं कार्मिक

हेतु व्यय किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। ज०प्र० जिला सजिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली, 2017 में उल्लिखित प्राधिकारों के अधीन गठित शारी परिषद की बैठक में जनपद-झोंसी में सजिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण रखने हेतु निर्देशक, भूतल एवं सजिज निर्देशालय, ज०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-०८२/एफ०-३७ डी०एफ०एफ०-VI/2016 दिनांक 23.09.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद में आई०ओ०टी०/ए०आई० तकनीक पर आधारित कुल 04 चेकगेट (झोंसी-पुंछ, झोंसी-गुरसराय, रोमरी टोल प्लाजा व बबीना टोल प्लाजा) स्थापित हैं, जिसके माध्यम से उपसजिजों के परिवहन करने वाले वाहनों के ई-संघरण से जांच एवं अनियमितता पाये जाने पर ई-संघरण द्वारा ई-नोटिस निर्गत किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

6. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जनपद में आई०ओ०टी०/ए०आई० तकनीक पर आधारित कुल 04 चेकगेटों से वर्ष-2021 से मार्च-2025 तक कुल 1749 वाहनों को चिन्हित किया गया, जिसमें सम्बन्धित वाहनों पर ई-नोटिस निर्गत करने के उपरान्त कुल ₹0 4,10,51,119.00 की शमन शुल्क की धनराशि अधिरोपित किया गया, जिसमें कुल ₹0 2,71,92,572.00 की धनराशि वसूल की गयी तथा 481 वाहनों को ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झोंसी के स्तर से करायी गयी तथा ब्लैक लिस्ट किये गये वाहनों की सूची जनपद में स्थापित टोल प्लाजा एवं थाना को उपलब्ध कराया गया है, जिससे उक्त वाहनों को चिन्हित कर थाने में निरूद्ध कर नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
7. उपरोक्त के अतिरिक्त यहां यह भी अवगत कराना है कि कार्यालय पत्र दिनांक: 11.01.2024 के माध्यम से गठित टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा जनपद में संचालित उपसजिज बालू/मोरम के स्वीकृत खनन पट्टों का औद्योगिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कराया जाता है कि पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख (DEED) में उल्लिखित शर्त, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों एवं सी०टी०ओ० में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जाय तथा अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने सम्बन्धित नियमानुसार कार्यवाही भी की जाती है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त यहां यह भी अवगत कराना आवश्यक है कि मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 27.05.2025 के माध्यम से गठित संयुक्त समिति के सदस्यों के समक्ष उपस्थित होकर याचीकर्ता श्री राममिलन द्वारा दिनांक: 01.07.2025 को अपना बयान अंकित कराया गया, जिसका आंशिक भाग निम्नवत् है:-

“(1) जनपद-जलौन तथा जनपद-झोंसी के खनन पट्टों तथा जनपद-जलौन व झोंसी के खनन विभाग से मुझे कोई शिकायत नहीं है।”

(संलग्नक-04 याचीकर्ता श्री राममिलन द्वारा दिनांक: 01.07.2025 को दिया गया बयान)


खान निरीक्षक,
झोंसी।


ज्येष्ठ खान अधिकारी,
झोंसी।


अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)
झोंसी।


जिलाधिकारी,
झोंसी।

कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-12/2023/1/435766/2023/86-01099/136/2019

प्रेषक,

अनिल कुमार-III,

प्रमुख सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 29 नवम्बर, 2023

विषय:- अवैध खनन एवं परिवहन रोकने हेतु कार्यबल का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या-616/86-2018-371/2005, दिनांक 20.03.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश में अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय जनपद स्तरीय कार्यबल (Task force) का गठन किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उक्त जनपद स्तरीय कार्यबल (Task force) में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त (DCP), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रभारी खनन, सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) तथा जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खनन निरीक्षक को भी सम्मिलित करते हुये प्रश्नगत कार्यबल की संरचना निम्नवत् निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिश्नर द्वारा नामित पुलिस उपायुक्त (DCP)	सदस्य
3.	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रभारी खनन	सदस्य
4.	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
5.	उपजिलाधिकारी	सदस्य
6.	पुलिस क्षेत्राधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त (ACP)	सदस्य
7.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
8.	जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खनन निरीक्षक (खान अधिकारी नियुक्त न होने की दशा में)	सदस्य/ सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shajansodesh.gov.org.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. साथ ही यह भी मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अब उपरोक्तानुसार गठित 08 सदस्यीय कार्यबल द्वारा प्रदेश में अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु प्रत्येक माह 02 औचक निरीक्षण के साथ-साथ नियमित रूप से प्रवर्तन कार्य किया जाय। कार्यबल द्वारा प्रत्येक सप्ताह अवैध खनन/परिवहन की सघन चेकिंग की जाय तथा उक्त सूचना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, 30प्र0, लखनऊ को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नियमित रूप से ई-मेल cmo.lko62@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाए।

जनपद स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में आपके द्वारा स्वयं प्रवर्तन कार्यों की प्रभावी समीक्षा तथा प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यों में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों व कार्य से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमों के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

अनिल कुमार-III

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश को इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया जनपदों से कार्यबल द्वारा प्रेषित मासिक रिपोर्ट को संकलित कर उसके आधार पर एक समेकित रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रतिमाह शासन को उपलब्ध करायी जाय।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खनन निरीक्षक, उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश)
7. गाई फाईल।

आज्ञा से,

विजय कुमार

विशेष सचिव।

1- यह शासनदेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनदेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी । (खनिज अनुभाग)

संलग्नक -2

पत्रांक: 1913 / 30एम0एम0सी0 / खनिज / 2023-24

दिनांक: 11 / 01 / 2024

आदेश

जनपद में अवैध परिवहन (बिना परिवहन प्रपत्र/बिना आई0एस0टी0पी0/बिना माईन टैक) तथा उपखनिजों के ओवरलोड पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से शासकीय पत्र संख्या-12/2023/1/435766/2023/86-01099/136/2019 दिनांक 29.11.2023 में दिये गये निर्देश के क्रम में झाँसी-कानपुर हाई-वे (थाना-पूछ) एवं गुरसराय-कोटरा मार्ग (थाना-एरच) से परिवहन करने वाले उपखनिजों के वाहनों की नियमित जाँच किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रवर्तन दल का गठन किया जाता है :-

प्रवर्तन दल-(A) झाँसी-कानपुर हाई-वे (थाना-पूछ)	
1.	उप जिलाधिकारी, मोठ अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी
2.	ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान निरीक्षक/सर्वेक्षक/खनिज मुहरिरे
3.	क्षेत्राधिकारी पुलिस, मोठ अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी
4.	तहसीलदार/नायब तहसीलदार, मोठ
5.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झाँसी
6.	थानाध्यक्ष-पूछ
प्रवर्तन दल-(B) गुरसराय-कोटरा मार्ग (थाना-एरच)	
1.	उप जिलाधिकारी, गरौठा अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी
2.	ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान निरीक्षक/सर्वेक्षक/खनिज मुहरिरे
3.	क्षेत्राधिकारी पुलिस, गरौठा अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी
4.	तहसीलदार/नायब तहसीलदार, गरौठा
5.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झाँसी
6.	थानाध्यक्ष-एरच

अतः उपरोक्त प्रवर्तन दल को निर्देशित किया जाता है कि अपने दल के सदस्यों से सगन्वय स्थापित करते हुए आवंटित निरीक्षण क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए उपखनिज यथा गिट्टी/बोल्डर/डस्ट/बालू/मौरम/एम सेन्ट/पहाडी क्षरण से उत्पन्न लाल मौरम आदि का परिवहन करने वाले वाहनों में परिवहन प्रपत्र ई-एम0एम0-11/ई-प्रपत्र-सी/सम्बन्धित राज्य से वैध अभिवहन प्रपत्र (ETP)/अन्तर्राज्यीय परिवहन प्रपत्र (ISTP)/बिना माईन टैक तथा ओवरलोड वाहनों की जाँच करना सुनिश्चित करेंगे। जाँच के दौरान पायी गयी अनिमितताओं पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर उसकी निमित्त रूप से सूचना/रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/प्रभारी अधिकारी (खनिज), झाँसी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व दिनांक:

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- मा0 आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
- 4- प्रवर्तन दल का गठित सभी सदस्यों को अनुपालनार्थ हेतु।

12/01/24

जिलाधिकारी,
झाँसी।

संलग्नक -3

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

दिनांक 25/10/2024

पत्रांक:- 774/30एम0एम0सी0/2024-25

नोटिस

भेसर्स राशि इण्टरप्राइजेज
पो0 हरी शंकर राजपूत
पुत्र श्री कल्याण सिंह राजपूत
निवासी-453ख, चिरगांव-देहात,
तहसील-मोठ, जनपद-झाँसी।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा के सम्बन्ध में सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म एक्स (x) पर दिनांक: 23.10.2024 ट्विटरकर्ता Pushpendra Yadav jhansi (@pushpendrayad13) द्वारा किये गये पोस्ट जिसमें उल्लेख किया गया है कि "एरच थाना क्षेत्र के डेरा बालू घाट पर धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, प्रतिबन्धित मशीनों से खनन माफिया बेतवा नदी का सीना कर रहे छलनी, एन0जी0टी0 के नियमों को टेंगा दिखा रहे अवैध खनन" एवं दिनांक: 24.10.2024 को ट्विटरकर्ता Hindi khabar (@hindikhobar) यूजर द्वारा किये गये पोस्ट जिसमें उल्लेख किया गया है कि "जनपद के डेरा बालू घाट पर अवैध खनन का खेल फिर से शुरू, प्रतिबन्धित दर्जनों मशीनों, पन्नडुवियां, लिफ्टर से अवैध खनन से जारी" का संज्ञान लेते हुए ज्येष्ठ खान अधिकारी-झाँसी एवं खान निरीक्षक, झाँसी के संयुक्त दल द्वारा जनपद-झाँसी के तहसील-गरौडा स्थित ग्राम-एरच के आराजी संख्या-420, 421, 422, 423 एवं 426 रकवा 2.386 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण आज दिनांक: 24.10.2024 को समय 03:14 PM बजे किया गया। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में कोई भी सीमा स्तम्भ अपने बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट अर्थात (A-B-C-D-E-F-G-H-A) पर लगा हुआ नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र के बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट (E) से लगभग 190 मीटर की दूरी पर (पूरब दिशा की ओर) स्वीकृत क्षेत्र से बाहर एक सक्शन मशीन लिफ्टर नदी में बीचो-बीच भागते हुए पाया गया तथा अनुज्ञा क्षेत्र के बाहर जी0पी0एस0 बिन्दु 25°49'16"N 79°06'55" E पर सक्शन मशीन लिफ्टर के माध्यम से खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये।
3. बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट (B) से लगभग 50 मीटर की दूरी पर (उत्तर दिशा की ओर) एवं बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट (E) से लगभग 190 मीटर की दूरी पर (पूरब दिशा की ओर) स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अनुज्ञाधारक द्वारा नदी में रास्ता बनाकर अवैध खनन कर भण्डारित मात्रा की पैमाईश की गयी जिसका विवरण निम्नवत् है:-

अवैध खनन का स्थान जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	ऊचाई (मीटर में)	कुल मात्रा (घनमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(2x3x4)
25°49'16"N 79°06'55" E	15	22	0.6	198
25°49'22"N 79°06'37" E	70	6.8	1.5	714
कुल योग				912

उपरोक्त प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य यथा खनन अनुज्ञा क्षेत्र में कोई भी सीमा स्तम्भ अपने बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट अर्थात (A-B-C-D-E-F-G-H-A) पर लगा हुआ नहीं पाया गया, प्रश्नगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र के बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट (E) से लगभग 190 मीटर की दूरी पर (पूरब दिशा की ओर) स्वीकृत क्षेत्र से बाहर एक सक्शन मशीन लिफ्टर नदी में बीचो-बीच भागते हुए पाया गया तथा अनुज्ञा क्षेत्र के बाहर जी0पी0एस0 बिन्दु 25°49'16"N 79°06'55" E पर सक्शन मशीन लिफ्टर के माध्यम से खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये, बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट (B) से लगभग 50 मीटर की दूरी पर (उत्तर दिशा की ओर) एवं बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट (E) से लगभग 190 मीटर की दूरी पर (पूरब

2.

संलग्नक -3

(2)

दिशा की ओर) स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अनुज्ञापारक द्वारा नदी में रास्ता बनाकर अवैध खनन कर भण्डारित मात्रा की पैगाईश की गयी। जिसमें स्वीकृत क्षेत्र से बाहर प्रतिबंधित मशीन लिफ्टर के माध्यम से अवैध खनन कर 912.00 घनमीटर भण्डारित किये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 35, 36(1) व 42ज(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें सीमा स्तम्भ न लगाये जाने के कारण उक्त नियमावली, 2021 के नियम-60(3) के अन्तर्गत 25,000.00 की शारित की घनराशि, रावशन मशीन लिफ्टर के माध्यम से क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किये जाने के कारण नियम-60(4) (प्रति अवसर पाँच लाख रूपये की घनराशि) के अन्तर्गत कुल ₹ 5,00,000.00 की घनराशि, पर्यावरण शर्तों के उल्लंघन के कारण नियम-60(2) के अन्तर्गत 50,000.00 की घनराशि एवं क्षेत्र के बाहर अवैध खनन कर भण्डारित 912.00 घनमीटर बालू/मौरम पर रॉयल्टी के रूप में ₹ 1,36,800.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में ₹ 1,36,800.00 X 5 = 6,84,000.00 की घनराशि व नियम-58 के अन्तर्गत ₹ 5,00,000.00 की शारित शुल्क अधिरोपित कर कुल घनराशि ₹ 18,95,800.00 अधिरोपित की जाती है।

इसी प्रकार पूर्व में भी प्रश्नगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में कार्यालय पत्र संख्या-2082/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक: 26.02.2024 के माध्यम से निरीक्षण आख्या दिनांक: 24.02.2024 में उल्लिखित तथ्यों के कम में नोटिस निर्गत कर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-36 का उल्लंघन पाये जाने पर नियम-60(3) के अन्तर्गत ₹ 50,000.00 की घनराशि अधिरोपित कर वसूल की कार्यवाही की गयी, प्रश्नगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र का दिनांक: 30.03.2024 को भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 36(1), 36(2) व 42(ज) का उल्लंघन आप द्वारा द्वितीय बार किया गया। जिसमें कार्यालय पत्र संख्या-12/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 03.04.2024 के माध्यम से नोटिस निर्गत कर उक्त नियमावली के नियम-58, 60(3) एवं 60(4) के अन्तर्गत ₹ 10,50,000.00 की घनराशि अधिरोपित कर वसूल की गयी एवं पुनः कतिपय प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रश्नगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र का दिनांक: 01.05.2024 को उपजिलाधिकारी, गरीठा की अध्यक्षता में (राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं खनिज विभाग) आकस्मिक निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3 व 42(ज)(1) का उल्लंघन आप द्वारा तृतीय बार किया गया। जिसमें कार्यालय पत्र संख्या-102/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 04.05.2024 के माध्यम से नोटिस निर्गत कर उक्त नियमावली के नियम-58 व 60(4) के अन्तर्गत ₹ 25,00,000.00 की घनराशि अधिरोपित कर वसूल की गयी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 35, 36(1), 36(2), 42ज(1) एवं पर्यावरण शर्तों तथा स्वीकृत खनन अनुज्ञा में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन बार-बार किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्य दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार शरित के रूप में अधिरोपित घनराशि ₹ 18,95,800.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें की क्यों न उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-61(1) के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा के निरस्तीरण की कार्यवाही की जाय।

जिलाधिकारी,

गरीठा।

पत्रांक व तद् दिनांक:

प्रतिलिपि:- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,

गरीठा।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी

संलग्नक -3

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 978/30एमएमसी/2024-25

दिनांक: 17/12/2024

नोटिस

मेसर्स भरोसा सरकार कान्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर्स
पोठ श्री दिनेश कुमार राजपूत पुत्र श्री शीतल प्रसाद
निवासी-ग्राम भरोसा, तहसील-मोठ, जिला-झाँसी।

जनपद-झाँसी के तहसील-गसौठा स्थित ग्राम-खरताच के आराजी संख्या-908न (खण्ड-2) रकबा-24.00 हे० क्षेत्र पर घसान नदी तल स्थित बालू/मोरम का नीलामी पट्टा 05 वर्ष (दिनांक: 06.12.2021 से दिनांक: 05.12.2026 तक) की अवधि हेतु आपके पक्ष में स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में खान निरीक्षक, झाँसी द्वारा प्रेषित जॉच आख्या दिनांक: 11.12.2024 उल्लेख किया गया है कि " मा० हरित न्यायाय, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-1025/2024 "सुरेन्द्र सिंह परिहार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य" में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 05.11.2024 में गठित समिति एवं प्रभारी अधिकारी खनिज, ज्येष्ठ खान अधिकारी, झाँसी के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण दिनांक: 11.12.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय खनन कार्य बन्द होना पाया गया तथा सीमास्तम्भ अपने निर्धारित भू-निर्देशांक पर लगा होना पाया गया किन्तु पट्टा क्षेत्र के लगा हुआ कैमरा संचालित होना नहीं पाया गया। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि आज दिनांक से पूर्व दिनांक: 16.11.2024 को प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया था जिसमें पट्टा क्षेत्र में पी०टी०जे०ड० कैमरा संचालित होना नहीं पाया गया था, जिसके उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र दिनांक: 19.11.2024 के माध्यम से पट्टाधारक को नोटिस प्रेषित किया गया।" उक्त नोटिस दिनांक: 19.11.2024 में उल्लिखित धनराशि का भुगतान आप द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया है।

उपरोक्त प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुरार दिनांक: 16.11.2024 को Last date of inspection मानते हुए दिनांक: 16.11.2024 से दिनांक: 11.12.2024 की अवधि में पी०टी०जे०ड० कैमरा संचालित न होने की दशा में उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(3) के अन्तर्गत प्रति चूक के लिए प्रतिदिन रू० 25,000.00 की दर से शारित शुल्क (यानि की रू० 25,000.00 X 25 = 6,25,000.00) अधिरोपित की जाती है। इस प्रकार नोटिस दिनांक: 19.11.2024 के माध्यम से रू० 25,000.00 की धनराशि तथा वर्तमान में अधिरोपित रू० 6,25,000.00 की धनराशि का, कुल योग करते हुए रू० 6,50,000.00 की अधिरोपित की जाती है।

अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(2) का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियम-60(3) के अन्तर्गत रू० 6,50,000.00 की अधिरोपित धनराशि को यथा शीघ्र खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलीह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि को आप द्वारा जमा की गयी प्रतिमूर्ति की धनराशि में से कटौती करने सम्बन्धित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

17/12/2024
ज्येष्ठ खान अधिकारी
% झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांक:-

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 जिलाधिकारी महोदय, झाँसी।
- 2 अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), झाँसी।

17/12/2024
ज्येष्ठ खान अधिकारी
% झाँसी।

संलग्नक -3

कार्यालय जिलाधिकारी, झॉंसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक-359/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक 12/12/2024

नोटिस

श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी-91-बी0 ककराही-1 बाजार-1,
दिवियापुर, जनपद-औरैया।

जनपद-झॉंसी के तहसील-गरौठा स्थित ग्राम-मोतीकटरा के आराजी संख्या-1419 (खण्ड-01) रकबा 24,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर बेतवा नदी तल स्थित बालू/गोरम का नीलामी पट्टा 05 वर्ष (दिनांक: 08.10.2024 से दिनांक: 07.10.2024 तक) की अवधि हेतु आपके पक्ष में स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक: 04.12.2024 को समय 05:54 PM बजे ज्योष्ठ खान अधिकारी, झॉंसी एवं खान निरीक्षक, झॉंसी द्वारा किया गया जिसका निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित जी0पी0एस0 बिन्दु कोर्डिनेट पर न लग कर किसी और जी0पी0एस0 बिन्दु कोर्डिनेट पर लगा होना पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में जल स्तर आने के बाद भी खनन के चिन्ह पाये गये।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर नदी की जलधारा पथरो के माध्यम से बाधित किया जाना पाया गया, जिसे मौके पर हटाकर जल का बहाव पुनः चालू कर दिया गया।
4. खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन किया जाना पाया गया, जिसका पैमाईस निम्नवत् है:-

लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	कुल मात्रा
29	20	1	580

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित जी0पी0एस0 बिन्दु कोर्डिनेट पर न लग कर किसी और जी0पी0एस0 बिन्दु कोर्डिनेट पर लगा होना पाया गया, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36 का उल्लंघन है जिसमें नियम-60(3) के अन्तर्गत रू0 25,000.00 की शारित तथा प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में जल स्तर आने के बाद भी खनन के चिन्ह पाया जाना नियम-42(ज) का उल्लंघन है जिसमें नियम-60(4) के अन्तर्गत रू0 5,00,000.00 की शारित शुल्क एवं प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर नदी की जलधारा पथरो के माध्यम से बाधित किया जाना नियम-42(ज) एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र का उल्लंघन है जिसमें नियम-60(4) एवं 60(2) के अनुसार रू0 5,50,000.00 तथा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 580 घनमीटर बालू/गोरम का अवैध खनन किया जाना उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण नियम-58 के अन्तर्गत रू0 5,00,000.00 की शारित शुल्क एवं 580.00 घनमीटर बालू/गोरम का रॉयल्टी के रूप में रू0 87,000.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में रू0 87,000.00 X 5 = 4,35,000.00 की घनराशि अधिरोपित किया जाता है। इस प्रकार कुल रू0 20,97,000.00 को अधिरोपित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक: 12/12/2024 आदेश पारित किया गया।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांक: 04.12.2024 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शारित की कुल घनराशि रू0 20,97,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शारित की अधिरोपित घनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

90193781168IN IVP:8265193781168
RE: JMWGS KUTCHERY SO (284001)
Exoner No:5,18/12/2024,15:07
To:SHARJEV KUMAR JHA ,DIBIYA PUR
PIN:206122, Auraya MD
From:JESHA KUMAR ADIVARI ,JMWGS
K12/12/24,15:07:17.0
Date:20.12.2024,Time:17:07,Page:26,001(Lack)
Track on www.indiapost.gov.in
Tel: 18002266888 - Bharat, Bharat, Bharat

जिलाधिकारी,
झॉंसी

वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
कर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

जिलाधिकारी,
झॉंसी

संलग्नक -3

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:-2036/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक: 01/03/2025

नोटिस

भेसर्स भरोसा सरकार कॉन्ट्रेक्टर एण्ड साप्लायर्स
पो0 श्री दिनेश कुमार राजपूत पुत्र श्री शीतल प्रसाद
निवासी-ग्राम भरोसा, तहसील-मोठ, जिला-झाँसी।

जनपद-झाँसी के तहसील गरीठा स्थित ग्राम-खरवांच के आराजी संख्या-908न (खण्ड-02) में 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर घरान नदी तल स्थित बालू/मोरम के क्षेत्र को 05 वर्ष (दिनांक: 06.12.2021 से दिनांक: 05.12.2026 तक) की अवधि हेतु आपके पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित किया गया है।

उक्त पट्टा के अन्वय में मा0 हरित न्यायालय, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-1025/2024 सुरेन्द्र सिंह परिहार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा आपने आदेश दिनांक: 05.11.2024 में निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

"4. We accordingly constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Jhansi, Uttar Pradesh State Pollution Control Board, and Central Pollution Control Board

उक्त आदेश के अनुपालन में गठित समिति द्वारा प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण दिनांक: 11.12.2024 को कर आख्या मा0 हरित अधिकरण न्यायालय में दाखिल की जा चुकी है, जो मा0 हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली की अधिकारिक वेबसाइट (www.greentribunal.gov.in) पर प्रदर्शित है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पट्टाधारक द्वारा पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक: 26.11.2021 एवं Consent To Operate (CTO) दिनांक: 19.04.2023 में उल्लिखित समस्त शर्तों का शतप्रतिशत अनुपालन नहीं किया जाना उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निम्न प्राविधान हैं:-

"नियम-35 के अधीन उपबन्धित उपबन्धों के अनुसार जारी अनुमोदित खनन योजना और पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित निबन्धन एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए जो पट्टेदार खनन कार्य करता है वह चूक के प्रति अवसर के अनुसार पचास हजार रुपये की दर से ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जिसकी वसूली जिला मजिस्ट्रेट उक्त खनन पट्टा के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से करेगा।"

अतः जिलाधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 01.03.2025 में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 के शास्ति की धनराशि अधिरोपित की जाती है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्त के 03 दिवस के अन्दर शास्ति की खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित बकाया धनराशि जमा प्रतिभूति के मद से वसूल की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

ज्येष्ठ खनिज अधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तददिनांक
प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनाार्थ।

ज्येष्ठ खनिज अधिकारी,
झाँसी।

संलग्नक -3

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:-| ०६४/३०एम०एम०सी०/२०२४-२५

दिनांक 17/०६/२०२४

नोटिस

शिवा कॉर्पोरेशन (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा
निदेशक श्री आशु सिंह भाटी
पुत्र श्री मगन सिंह भाटी
निवासी-बारु भाटियों का मोहल्ला,
बरु जोधपुर (जोधपुर)।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा के सम्बन्ध में सोशल मिडिया पर प्रकाशित हिन्दी खबर के क्रम में दिनांक: 09.01.2025 को राजस्व विभाग टहरौली, पुलिस विभाग, टहरौली एवं खनिज विभाग, झाँसी के संयुक्त दल द्वारा जनपद-झाँसी के तहसील-गरौठा स्थित ग्राम-टेहरका के आराजी संख्या-278, 293 में रकवा-20.234 हे० में स्वीकृत उपखनिज बालू/मोरम के खनन अनुज्ञा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण की आख्या निम्नवत् है:-

“सोशल मिडिया पर प्रकाशित हिन्दी खबर के क्रम में आज दिनांक: 09.01.2025 को ग्राम-शमशेरपुरा में बालू/मोरम के अवैध खनन की जाँच उपजिलाधिकारी-टहरौली, पुलिस क्षेत्राधिकारी-गरौठा, ज्येष्ठ खान अधिकारी, झाँसी एवं सर्वेक्षक, झाँसी द्वारा किया गया। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार मैसर्स शिवा कॉर्पोरेशन (इण्डिया) लि० निदेशक श्री आशु सिंह भाटी पुत्र श्री मगन सिंह भाटी निवासी-45, पश्चिम बिहार, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान के पक्ष में जनपद-झाँसी के तहसील-गरौठा स्थित ग्राम-टेहरका के आराजी संख्या-278, 293 में रकवा-20.234 हे० क्षेत्र पर दिनांक: 07.12.2024 से दिनांक: 06.06.2025 तक की अवधि हेतु बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र 06 माह की अवधि के लिए स्वीकृत/संचालित है।

निरीक्षण के समय ग्राम-शमशेरपुरा में बालू/मोरम का अवैध खनन होते हुए नहीं पाया गया। ग्राम-टेहरका में स्वीकृत/संचालित खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर बालू/मोरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसके निर्देशांक निम्नवत् है:-

क्र०सं०	GPS निर्देशांक	
	Latitude (N)	Longitude (E)
1	25°42'24.20"	79°01'39.40"
2	25°42'24.40"	79°01'40.87"
3	25°42'23.45"	79°01'40.73"
4	25°42'23.36"	79°01'38.79"

स्वीकृत क्षेत्र के बाहर बालू/मोरम के खनन क्षेत्र की पैमाईस किया गया।

$$\begin{aligned} \text{क्ष० मी०} \times \text{ग० मी०} &= \text{कुल मात्रा घनमीटर} \\ 1284 \times 1.2 &= 1540.80 \text{ घनमीटर} \end{aligned}$$

इस प्रकार खनन अनुज्ञा मैसर्स शिवा कॉर्पोरेशन (इण्डिया) लि० निदेशक श्री आशु सिंह भाटी पुत्र श्री मगन सिंह भाटी निवासी-45, पश्चिम बिहार, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1541.00 घनमीटर बालू/मोरम का अवैध खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया। जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 का स्पष्ट उल्लंघन है।”

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 1,541.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का अवैध खनन कर परिवहन किये

संलग्नक -3

(2)

जाने का कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 व 72 का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें 1541.00 घनमीटर बालू/मोरम के अवैध खनन पर रॉयल्टी के रूप में ₹0 2,31,150.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में ₹0 2,31,150.00 X 5 = 11,55,750.00 की धनराशि व नियम-58 के अन्तर्गत ₹0 5,00,000.00 की शारित शुल्क के रूप में अधिरोपित कर कुल धनराशि ₹0 18,86,900.00 को अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्य दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार शरित के रूप में अधिरोपित धनराशि ₹0 18,86,900.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें की क्यों न उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम-61(1) के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा के निरस्तीरण की कार्यवाही की जाय।

जिल्लाधिकारी,
आसी।

०१/०३/२३

पत्रांक व तद् दिनांक:

प्रतिलिपि:- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ०प्र० लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिल्लाधिकारी,
आसी।

०१/०३/२३

संलग्नक -3

कार्यालय जिलाधिकारी, झॉंसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक-255/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक 06/03/2025

नोटिस

मेसर्स आर0एस0 माईन एण्ड मिनरल्स,
प्रो श्री सुमित सिंह पुत्र श्री ब्रजमोहन सिंह,
निवासी-1184, शिवाजी नगर,
तहसील व जनपद-झॉंसी।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक: 04.03.2025 को राजस्व विभाग टहरीली, पुलिस विभाग, टहरीली एवं खनिज विभाग, झॉंसी के संयुक्त दल द्वारा जनपद-झॉंसी के तहसील-टहरीली स्थित ग्राम-कलोथरा के आराजी संख्या-02 (खण्ड-1) में रकवा-3.500 हे0 में स्वीकृत उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिसकी निरीक्षण की आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया।
3. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर जी0पी0एस0 बिन्दु 25.60748, 78.929164 पर 360.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया एवं जी0पी0एस0 बिन्दु 25.606821, 78.927018 पर 380.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया।

उपरोक्त प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगाये जाने का कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर जी0पी0एस0 बिन्दु 25.60748, 78.929164 पर 360.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया एवं जी0पी0एस0 बिन्दु 25.606821, 78.927018 पर 380.00 घनमीटर कुल-740 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया। जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 360.00 घनमीटर एवं 380.00 घनमीटर कुल 740.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का अवैध खनन किये जाने का कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 व 72 का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें कुल 740.00 घनमीटर बालू/मोरम के अवैध खनन पर रॉयल्टी के रूप में ₹0 1,11,000.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में ₹0 1,11,000.00 X 5=5,55,000.00 की धनराशि व नियम-58 के अन्तर्गत ₹0 5,00,000.00 की शास्ति शुल्क की धनराशि एवं खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया जाना उक्त नियमावली-2021 के नियम-36(1) का स्पष्ट उल्लंघन है तथा खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया जाना उक्त नियमावली, 2021 के नियम-36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार ₹0 25,000.00 की शास्ति के रूप में अधिरोपित कर कुल धनराशि ₹0 12,16,000.00 को अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्य दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार शास्ति के रूप में अधिरोपित धनराशि ₹0 12,16,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें।

जिलाधिकारी,
झॉंसी।

पत्रांक व तद् दिनांक:

प्रतिलिपि- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
झॉंसी।

संलग्नक -3

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।
(खनिज अनुगाग)

पत्रांक:-2072/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक 11/03/2025

नोटिस

मैसर्स आर0जी0एस0 कन्स्ट्रक्शन
प्रो श्री धूमन सिंह पुत्र श्री मागीरथ
निवासी-ग्राम वसोवई, तहसील-मोंठ, जनपद-झाँसी।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-परैछा के आराजी संख्या-184/1 रकवा-8.903 हे0 पर संचालित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक: 03/03/2025 को किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में 02 सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की जॉच जी0पी0एस0 युक्त कें0एम0एल0 फाईल से की गयी जिसमें खनन पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने क्षेत्र में मात्र 02 सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया जाना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) व 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति शुल्क के रूप अधिरोपित कर कुल धनराशि रू0 50,000.00 की शास्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक: 06.03.2025 के माध्यम से अधिरोपित की गयी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांक: 03.03.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की कुल धनराशि रू0 50,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक).

झाँसी।

पत्रांक व तद् दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, झाँसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक).

झाँसी।

संलग्नक -3

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

दिनांक 11/03/2025

पत्रांक-2070/30एम0एम0सी0/2024-25

नोटिस

मैसर्स स्काईब्रिज इंडिया डेवलपर्स प्रा. लि.
प्लॉट भी प्रभात जैन पुत्र भी सुरेश जैन
निवासी-पुराना हाई कोर्ट, लखनऊ, ग्वालियर (मोप्रो)।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध जनपद झाँसी के तहसील गरीबा विधान ग्राम-घटपारी के आराजी संख्या-1/3 (खण्ड-1) संख्या-40,000 हे० पर संघटित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टे का आन्तरिक निरीक्षण राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक 05/03/2025 किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में 04 सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा एवं साईन बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की जाँच जी0पी0एस0 युक्त कें0एम0एल0 फाईल से की गयी जिसमें खनन पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाव किया जाना नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत क्षेत्र में 04 सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया जाना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) व 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रु० 25,000.00 की शास्ति एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाव नहीं जाना पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रु० 50,000.00 के शास्ति की धनराशि इस प्रकार कुल धनराशि रु० 1,00,000.00 की शास्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक: 06.03.2025 के माध्यम से अधिरोपित की गयी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांक: 05.03.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की कुल धनराशि रु० 1,00,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक).

झाँसी।

पत्रांक व तद दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिज निदेशाल, उ०प्र० लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, झाँसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक).

झाँसी।

संलग्नक -3

कार्यालय जिलाधिकारी, झॉंसी ।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक-ए 074/30एम0एम0सी0/2024 25

दिनांक 11/03/2025

-नोटिस

भैंसरा एम0पी0एल इन्फा
 पी0 मोहम्मद जावेद पुत्र श्री मोहम्मद अजीज
 निवासी-41 थाम-रायपुर, आई0आई0एम0 रोड,
 तहरील-सादर जनपद-लखनऊ ।

उपरोक्त पत्र में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध जनपद-झॉंसी के तहरील-गरीठा स्थित ग्राम-खरवांच के खनन पट्टा संख्या-9088 (खण्ड-3) रकबा-12.146 हे0 पर संचालित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टे का निरीक्षण राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक: 05/03/2025 किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में कोई भी सीमांतम अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की जॉंच जी0पी0एस0 मुक्त के0एम0एल0 फाईल से की गयी जिसमें खनन पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया, परन्तु स्वीकृत क्षेत्र में जलस्तर आ जाने के उपरान्त भी पट्टेधारक द्वारा खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाव किया जाना नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत क्षेत्र में सीमांतम अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया जाना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) व 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अयसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाव नहीं जाना पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 के शास्ति की धनराशि तथा स्वीकृत क्षेत्र में जलस्तर आ जाने के उपरान्त भी पट्टेधारक द्वारा खनन किये जाने के चिन्ह पाये जाना नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(4) के अन्तर्गत शास्ति के रूप में रू0 5,00,000.00 की धनराशि इस प्रकार कुल धनराशि रू0 6,00,000.00 की शास्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक: 06.03.2025 के माध्यम से अधिरोपित की गयी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांक: 05.03.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की कुल धनराशिरू0 6,00,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झॉंसी।

पत्रांक व तद दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, झॉंसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झॉंसी।

संलग्नक -3

कार्यालय जिलाधिकारी, झॉंसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:-2573/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक 11/03/2025

नोटिस

मेसर्स भरोसा सरकार कोंट्रेक्टर एण्ड सप्लायर्स
प्रो श्री दिनेश कुमार राजपूत पुत्र श्री शीतल प्रसाद
निवासी-ग्राम भरोसा, तहसील-मोठ, जिला-झॉंसी।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध जनपद-झॉंसी के तहसील-गरोठा स्थित ग्राम-खरवांव के आराजी संख्या-908न (खण्ड-2) रकबा-20.000 हे0 पर संचालित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक: 05/03/2025 किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में मात्र 02 सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा एवं साईन बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की जॉच जी0पी0एस0 युक्त के0एम0एल0 फाईल से की गयी जिसमें खनन पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर जी0पी0एस0 बिन्दु 25°43'35.54", 79°23'01.84" पर लगभग 350.00 घनमीटर का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है तथा स्वीकृत क्षेत्र में जलस्तर आ जाने के उपरान्त भी पट्टेधारक द्वारा खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाव किया जाना नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत क्षेत्र में मात्र 02 सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया जाना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) व 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाव नहीं किया जाना पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 के शास्ति की धनराशि तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कुल मात्रा 350.00 घनमीटर का अवैध खनन कर परिवहन किया जाना नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(4) के अन्तर्गत शास्ति के रूप में रू0 5,00,000.00 एवं नियम-58 के अन्तर्गत नियमानुसार (जिसमें रॉयल्टी के रूप में रू0 52,500.00 तथा खनिज मूल्य के रूप में रू0 52,500.00 x 5 = 2,62,500.00 एवं शास्ति शुल्क रू0 5,00,000.00 की धनराशि सम्मिलित है) कुल धनराशि रू0 14,15,000.00 की शास्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक: 06.03.2025 के माध्यम से अधिरोपित की गयी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांक: 05.03.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की कुल धनराशि रू0 14,15,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),

झॉंसी।

पत्रांक व तद दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, झॉंसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),

झॉंसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झोंसी।

(खनिज अनुभाग)

दिनांक 01/05/2025

पत्रांक- 65 / 30एम0एम0सी0 / 2025-26

नोटिस

श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता
निवासी-91बी0, ककराही-1, बाजार-1,
दिबियापुर, जनपद-औरैया।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध जनपद-झोंसी के तहसील-गरीदा स्थित ग्राम-मोतीकटरा के आराजी संख्या-1419 खण्ड-01 रकबा-24.000 हेक्टेयर पर संचालित उपखनिज बालू/गोरम के खनन पट्टा का आकस्मिक निरीक्षण पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक 28/04/2025 किया गया। निरीक्षण की विन्दुवार आख्या निम्नवत् है-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक से गिन्न किररी अन्य भू-निर्देशांक पर लगा होना पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जाना पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में उपखनिज बालू/गोरम के खनन एवं लोडिंग हेतु कुल 04 मशीन पाये गये, जिसकी Boom Length की पैमाइश की गयी। पैमाइश के उपरान्त कुल 02 मशीनों का Boom Length 03 मीटर से कम होना पाया गया किन्तु 02 मशीन की Boom Length 03 से अधिक होना पाया गया जो पर्यावरण शर्तों एवं शासनादेश दिनांक: 21.06.2019 में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है, जिस कारण उक्त मशीन को तत्काल पट्टा क्षेत्र से बाहर कर खनन सक्रियता को उक्त मशीनरी का प्रयोग करने से वर्जित कराया गया।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा होना पाया गया किन्तु पट्टाधारक के प्रतिनिधि कैमरा की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने में विफल रहे।
5. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में रात्रि के समय खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसे मौके पर बन्द कराया गया।
6. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में निरीक्षण के समय पट्टा क्षेत्र के बाहर 02 स्थानों पर खनन किया जाना पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-

अवैध खनन पिट 01 (जीपीएस बिन्दु 25°32'43.93", 79°24'31.82" के पास)			
लम्बाई	चौड़ाई (मीटर में)	उत्तमई (मीटर में)	कुल मात्रा (चिकनीटर में)
200	20	0.5	2000

अवैध खनन पिट 02 (जीपीएस बिन्दु 25°32'45.81", 79°24'24.95" के पास)			
लम्बाई	चौड़ाई (मीटर में)	उत्तमई (मीटर में)	कुल मात्रा (चिकनीटर में)
400	8	24	1920

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया जाना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा होना पाया गया किन्तु पट्टाधारक के प्रतिनिधि कैमरा की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने में विफल पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) व 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शर्तित इस प्रकार कुल रू0 50,000.00 एवं खनन पट्टा क्षेत्र में उपखनिज बालू/गोरम के खनन एवं लोडिंग हेतु 01 मशीन की Boom Length 03 से अधिक होना पाया गया, जो पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 के शर्तित की धनराशि एवं खनन पट्टा क्षेत्र में रात्रि के समय खनन कार्य किया जाना पाया गया, जो पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 के शर्तित की धनराशि तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 स्थानों पर कुल मात्रा 3920.00 चिकनीटर का अवैध खनन कर परिवहन किया जाना नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-58 के अन्तर्गत नियमानुसार (जिसमें शॉयटली के रूप में रू0 5,88,000.00 तथा खनिज मूल्य के रूप में रू0 5,88,000.00 x 5 = 29,40,000.00 एवं शर्तित शुल्क रू0 5,00,000.00 की धनराशि सम्मिलित है) कुल धनराशि रू0 41,78,000.00 की शर्तित शुल्क की धनराशि अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांक: 28.04.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राक्कानों के अन्तर्गत शर्तित की कुल धनराशि रू0 41,78,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलीह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तित की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),

झोंसी।

पत्रांक व तद दिनांक:

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निर्देशक, भूतल एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, झोंसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),

झोंसी।

संलग्नक -3

कार्यालय जिलाधिकारी, झॉंसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 66 / 30एम0एम0सी0 / 2025 - 26

दिनांक 01/05/2025

नोटिस

मैसर्स स्काईब्रिज इंडिया डेवलेपर्स प्रा0लि0
प्र0 श्री प्रभात जैन पुत्र श्री सुरेश जैन
निवासी-पुराना हाई कोर्ट, लखर, ग्वालियर (म0प्र0)।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध जनपद झॉंसी के तहसील गरीटा स्थित ग्राम-घटगारी के आराजी संख्या-1/3 (खण्ड-1) एका-40,000 हेक्टेयर पर संगलित उपखनिज बालु/गोरम के खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक 27/04/2025 किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत-खनन पट्टा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक से भिन्न किसी अन्य भू-निर्देशांक पर लगा होना पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पानी का छिडकाव किया जाना नहीं पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में खनन एवं लोडिंग हेतु कुल 04 मशीन पाये गये, जिसकी Boom Length की पैमाईश की गयी। पैमाईश के उपरान्त कुल उक्त मशीनों का Boom Length 03 मीटर से कम होना पाया गया।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ पाया।
5. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में निरीक्षण के समय पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य सूर्यास्त के बाद बन्द होना पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति इस प्रकार कुल रू0 50,000.00 एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाव नहीं किया जाना पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 के शास्ति की धनराशि इस प्रकार कुल धनराशि रू0 75,000.00 की शास्ति शुल्क की धनराशि अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांक: 27.04.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की कुल धनराशि रू0 75,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),

झॉंसी।

पत्रांक व तद दिनांक:

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, झॉंसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),

झॉंसी।

संलग्नक -3

कार्यालय जिलाधिकारी, झॉंसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक- 122 / 30एम0एम0सी0 / 2025-26

दिनांक 17 / 05 / 2025

कारण बताओ नोटिस

मेसर्स पी0एस0ए0 ऑनोटेक्टर एल0एल0पी0
 प्रो भरत पाहवा पुत्र: श्री विनोद कुमार
 निवासी-310, वर्धमान तारु प्लाजा,
 सी0यू0 ब्लॉक, प्रीतमपुर, दिल्ली।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध में जनपद-झॉंसी के तहसील-टहरीली स्थित ग्राम-कुकरगांव
 में आराजी संख्या-01क खांड-02 रकबा-9.712 हेक्टेयर पर संचालित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टे का
 आकस्मिक निरीक्षण पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक: 08/05/2025
 को किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा होना नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जाना नहीं पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा होना नहीं पाया गया।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में निरीक्षण के समय खनन कार्य बन्द पाया गया।
5. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में निरीक्षण के समय पट्टा क्षेत्र के बाहर भू-निर्देशांक 25°38'29.54", 78°57'34.22" से भू-निर्देशांक 25°38'25.58", 78°57'29.59" तक रास्ता बना होना पाया गया, जिससे नदी की जलधारा बाधित होना पाया गया।
6. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर उपखनिज बालू/मोरम का खनन कर आस्थाई रास्ते का निर्माण किया जाना पाया गया। उक्त बने रास्ते की पैमाईश की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

लम्बाई	चौड़ाई (मीटर में)	उंचाई (मीटर में)	कुल मात्रा (घनमीटर में)
230	5.00	1.5	1725
अवैध खनन पिट 02 (जॉ/पीएस बिन्दु 25°38'26.93", 78°57'29.19" के पास)			
लम्बाई	चौड़ाई (मीटर में)	उंचाई (मीटर में)	कुल मात्रा (घनमीटर में)
15	12	1.5	270

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया जाना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा होना पाया गया किन्तु पट्टाधारक के प्रतिनिधि कैमरा की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने में विफल पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) व 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति इस प्रकार कुल रू0 50,000.00 एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिड़काव नहीं किया जाना पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 स्थानों पर कुल मात्रा 1995.00 घनमीटर का अवैध खनन कर परिवहन किया जाना नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-58 के अन्तर्गत नियमानुसार (जिसमें रॉयल्टी के रूप में रू0 2,99,250.00 तथा खनिज मूल्य के रूप में रू0 1995 X 150 X 5 = 14,96,250.00 एवं शास्ति शुल्क रू0 5,00,000.00 की धनराशि सम्मिलित है) तथा जलधारा को बाधित किया जाना जाना नियम-42(ज) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(4) के अन्तर्गत रू0 5,00,000.00 के शास्ति की धनराशि का अधिरोपित किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संयुक्त जॉच आख्या दिनांक: 07.05.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष नोटिस प्राप्ति 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें की वर्यो न आपके विरुद्ध उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 35, 36(1) 36(2) एवं 42(ज) का उल्लंघन किये जाने के कारण नियम-58, 60(2) 60(3) व 60(4) के अन्तर्गत शास्ति के रूप में कुल धनराशि रू0 28,95,500.00 अधिरोपित करते हुए वसूल किया जाय तथा आपके विरुद्ध दण्डनात्मक कार्यवाही की जाय। यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।

संलग्नक- जांच आख्या।

जिलाधिकारी,
 पट्टे झॉंसी।

पत्रांक व तद् दिनांक:
 प्रतिनिधि-

- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. निदेशक, वृत्त एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
 पट्टे झॉंसी।

संलग्नक -4

बयान

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अघोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये शिकायत के क्रम में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक-01.07.2025 को वार्ता/पूछताछ में मेरे द्वारा यह कथन बिना दबाव के स्वच्छ मन से दे रहा हूँ।

- 1- जनपद जालौन तथा जनपद झांसी के खनन पट्टों तथा जनपद जालौन व झांसी के खनन विभाग से मुझे कोई शिकायत नहीं है।
- 2- जनपद हमीरपुर के खनन क्षेत्र बेरी खण्ड संख्या-10/6, ग्राम घण्डौत खण्ड संख्या-21/1 एवं ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/17, 25/18 एवं 25/21 में मुझे पोकलेन मशीन चलने तथा उत्पन्न गड़बो की शिकायत है।
- 3- उक्त के अतिरिक्त मुझे कोई अन्य शिकायत नहीं है।

श्रीमती ली

सुल्तान नि: हमीरपुर

7338605530

ता. 1-7/2025

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक : 1775/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : जुलाई 15, 2025

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं०-540/एम०-एन०जी०टी०-वाद/2025 दिनांक 13.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest & Climate Change Department; (2) Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, (3) Central Pollution Control Board through its Member Secretary, (4) Uttar Pradesh Pollution Control Board, through its Member Secretary; (5) District Magistrate, Jhansi; (6) District Magistrate, Jalaun; (7) District Magistrate, Hamirpur and (8) District Magistrate, Banda who are impleaded as respondents no. 1 to 8. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 8 requiring them to file their reply/response within two months."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में दो माह में प्रतिवादी संख्या-1 से 8 की ओर से Response/Reply दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या-08 की ओर से Response/Reply इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

J. Nubhe
15/07/2025
(ज० सी०)
जिलाधिकारी
बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : श्री अंकित वर्मा, शासकीय स्थायी अधिवक्ता, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त ओ०ए० संख्या-203/2025 में प्रतिवादी संख्या-08 की ओर से Response/Reply दाखिल कराने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी,
बाँदा।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
जालौन ।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,
खनिज भवन, लखनऊ।

पत्र संख्या ९२१ /खनिज-एमएमसी-30

दिनांक: 11 जुलाई 2025

विषय:- गाननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या 540/एम-एनजीटी वाद/2025 दिनांक 13.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन करते हुए प्रकरण में Response/Reply दाखिल किए जाने के सम्बन्ध में प्रकरण से सम्बन्धित सुस्पष्ट आख्या एवं ओ०ए० की प्रति सहित संगत अभिलेख निदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के संगत प्रभावी अंश निम्नवत् है-

4- In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest & Climate Change Department, (2) Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, (3) Central Pollution Control Board through its Member Secretary (4) Uttar Pradesh Pollution Control Board, through its Member Secretary, (5) District Magistrate, Jhanal, (6) District Magistrate, Jalaun; (7) District Magistrate, Hamirpur and (8) District Magistrate, Banda who are impleaded as respondents no 1 to 8. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and fasue notices to respondents no. 1 to 8 requiring them to file their reply/response within two months.

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-203/2025 राम मिलन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में प्रतिवादी सं०-6 की ओर से Response/Reply इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, जालौन

पत्राकं व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- श्री अंकित वर्मा, शासकीय स्थायी अधिवक्ता, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
जालौन

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए०संख्या-203/2025 राम मिलन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के सम्बन्ध में आख्या (Response/Reply):-

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-203/2025 राम मिलन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी है। मा० अधिकरण के पारित आदेश दिनांक-27.05.2025 के कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action- Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh] District Magistrate, Jhansi, District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action- The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months.

7. List on 16.07.2025 for further consideration.

प्रश्नगत ओ०ए० संख्या-203/2025 राम मिलन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या (Response/reply) निम्नवत है :-

2- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में अवगत कराना है कि संयुक्त जांच दिनांक-01.07.2025 को संयुक्त समिति के सदस्यों के समक्ष मौके पर शिकायतकर्ता श्री राम मिलन पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार निवासी मुस्करा जनपद हमीरपुर उ०प्र० उपस्थित हुये। शिकायतकर्ता श्री राम मिलन द्वारा अपना लिखित रूप से बयान प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि 'जनपद जालौन तथा जनपद झांसी के खनन विभाग से मुझे कोई शिकायत नहीं है। जनपद हमीरपुर के खनन क्षेत्र ग्राम बेरी खण्ड संख्या-10/6, ग्राम चण्डीत खण्ड संख्या-21/1 एवं ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/17, 25/18, 25/21 में मुझे पॉकलेन मशीन चलने तथा उत्पन्न गद्दों की शिकायत है। उक्त के अतिरिक्त मुझे कोई अन्य शिकायत नहीं है।'

प्रश्नगत प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 में शिकायतकर्ता का उद्धरित बिन्दु-2 का अंश निम्नवत है-

(1) उपरिलिखित विषय के संदर्भ में विनम्रतापूर्वक उल्लेख करना है कि प्रार्थी पर्यावरण प्रेमी होने के कारण नदियों में हो रहे उत्खनन से होने वाली पर्यावरणीय क्षति के लिये पूर्ण रूप से सचेत होकर कार्य कर रहा है। प्रार्थी ग्राम मुस्करा जनपद-हमीरपुर (उ०प्र०), पिन संख्या-210506 का निवासी है, उसका आधार संख्या-507795407568 निवास के समीपवर्ती क्षेत्र से ही वेतवा नदी, जनपद जालौन से निकलकर हमीरपुर तक जाती है तथा हमीरपुर में यमुना नदी में उसका विलय हो जाता है। इसी प्रकार केन नदी का भी विलय यमुना नदी में हो जाता है। जनपद झांसी, जालौन, हमीरपुर एवं बांदा बालू/मोरम के खनन एवं परिवहन हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में प्रसिद्धि प्राप्त है। वर्तमान में खनन पट्टे ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से स्वीकृत किये जाते हैं, जिसमें यहां के स्थानीय निवासियों से भिन्न स्थानों के निवासी व्यक्ति ऊँची बोली बोलकर, खनन पट्टा प्राप्त करते हैं। बालू/मोरम की ऊँची बोली होने के कारण खनन पट्टे में व्यय की गई लागत और लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से पट्टेदार अवैध खनन एवं परिवहन करने में हिचकते नहीं हैं और अवैध खनन एवं परिवहन प्रोत्साहित होने के कारण खनन पट्टा क्षेत्रों के समीप स्थित क्षेत्र एवं नदी जल धारा में अनावश्यक छेड़-छाड़ कर पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न किया जाता है, जिससे स्थानीय निवासी नदियों का दयनीय स्वरूप देखकर भविष्य में बुरी आशंका के कारण पूर्णतया दुखी हो गये हैं।

(2) इसी संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि मूल रूप से बालू/मोरम का खनन, सूर्य उदय के पूर्व एवं सूर्य अस्त के पश्चात अनुज्ञात नहीं है। भारी मशीनों की मदद से खनन कार्य किया जाना प्रतिबन्धित है। जल स्तर अथवा 03 मीटर की गहराई में से जो भी पहले घटित हो से खनन कार्य किया जाना अनुमत्य नहीं है। खनन क्षेत्रों के समीप स्थित क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने हेतु जल छिड़काव कराने की भी विधिक बाध्यता है, परन्तु पट्टेदार अपने लाभ के लिये उक्त मानकों के अनुसार कभी भी खनन संक्रियाएँ नहीं करते हैं।

(3) इस संबंध में उल्लेखनीय है कि समाचार पत्रों में इसी माह जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चन्दौत के खण्ड संख्या-21/1 में 5170 घन मीटर, ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/18 के पट्टेदार द्वारा समीपवर्ती क्षेत्र 25/17 में 10,500 घन मीटर इसी प्रकार जनपद बांदा में पथरी बालू खदान के खण्ड संख्या-3 में 2166.50 घन मीटर, ग्राम मरौली के खण्ड संख्या-1 में 2991.25 घन मीटर, ग्राम गंछ बालू खदान में 3503 घन मीटर, ग्राम मरौली खुर्द में 1651 घन मीटर, ग्राम खपटिया कला में 1101.50 घन मीटर, एवं ग्राम मरौली खादर के खण्ड संख्या-5 में 2332 घन मीटर बालू/भोरम का अवैध खनन जांच में पायी गयी है।

(4) यह कि प्रार्थी के पास उपरिलिखित सूचनाओं के साक्ष्य के रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रतियां एवं पट्टेदारों द्वारा रात्रि के समय में निर्गत प्रपत्र ई-एमएम-11 की प्रतियां उपलब्ध है, जिन्हें वह प्रस्तुत करने हेतु तैयार है।

(5) यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सारवान विकास' के लिये उप खनिजों की महती आवश्यकता होती है, परन्तु यह प्रयास अपेक्षित है कि पर्यावरण को खनन से कम से कम क्षति पहुंचे, परन्तु रात्रि के समय में अनियमित रूप से अवैध खनन होने से तथा ओवरलोडिड वाहनों के निकलने से पर्यावरण को अपूर्णनीय क्षति पहुंच रही है।

अतः विनम्र प्रार्थना है कि उपरिलिखित तथ्यों की जांच कराने के उपरान्त बालू/भोरम के खनन क्षेत्रों में रात्रि के समय खनन, परिवहन तथा भारी मशीनों के उपयोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने हेतु सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश भिजवाने पर विचार करने की कृपा करें।"

उपरोक्त बिन्दु संख्या-1 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि- जनपद जालौन के नदी तल स्थित SEIAA द्वारा अनुमोदित डी0एस0आर0 के अनुसार खनन क्षेत्रों का परिहार पर व्यवस्थापन उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के प्राविधानों के तहत किया जाता है। अवैध खनन/परिवहन में प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद में टास्क फोर्स गठित है। अवैध खनन/परिवहन पर सूचना मिलने पर टास्क फोर्स द्वारा तत्काल प्रकरण को संज्ञान में लेते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। खनन क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्रों एवं नदी की जलधारा में अनावश्यक छेड़ छाड़ कर पर्यावरण का असंतुलन किये जाने का कोई प्रकरण संज्ञानित नहीं है।

बिन्दु संख्या-2 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि- जनपद जालौन में खनन कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक किया जाता है। सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद खनन कार्य किया जाना संज्ञानित नहीं है। उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम-41(ग) में निम्नलिखित प्राविधानित है कि- "पट्टेदार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट शर्त के अनुसार नदी की जल धारा को छोड़ कर मशीन के सहायता से खनन कार्य कर सकता है और लोडिंग तथा अन लोडिंग के लिये भी मशीन का प्रयोग कर सकता है। जनपद जालौन के खनन पट्टा धारक द्वारा खनन क्षेत्रों के समीप स्थित क्षेत्रों/परिवहन मार्ग में पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने हेतु जल छिड़काव कराया जाता है।

बिन्दु संख्या-3 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि- शिकायत में उल्लिखित प्रकरण जनपद जालौन से सम्बन्धित नहीं है।

बिन्दु संख्या-4 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि- खनन कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य होता है। खनन क्षेत्र नदी तल में स्थित होने में इण्टरनेट का नेटवर्क अच्छा नहीं होता है जिसके कारण पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र के समीप गाव में ई-एमएम-11 निर्गत हेतु कार्यालय स्थापित किया जाता है। उक्त ई-एमएम-11 कार्यालय में तौल मशीन स्थापित कर अनुमन्य मात्रा में खनिज का ई-एमएम-11 निर्गत किया जाता है, जिसके कारण सूर्यास्त के बाद ई-एमएम-11 निर्गत किया जाता है, जो खनन से सम्बन्धित नहीं है। केवल उपखनिज परिवहन से सम्बन्धित है।

बिन्दु संख्या-5 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि-जनपदीय टास्क फोर्स द्वारा नियमित रूप से प्रवर्तन का कार्य किया जाता है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह जून तक 964 प्रकरण सामने आने पर रूपये 486.43लाख वसूली करते हुये राज कोष में जमा कराया गया, साथ ही साथ अवैध खनन के प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही किया गया है।



इसके अतिरिक्त जनपद में अवैध परिवहन में प्रभावी नियंत्रण हेतु तीन चेकगेट स्थापित है। दो और नया चेकगेट का स्थापना की प्रक्रिया प्रचलित है, जिससे अवैध परिवहन के सम्बन्ध में प्रभावी नियंत्रण किया जाना सम्भावित है। दिनांक 01.07.2025 संयुक्त निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता द्वारा बयान दिया गया है कि जनपद जालौन तथा जनपद झांसी के खनन पट्टों तथा जनपद जालौन व झांसी के खनन विभाग से उनको कोई शिकायत नहीं है जिससे स्पष्ट है कि जनपद जालौन में अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि खनन पट्टा क्षेत्रों के लिये निर्गत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में उल्लेख है कि "The mining work will be open&cast and manual/semi mechanized (subject to orders). Heavy machine such as excavator, Scooper etc. should not be employed for mining purpose- No drilling/blasting should be involved at any stage-" उक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-41 (ग) का विवरण निम्नवत है:-

"41 (ग)- पट्टेदार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट शर्त के अनुसार नदी की जलधारा को छोड़कर मशीन की सहायता से खनन कर सकता है और लोडिंग तथा अनलोडिंग के लिये भी मशीन का प्रयोग कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन से पट्टेदार भूमि पर किसी भी मशीनरी, संयंत्र प्रसाधन फर्श भट्टियां, ईट भट्टों, कार्यशाला, मालगोदाम और समान प्रकार के अन्य भवनों का परिनिर्माण तथा निर्माण कर सकता है।"

जनपद में खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र दिये गये शर्तों एवं उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम 41 (ग) के अनुसार Open cast/Semi Mechanized (Manually Operated machines) मशीनों से खनन कार्य किया जाता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) लखनऊ द्वारा जारी पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों में यह उल्लिखित है कि खनन क्षेत्रों में खनन कार्य दिन में ही किया जाये के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध अवगत कराना है कि दिन में खनन क्षेत्रों से उपखनिज बालू/मौरम का खनन कार्य करके बालू/मौरम का परिवहन करने वाले वाहनों में लोडिंग कर कार्टों के समीप खड़ा करा दिया जाता है तथा कुछ उपखनिज की मात्रा को निकालकर पट्टा क्षेत्र में संग्रहित कर लिया जाता है, जिसे रात्रि के समय परिवहन किये जाने वाले वाहनों पर निर्धारित मात्रा के अनुसार लोडिंग करते हुये गन्तव्य स्थान के लिये रवाना कर दिया जाता है साथ ही यह भी अवगत कराना है कि दिन के समय विभिन्न ग्राम, कस्बा, शहरों में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित होने के कारण वाहन चालकों के पक्ष में निर्गत परिवहन पास/ई-एम०एम०-11 में गन्तव्य स्थान हेतु निर्धारित अवधि की समय सीमा समाप्त होने लगती है, जिससे विभिन्न जिलों में अवैध परिवहन/ ओवरलोडिंग हेतु लगाये गये विभिन्न चेक गेट्स तथा प्रवर्तन दलों द्वारा वाहनों का चालान हो जाता है, जिस कारण से वाहन स्वामी/उपखनिज परिवहनकर्ता दिन के समय परिवहन कम करते हैं जबकि रात्रि के समय में ज्यादातर परिवहन का कार्य वाहनों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण रात्रि के समय में परिवहन पास/ई-एम०एम०-11 जनित किया जाता है। रात्रि में खनन का कार्य नहीं किया जाता है।

पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्त के अनुसार नदी की जलधारा छोड़कर खनन कार्य किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021के नियम-42 (ज) में उल्लेख किया गया है कि 42 (ज) (1) पट्टेदार नदी तल में तीन मीटर की गहराई अथवा जलरतर जो भी कम हो, के परे कोई खनन संक्रियायें नहीं करेगा। और कोई खनन, जिलाधिकारी द्वारा ऐसे परीक्षण किये गये सुरक्षा क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।" प्रतिबन्ध यह है कि कोई खनन, जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि की सहायता से नहीं किया जायेगा।"


नदी जलधारा में खनन कार्य प्रतिबन्धित रहता है एवं जनपद में गठित टास्क फोर्स द्वारा जनपद में संचालित किसी भी खनन पट्टा क्षेत्र में जलधारा में खनन कार्य न हो न ही किसी प्रकार का अवैध खनन हो के सम्बन्ध में सतत निगरानी किया जाता है साथ ही साथ अगर किसी भी खनन क्षेत्र में जलधारा/लिफ्टर आदि मशीन लगाकर खनन किया जाता है तो सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाता है।




यह भी अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन पर सतर्क दृष्टि रखते हुये जनपद के स्वीकृत समस्त खनन क्षेत्रों का समय-समय पर जांच किया जाता है किसी भी प्रकार का अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाता है तथा जनपद में अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण रोकथाम हेतु जनपद स्तर/तहसील स्तर पर टास्कफोर्स का गठन किया गया है, जिसके द्वारा निरन्तर प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है। जनपद के स्वीकृत/संचालित खनन क्षेत्रों से गुजरने वाले वाहनों की निगरानी रखने हेतु वे-ब्रिज सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित कराया गया है, जो निदेशालय स्थित Central Command Centre से Integrated है। जनपद में संचालित खनन क्षेत्रों में पी0टी0जेड0 कैमरा/सीमास्तम्भ/Geo-fencing किया गया है। अवैध खनन/ परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण रोकथाम हेतु मानव रहित AI Based 03Check Gat मण्डी समिति कालपी के पास, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे डकोर कट पर व बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे बगरा कट पर स्थापित कराया गया है, जो आधुनिक कैमरा और RFID Scanner युक्त है, जो भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ स्थित Central Command Centre से Integrated है। चेक गेट के माध्यम से उपखनिजों के अवैध परिवहन करने वाले वाहनो का आटोमेटिक पहचान के उपरान्त नोटिस निर्गत किया जाता है। जनपद में वित्तीय वर्ष- 2025-26 में अवैध खनन/परिवहन/ओवरलोडिंग के 964 वाहन अवैध परिवहन के मामले में पाये जाने पर रू0 486.43 लाख वसूली करते हुये राजकोष में जमा कराया गया, साथ ही साथ अवैध खनन के प्रकरणो में नियमानुसार कार्यवाही किया गया है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(जी0के0 दत्ता)
खान अधिकारी,
जालौन


(संजय कुमार)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
जालौन


(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, जालौन

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
हमीरपुर।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०
खनिज भवन लखनऊ।

संख्या- 657 / खनिज-एसओएम०सी-सीस-निधि (2023-24) दिनांक- 11/07/2025

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०एस० संख्या-203/2025 राम गिलन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-540/एम०-एन०जी०टी०-याद/2025 दिनांक-13.06.2025 का सम्पर्क ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०एस० संख्या-203/2025 राम गिलन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-27.05.2025 के कार्यवाही अंश निम्नवत है :-

...4. in view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest & Climate Change Department; (2) Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, (3) Central Pollution Control Board through its Member Secretary, (4) Uttar Pradesh Pollution Control Board, through its Member Secretary; (5) District Magistrate, Jhansi; (6) District Magistrate, Jalaun; (7) District Magistrate, Hamirpur and (8) District Magistrate, Banda who are impleaded as respondents no. 1 to 8. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 8 requiring them to file their reply/response within two months.

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश दिनांक-27.05.2025 के अनुपालन में दो माह में प्रतिवादी संख्या-1 से 8 की ओर से Response/Reply दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक-27.05.2025 के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या-07 की ओर से Response/Reply इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(धनश्याम भीमा)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर

प्रतिलिपि- श्री अविनाश वर्मा, शासकीय स्थायी अधिकता, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
को सूचनाार्थ सूचनाार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
हमीरपुर

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0संख्या-203/2025 राम मिलन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में आख्या (Response/Reply) :-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0संख्या-203/2025 राम मिलन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है। मा0 अधिकरण के पारित आदेश दिनांक-27.05.2025 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months.

7. List on 16.07.2025 for further consideration.

प्रश्नगत ओ0ए0 संख्या-203/2025 राम मिलन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या (Response/reply) निम्नवत है :-

1- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक-27.05.2025 के अनुपालन में जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या-544/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-20.06.2025 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर की ओर से खान अधिकारी हमीरपुर को उक्त समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संयुक्त जांच दिनांक-01.07.2025 को संयुक्त समिति के सदस्यों के समक्ष मौके पर शिकायतकर्ता श्री राम मिलन पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार निवासी-मुस्करा जनपद हमीरपुर उ0प्र0 उपस्थित हुये। शिकायकर्ता श्री राम मिलन द्वारा अपना लिखित रूप से बयान प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि "जनपद जालौन तथा जनपद झांसी के खनन विभाग से मुझे कोई शिकायत नहीं है। जनपद हमीरपुर के खनन क्षेत्र ग्राम बेरी खण्ड संख्या-10/6, ग्राम चण्डौत खण्ड संख्या-21/1 एवं ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/17, 25/18, 25/21 में मुझे पोकलेन मशीन चलने तथा उत्पन्न गद्दों की शिकायत है। उक्त के अतिरिक्त मुझे कोई अन्य शिकायत नहीं है।"

3- उपरोक्त के अनुक्रम में संयुक्त जांच समिति द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-01.07.2025 को शिकायकर्ता के साथ मा0 हरित अधिकरण के ओ0ए0 संख्या-203/2025 में उल्लिखित खनन क्षेत्रों तथा उनमें उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में स्थलीय जांच की गयी। स्थलीय जांच के दौरान उल्लिखित खनन क्षेत्रों में जांच के उपरान्त याची/शिकायतकर्ता द्वारा अपने अभिलिखित कथन में यह अवगत कराया है कि "मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-203/2025 राममिलन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 हरित अधिकरण के आदेश दिनांक-27.05.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा मा0 हरित अधिकरण के आदेश दिनांक-27.05.2025 में उल्लिखित खनन क्षेत्रों जनपद हमीरपुर व जनपद बांदा की जांच शिकायतकर्ता श्री राममिलन पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी निवासी-ग्राम व पोस्ट मुस्करा थाना मुस्करा तहसील मौदहा जनपद हमीरपुर की उपस्थिति में किया गया। जांच के समय पाया गया कि पिछले एक सप्ताह से बरसात हो जाने के कारण उल्लिखित क्षेत्र जलमग्न हो गये हैं तथा क्षेत्रों में जलधारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण कोई भी खनन का गद्दा परिलक्षित नहीं हो रहा है और न ही किसी प्रकार की मशीनों से खनन ही हो रहा है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि लगभग एक सप्ताह से बारिश ज्यादा हो जाने के कारण खनन क्षेत्र तक पहुँचने वाले रास्ते भी जलमग्न हो गये हैं। साथ ही साथ शिकायतकर्ता श्री राम मिलन द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में अगर भारी पोकलेन मशीन या अन्य अनियमितता की जाती है, तो सम्बन्धित जनपद के खनन विभाग व मा0 हरित अधिकरण को सूचित करेंगे।"

4- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के उक्त आदेश के अनुपालन में जनपद हमीरपुर के खनन क्षेत्र क्रमशः (1) तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6, (2) तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1, (3) तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जितकरी

के खण्ड संख्या-25/17, 25/18 एवं 25/21 के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या व अभिलेखीय तथ्य निम्नवत है :-

- (i) **ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6-** यह कि खनन पट्टा मे0 कॅवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 निदेशक श्री कॅवर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी-डी-19 सेक्टर-40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 व शिवानी सिंह पुत्री श्री अनिल कुमार सिंह पता-हाउस नं0-208 गली नं0-13 लिबर्टी शोरुम के पास भीकम कालौनी, बल्लबगढ़ फरीदाबाद हरियाणा के पक्ष में तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी खण्ड संख्या-10/6 रकबा-36.437 हे0 क्षेत्र पर बालू/मौरम खनन हेतु वार्षिक मात्रा-5,82,912 घन मीटर हेतु दिनांक-09.11.2023 से 08.11.2028 तक की अवधि के लिये स्वीकृत था। खान अधिकारी हमीरपुर द्वारा खनन क्षेत्र की जांच दिनांक-24.06.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1238.3 घन मीटर बालू/मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-551/खनिज-एम0एम0सी- तीस-विविध (2023-24) दिनांक-05.07.2024 निर्गत करते हुये अर्थदण्ड रु0-11,14,470/-आरोपित किया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या-233/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-23.07.2024 (संलग्नक-1) द्वारा अवैध खनन किये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। तहसीलदार हमीरपुर, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-23.12.2024 को जांच की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-1418/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2023-24) दिनांक-26.12.2024 (संलग्नक-2) द्वारा अर्थदण्ड रु0-5,00,000/-आरोपित किया गया। उक्त क्षेत्र की पुनः जांच उपजिलाधिकारी हमीरपुर, क्षेत्राधिकारी हमीरपुर एवं खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-27.02.2025 को की गयी जिसमें पट्टाधारक द्वारा 663 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-1816/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-10.03.2025 (संलग्नक-3) द्वारा अर्थदण्ड रु0-5,96,700/-आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि खनन क्षेत्र में लगे वे-ब्रिज के माध्यम से दिनांक-09.11.2025 से 05.04.2025 तक निकासी किये गये उपखनिज के अवैध परिवहन किये जाने के कारण 356 वाहनों पर कुल रु0-1,52,74,484/- धनराशि आरोपित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र को ससमय किश्त की धनराशि न जमा किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश संख्या-141/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-24.04.2025 द्वारा खनन पट्टा निरस्त करते हुये देय बकाया धनराशि ससमय जमा करने हेतु तथा ससमय न जमा किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली मू-राजस्व की भाँति वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
- (ii) **ग्राम चण्डौत खण्ड संख्या 21/1-** यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 ओम प्रकाश राम अवतार प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच0 ब्लॉक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 रकबा-16.00 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 2,40,000 घन मीटर खनन हेतु दिनांक-09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत खनन क्षेत्र की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, तहसीलदार सरीला जनपद हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-19.03.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 6425 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-39/खनिज- एम0एम0सी-तीस-विविध (2023-24) दिनांक-04.04.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0-58,32,500/-आरोपित किया गया है। तत्पश्चात बकाया धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या-623/खनिज- एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-20.07.2024 (संलग्नक-4) द्वारा अधिरोपित करते हुये धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक-15.06.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1350 घन मीटर का अवैध खनन पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-381/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-22.06.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0-12,15,000/-आरोपित किया गया

है। तत्पश्चात् बकाया धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या-230/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-23.07.2024 (संलग्नक-5) द्वारा अधिरोपित करते हुये धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, नायब तहसीलदार सरीला, चौकी प्रभारी चण्डौत, लेखपाल चण्डौत डाढ़ा द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-18.11.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 5169.6 घन मीटर का अवैध खनन किया गया तथा खनन क्षेत्र में सी0सी0सी0टी0 कैमरा नहीं लगाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-1226/खनिज-एम0एम0सी- तीस-विविध (2024-25) दिनांक-26.11.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0-51,02,640/- आरोपित किया गया। तत्पश्चात् पट्टाधारक द्वारा बकाया धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या-1459/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-30.12.2024 (संलग्नक-6) द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 505 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-189/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-07.05.2025 (संलग्नक-7) द्वारा रु0-4,54,500/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। उक्त क्षेत्र की पुनः जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल चण्डौत द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-27.04.2025 की गयी, जिसमें पट्टाधारक द्वारा कुल 1900 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-236/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-15.05.2025 (संलग्नक-8) द्वारा अर्थदण्ड रु0-17,10,000/- आरोपित किया गया है।

- (iii) ग्राम इछौरा जितकरी खण्ड संख्या 25/17- यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 रेवा शुगर इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 निदेशक रसमीत सिंह मल्होत्रा पुत्र श्री अजीत सिंह मल्होत्रा पता-पोस्ट व तहसील पिपरिया नेहरुवाड नं0-13 अल्का टाकीज के पास पिपरिया हौशंगाबाद म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/17 रकबा-12.145 हे0 वार्षिक आकलित मात्रा-1,94,296 घन मीटर हेतु कार्यालय के पत्र संख्या-1737/खनिज-एम0एम0सी- तीस-विविध (2022-23) दिनांक-21.02.2023 द्वारा आशय पत्र (LoI) निर्गत किया गया है। उक्त खनन पट्टा वर्तमान समय में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया में है। वर्तमान में प्रश्नगत क्षेत्र में खनन कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।
- (iv) ग्राम इछौरा जितकरी खण्ड संख्या 25/18- यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 निदेशक चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया निवासी-9ए पैरामाउण्ट विला श्यामला हिल्स नियर, रीजनल कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/18 रकबा-8.180 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 1,30,864 घन मीटर खनन हेतु दिनांक-16.03.2024 से 15.03.2029 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक हमीरपुर, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1820 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-382/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-22.06.2024 (संलग्नक-9) द्वारा अर्थदण्ड रु0-16,38,000/- आरोपित किया गया है। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-12.12.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक 10500 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-1348/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-12.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0-94,50,000/- आरोपित किया गया है। तत्पश्चात् आदेश संख्या-1557/ खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-22.01.2025 (संलग्नक-10) द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। प्रश्नगत खनन क्षेत्र की जांच उपजिलाधिकारी सरीला, क्षेत्राधिकारी

सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-11.02.2025 को की गयीं जांच में पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्दर खनन कार्य करते हुये पाया गया। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 650 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-196/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-07.05.2025 (संलग्नक-11) द्वारा रु0-5,85,000/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

- (v) **ग्राम इछौरा जितकरी खण्ड संख्या 25/21-** यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी-233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भेंवरकुँआ इन्दौर जी0पी0 म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 रकबा-17.731 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 2,83,661 घन मीटर खनन हेतु दिनांक-11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत खनन क्षेत्र की जांच अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), हमीरपुर, उपजिलाधिकारी सरीला, खान अधिकारी हमीरपुर, क्षेत्रीय वनाधिकारी सरीला द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-22.11.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा न लगाये जाने के कारण 12 दिन की शास्ति रु0-3,00,000/- आरोपित की गयी है। तत्पश्चात् पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या-1458/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-30.12.2024 (संलग्नक-12) द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-12.12.2024 को की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-15.01.2025 को की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, उपनिरीक्षक थाना चिकासी, राजस्व निरीक्षक सरीला एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-30.01.2025 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1125 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-1732/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-27.02.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0-15,12,500/- आरोपित किया गया है। तत्पश्चात् पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या-1923/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-28.03.2025 (संलग्नक-13) द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। उपजिलाधिकारी सरीला, क्षेत्राधिकारी सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-06.03.2025 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। नदी की जलधारा में खनन कार्य होना नहीं पाया गया। खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा क्षेत्र की जांच दिनांक-19.04.2025 को की गयी। जांच में 06 Suction Pump Machine/Lifter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये जाने पर उक्त मशीनों को सम्बन्धित थानों की सुपुर्दगी में देते हुये पत्र संख्या-101/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-19.04.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0-30,00,000/- आरोपित किया गया है। तत्पश्चात् पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या-276/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-28.05.2025 (संलग्नक-14) द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 300 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-197/खनिज-

5- उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि खनन पट्टा क्षेत्रों के लिये निर्गत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में उल्लेख है कि "The mining work will be open-cast and manual/semi mechanized (subject to orders). Heavy machine such as excavator, Scooper etc. should not be employed for mining purpose. No drilling/blasting should be involved at any stage." उक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-41(ग) का विवरण निम्नवत है :-

"41(ग)- पट्टेदार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट शर्त के अनुसार नदी की जलधारा को छोड़कर मशीन की सहायता से खनन कर सकता है और लोडिंग तथा अनलोडिंग के लिये भी मशीन का प्रयोग कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन से पट्टेदार भूमि पर किसी भी मशीनरी, संयंत्र प्रसाधन फर्श भट्टियां, ईट भट्टों, कार्यशाला, मालगोदाम और समान प्रकार के अन्य भवनों का परिनिर्माण तथा निर्माण कर सकता है।"

जनपद में खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र दिये गये शर्तों एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-41(ग) के अनुसार Open cast/Semi Mechanized (Manually Operated machines) मशीनों से खनन कार्य किया जाता है।

6- राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) लखनऊ द्वारा जारी पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों में यह उल्लिखित है कि खनन क्षेत्रों में खनन कार्य दिन में ही किया जाये के निर्देश दिये गये है। इस सम्बन्ध अवगत कराना है कि दिन में खनन क्षेत्रों से उपखनिज बालू/मौरम का खनन कार्य करके बालू/मौरम का परिवहन करने वाले वाहनों में लोडिंग कर कार्टों के समीप खड़ा करा दिया जाता है तथा कुछ उपखनिज की मात्रा को निकालकर पट्टा क्षेत्र में संग्रहित कर लिया जाता है, जिसे रात्रि के समय परिवहन किये जाने वाले वाहनों पर निर्धारित मात्रा के अनुसार लोडिंग करते हुये गनतव्य स्थान के लिये रवाना कर दिया जाता है साथ ही यह भी अवगत कराना है कि दिन के समय विभिन्न ग्राम, कस्बा, शहरों में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित होने के कारण वाहन चालको के पक्ष में निर्गत परिवहन पास/ई-एम0एम0-11 में गनतव्य स्थान हेतु निर्धारित अवधि की समय-सीमा समाप्त होने लगती है, जिससे विभिन्न जिलों में अवैध परिवहन/ ओवरलोडिंग हेतु लगाये गये विभिन्न चेक गेट्स तथा प्रवर्तन दलों द्वारा वाहनों का चालान हो जाता है, जिस कारण से वाहन स्वामी/उपखनिज परिवहनकर्ता दिन के समय परिवहन कम करते है जबकि रात्रि के समय में ज्यादातर परिवहन का कार्य वाहनों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण रात्रि के समय में परिवहन पास/ई-एम0एम0-11 जनित किया जाता है। रात्रि में खनन का कार्य नहीं किया जाता है।


7- पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्त के अनुसार नदी की जलधारा छोड़कर खनन कार्य किये जाने के निर्देश दिये गये है तथा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) में उल्लेख किया गया है कि "42(ज)(1)- पट्टेदार नदी तल में तीन मीटर की गहराई अथवा जलस्तर जो भी कम हो, के परे कोई खनन सक्रियायें नहीं करेगा। और कोई खनन, जिलाधिकारी द्वारा ऐसे परीक्षण किये गये सुरक्षा क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।" प्रतिबन्ध यह है कि कोई खनन, जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि की सहायता से नहीं किया जायेगा।"

नदी जलधारा में खनन कार्य प्रतिबन्धित रहता है एवं जनपद में गठित टास्क फोर्स द्वारा जनपद में संचालित किसी भी खनन पट्टा क्षेत्र में जलधारा में खनन कार्य न हो न ही किसी प्रकार का अवैध खनन हो के सम्बन्ध में सतत निगरानी किया जाता है साथ ही साथ अगर किसी भी खनन क्षेत्र में जलधारा/लिफ्टर आदि मशीन लगाकर खनन किया जाता है तो सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाता है।


5- उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन पर सतर्क दृष्टि रखते हुये जनपद के स्वीकृत समस्त खनन क्षेत्रों का समय-समय पर जांच किया जाता है किसी भी प्रकार का अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाता है तथा जनपद में अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण रोकथाम हेतु जनपद स्तर/तहसील स्तर पर टास्कफोर्स का गठन किया गया है, जिसके द्वारा निरन्तर प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है। जनपद के स्वीकृत/संचालित खनन क्षेत्रों से गुजरने वाले वाहनों की निगरानी रखने हेतु

वे-ब्रिज/सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित कराया गया है, जो निदेशालय स्थित Central Command Centre से Integrated है। जनपद में स्वीकृत/संचालित खनन क्षेत्रों में पी0टी0जेड0 कैमरा/सीमास्तम्भ/Geo-fencing किया गया है। अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण रोकथाम हेतु मानव रहित AI Based O2 Check Gate स्थान लक्ष्मीबाई तिराहा से यमुना पुल के मध्य तथा ग्राम चिकासी बेतवा पुल के मध्य स्थापित कराया गया है, जो आधुनिक कैमरा और RFID Scanner युक्त है, जो भूतत्त्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ स्थित Central Command Centre से Integrated है। चेक गेट के माध्यम से उपखनिजों के अवैध परिवहन करने वाले वाहनों का आटोमेटिक पहचान के उपरान्त नोटिसा निर्गत किया जाता है। जनपद में वित्तीय वर्ष-2024-25 व 2025-26 में अवैध खनन/परिवहन/ओवरलोडिंग के 2689 वाहन सम्बन्धित मामलों में शमन की कार्यवाही करते हुये ₹0-12,34,95,984/-राजकीय कोष में जमा कराया गया है इसके अतिरिक्त समय-समय पर जांच में पाये गये अवैध खनन के 53 मामलों से कुल ₹0-2,85,12,500/-आरोपित करते हुये कार्यवाही की गयी है। जनपद में अवैध भण्डारण के 05 मामलों से ₹0-37,19,300/-की शास्ति आरोपित किया गया है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।


(विकास सिंह परमार)
खान अधिकारी,
हमीरपुर


(विजय शंकर तिवारी)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
हमीरपुर


(धनश्याम मीना)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर

संलग्नक-1

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या- 233 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 23-07, 2024

आदेश

मै0 कंवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 निदेशक श्री कंवर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी-डी-19 सेक्टर-40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 रकबा-36.437 हे0 क्षेत्र में 5,82,912 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-254/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.11.2023 से 08.11.2028 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की खान अधिकारी, हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-24.06.2024 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

"मै0 कंवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 निदेशक कंवर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी-डी-19 सेक्टर-40 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 के पक्ष में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 के पट्टाधारक/संचालक द्वारा अपने क्षेत्र के पूरब दिशा में पिलर संख्या-बी के बगल में वाहनों के आवागमन हेतु बने रास्ते के पूरब दिशा में अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 1.8 मीटर मिट्टी की ऊपरी परत हटाकर 0.7 मीटर गहराई : 61 मीटर लम्बाई : 29 मीटर चौड़ाई में कुल 1238.3 घन मीटर बालू/मौरम का अवैध खनन हो पाया गया।"


पट्टाधारक द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-03 व 21 का उल्लंघन एवं नियम-58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र बाहर अवैध खनन किये जाने पर नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 1238.3 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-1,85,745/- (रुपये एक लाख पचासी हजार सात सौ पैतालिस मात्र), बाजार मूल्य रु0-9,28,725/- (रुपये नौ लाख अठ्ठाइस हजार सात सौ पच्चीस मात्र) कुल रु0-11,14,470/- (रुपये ग्यारह लाख चौदह हजार चार सौ सत्तर मात्र) की देयता बनती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 कंवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 निदेशक श्री कंवरपाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी-डी-19 सेक्टर 40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 को कार्यालय के पत्र संख्या-551/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2023-24) दिनांक-05.07.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। परन्तु पट्टाधारक द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक-05.07.2024 के क्रम में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत पट्टाधारक को अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है।


2

अतः पट्टा क्षेत्र तहसील हमीरपुर ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 क्षेत्रफल-36.437 हे० पर 1238.3 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण रायल्टी व खनिज मूल्य की कुल धनराशि रु०-11,14,470/- (रुपये ग्यारह लाख चौदह हजार चार सौ सत्तर मात्र) आरोपित की जाती है। उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक-0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होंगे।


23/07/24
(राहुल पाण्डेय)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- मै० कंवर इण्टर प्राईजेज प्रा०लि० निदेशक श्री कंवरपाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी-डी-19 सेक्टर 40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ०प्र०।


23/07/24
जिलाधिकारी
हमीरपुर


29/07/2024

संलग्नक-2

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या- 1418 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2023-24)

दिनांक- 26/12/2024

मै0 कंवर इण्टर प्राइजेज प्रा0लि0,
निदेशक श्री कंवर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह,
निवासी-डी-19 सेक्टर-40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 में स्थित 36.437 हे0 क्षेत्र में 5,82,912 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-254/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.11.2023 से 08.11.2028 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की तहसीलदार हमीरपुर, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-23.12.2024 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

"जांच में पाया गया कि ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 जो ग्राम इन्द्रपुरी के तरफ स्थित है। जांच में खनन क्षेत्र में सीमास्तम्भ लगे पाये गये व पी0टी0जेड0/सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा पाया गया। पट्टाधारक अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्दर खनन कार्य करते हुये पाये गये परन्तु पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में नदी की जलधारा में खनन कार्य किया जाना पाया गया तथा खनन पट्टा क्षेत्र के पूरब दिशा में खण्ड संख्या-10/6 के पट्टाधारक द्वारा रिक्त पड़े खण्ड संख्या-10/5 के क्षेत्र में परिवहन हेतु रास्ता बनाया गया है, जबकि अवैध खनन नहीं किया गया है। पट्टाधारक प्रतिनिधि को मौके पर निर्देशित किया गया कि अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में खनन/परिवहन कार्य करें।"

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) का उल्लंघन एवं नियम-60(4) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। आप द्वारा नदी की जलधारा में खनन कार्य किये जाने पर नियमावली-2021 के नियम-60(4) के अन्तर्गत कुल रु0-5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा जलधारा में खनन किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
हमीरपुर

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
हमीरपुर

1410

बीमा नहीं/NOT INSURED

पुस्तक संख्या 1418

क्रमांक/No-18809820374

197

Amount of Stamps affixed

एक रजिस्ट्री

Received & Registered

पाने वाले का नाम/Addressed to

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

Signature of Receiving Officer

उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

संलग्नक-3

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या- 1816 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विधि (2024-25)

दिनांक- 18/03/2025

मै0 कंवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0,

निदेशक, कंवर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह,

निवासी-अनिल कुमार सिंह पता-हाउस नं0-208 गली नं0-13

लिपटी शोरुप के पास, भीकम कालौनी, बल्लबगढ़ फरीदाबाद हरियाणा।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6 में स्थित 36.437 हे0 क्षेत्र में 5,82,912 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-254/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.11.2023 से 08.11.2028 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त खनन क्षेत्र की जांच उपजिलाधिकारी हमीरपुर, क्षेत्राधिकारी हमीरपुर एवं खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-27.02.2025 को की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमितताएँ पायी गयी है:-

"जांच के समय ग्राम इन्द्रपुरी के खण्ड संख्या-10/6 के पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के पूर्व दिशा में अवैध खनन होने के साक्ष्य पाये गये, जिसका विवरण निम्नवत है :-

1- जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°877344" N 79°926649"E व 25°877222" N 79°925862"E के मध्य 79X28X0.3 =663 घन मीटर

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा कुल 663 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। नदी की जलधारा में खनन होना नहीं पाया गया।"

आपका उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 का उल्लंघन एवं नियम-58 व 21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 663 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-99,450/- (रुपये निम्नयानवे हजार चार सौ पचास मात्र) तथा खनिमूल्य मूल्य रु0-4,97,250/- (रुपये चार लाख सत्तानवे हजार दो सौ पचास मात्र) कुल रु0-5,96,700/- (रुपये पांच लाख छियानवे हजार सात सौ मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आप द्वारा अवैध खनन किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(धनश्याम श्रीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

(धनश्याम श्रीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर
1602

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खानन अनुभाग)

संख्या - 623 / सनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 20-07-2024

आदेश

मै0 ओम प्रकाश राम अवतार, प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 में स्थित 16.00 हे0 क्षेत्र में 2,40,000 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-1000/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की जांच खान अधिकारी, हमीरपुर, तहसीलदार सरीला, राजस्व निरीक्षक चण्डौत डाडा एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-19.03.2024 को की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

“जांच के समय खनन क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी मौके से वाहन छोड़कर भाग गये तथा पट्टाधारक भी मौके पर उपस्थित नहीं हुआ, जिसके पश्चात् प्रश्नगत क्षेत्र की जांच की गयी। जांच के समय स्वीकृत क्षेत्र से बाहर पूरब दिशा में कोडिनेट्स संख्या-N-25°54'21.031" E-79°39'8.568" के पास 6424.78 वर्ग मीटर में औसतन 1.00 मीटर गहराई में कुल 6425 घन मीटर मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जांच के समय खनन क्षेत्र के पूरब दिशा में पिलर संख्या-बी व सी स्थापित नहीं पाया गया तथा खनन क्षेत्र में लगे वे-ब्रिज व कैमरे की जांच के समय वे-ब्रिज पर स्थापित कैमरे लगे पाये गये किन्तु उनकी दिशा नीचे की तरफ झुकी पायी गयी, जिससे वाहन पर भरी मौरम की मात्रा दिखाई नहीं दे रहा था, जिसको सही करने के लिये वे-ब्रिज पर उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि कैमरे को इस प्रकार से स्थापित करे कि कैमरे में वाहन संख्या के साथ-साथ वाहन पर भरे मौरम भी स्पष्ट नजर आये तथा दोनों पिलर को तत्काल लगाते हुये, उनके फोटोग्राफ कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। उक्त क्षेत्र के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर-6425 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है।”

पट्टाधारक का उक्त उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 का उल्लंघन एवं नियम-58 व 21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व नियम-36(1) तथा नियम-60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 6425 घन मीटर बालू/मौरम की रायल्टी रु0-9,63,750/- (रुपये नौ लाख तिरसठ हजार सात सौ पचास मात्र) तथा बाजार मूल्य रु0 48,18,750/- (रुपये अठ्ठास लाख अठ्ठास हजार सात सौ पचास मात्र) तथा पिलर न लगाने के कारण नियम-60 के अन्तर्गत रु0-50,000/- अर्थात् कुल रु0-58,32,500/- (रुपये अठ्ठावन लाख बत्तीस हजार पाँच सौ मात्र) की देयता बनती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 ओम प्रकाश राम अवतार को कार्यालय के पत्र संख्या-39/सनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2023-24) दिनांक-04.04.2024 द्वारा कारण बताओ


नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उक्त नोटिस दिनांक-04.04.2024 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक-10.04.2024 प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "निरीक्षण की सूचना, निरीक्षण की प्रति उपलब्ध कराया जाना तथा विश्वसनीय साक्ष्यों का एकत्रीकरण किये जाने के उपरान्त ही किसी पट्टेदार को अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओं नोटिस दिया जाना वैधानिक होता है, परन्तु विषयगत प्रकरण में न तो पट्टेदार को निरीक्षण करने की कोई सूचना दी गई और न ही निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध कराई गयी और कारण बताओं नोटिस दिनांक-04.04.2024 में कोई विश्वसनीय साक्ष्य का उल्लेख किये बिना स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के गढ़दे/निशान पाये जाने पर समीपवर्ती पट्टेदार पर कल्पना के आधार पर अवैध खनन का आरोप अधिरोपित किया गया है, जो मा० न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अन्तर्गत अनुबन्ध नहीं है। उपरिलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये स्पष्टीकरण पर विचार कर कारण बताओं नोटिस दिनांक-04.04.2024 को निक्षेपित करने की कृपा करें।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक-10.04.2024 में मुख्य रूप से अवैध खनन को नकारा गया है, जबकि ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, तहसीलदार सरीला, राजस्व निरीक्षक चण्डौत डाडा एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक-19.03.2024 को संयुक्त रूप से की गयी। जांच के समय स्वीकृत क्षेत्र से बाहर पूरब दिशा में कोडिनेट्स संख्या-N-25054'21.031" E-79039'8.568' के पास 6424.78 वर्ग मीटर में औसतन 1.00 मीटर गहराई में कुल 6425 घन मीटर मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जांच के समय खनन क्षेत्र के पूरब दिशा में पिलर संख्या-बी व सी स्थापित नहीं पाया गया तथा खनन क्षेत्र में लगे वे-ब्रिज व कैमरे की जांच के समय वे-ब्रिज पर स्थापित कैमरे लगे पाये गये किन्तु उनकी दिशा नीचे की तरफ झुकी पायी गयी, जिससे वाहन पर भरी मौरम की मात्रा दिखाई नहीं दे रहा था, जिसको सही करने के लिये वे-ब्रिज पर उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित भी किया गया कि कैमरे को इस प्रकार से स्थापित करें कि कैमरे में वाहन संख्या के साथ-साथ वाहन पर भरे मौरम भी स्पष्ट नजर आये तथा दोनो पिलर को तत्काल लगाते हुये उनके फोटोग्राफ कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। उक्त क्षेत्र के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर-6425 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। इसके अतिरिक्त खनन पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र की जांच आख्या की मांग की गयी है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि संयुक्त जांच टीम की आख्या दिनांक-19.03.2024 का सम्पूर्ण उल्लेख कारण बताओं नोटिस संख्या-39/खनिज दिनांक-04.04.2024 में स्पष्ट रूप से किया गया है, अलग से जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि खनन क्षेत्र में अवैध खनन मात्र कल्पना के आधार पर लगाया गया है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि खण्ड संख्या-21/1 की जांच के समय खनन क्षेत्र में खण्ड संख्या-21/1 के पट्टाधारक/संचालक द्वारा अवैध खनन करने के कारण ही जांच टीम द्वारा नियमानुसार जांच कर अवैध खनन की पुष्टि की गयी है। पट्टाधारक के कार्यालय के पत्र दिनांक-06.03.2024 द्वारा उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36 के अन्तर्गत पिछले 30 दिनों का सी0सी0टी0वी0 कैमरा व आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर का अट्टा मांगा गया, किन्तु पट्टाधारक द्वारा जानबूझकर अवैध खनन/परिवहन की गतिविधियों


का साक्ष्य छुपाये जाने के उद्देश्य से उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक-10.04.2024 में उल्लिखित कथन तथ्यहीन/बलहीन पाये जाने के आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक-10.04.2024 को निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

अतः पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 क्षेत्रफल-16.00 हे० पर 6425 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण रायल्टी व खनिज मूल्य तथा पिलर न लगाये जाने के कारण नियम-60 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति कुल धनराशि रु०-58,32,500/- आरोपित की जाती है। उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक-0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होंगे।


20/04/24
(राहुल पाण्डेय)
जिलाधिकारी
९/हमीरपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- नै० ओम प्रकाश राम अवतार, प्र० श्रीमती रेनु गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच० ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ०प्र०।


20/04/24
जिलाधिकारी
९/हमीरपुर

21/04/24
22/07/24

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या- 230 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 23-07-2024

आदेश

मै0 ओम प्रकाश राम अवतार, प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 में स्थित 16.00 हे0 क्षेत्र में 2,40,000 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-1000/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त खनन क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-15.06.2024 को की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

“जांच के समय ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 के बाहर लगभग 690 मीटर पूरब दिशा में 02 स्थानों पर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

- 1-जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°54'17.33" N 79°39'29.16"E के आसपास 50X15X1 =750 घन मीटर
- 2-जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°54'17.43" N 79°39'28.31"E के आसपास 40X15X1 =600 घन मीटर

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा कुल 1350 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। नदी की जलधारा में खनन होना नहीं पाया गया।”

पट्टाधारक उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 का उल्लंघन एवं नियम-58 व 21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 1350 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-2,02,500/- (रुपये दो लाख दो हजार पांच सौ मात्र) तथा बाजार मूल्य रु0-10,12,500/- (रुपये दस लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) कुल रु0-12,15,000/- (रुपये बारह लाख पन्द्रह हजार मात्र) की देयता बनती है।


उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 ओम प्रकाश राम अवतार को कार्यालय के पत्र संख्या-381/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2023-24) दिनांक-22.06.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

R

उक्त नोटिस दिनांक-22.06.2024 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक-17.07.2024 प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "उक्त अवैध खनन का आरोप मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता को अस्वीकार है। मैंने अपने पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कोई अवैध खनन नहीं किया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी के खण्ड में जांच टीम ने न तो कोई खनन करते हुये किसी को देखा है और न ही खनन में प्रयोग की जाने वाली मशीनों को पकड़ा है। कारण बताओं नोटिस में जो 690 मीटर दूर पूरब दिशा में अवैध खनन दर्शाया गया है वह प्रार्थी व प्रार्थी के किसी भी कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कारण बताओं नोटिस के साथ निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गई है। निरीक्षण की सूचना निरीक्षण की प्रति उपलब्ध कराये जाना तथा विश्वसनीय साक्ष्यों का एकत्रीकरण किये जाने के उपरान्त ही किसी पट्टेदार को अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओं नोटिस दिया जाना वैधानिक होता है, परन्तु विषयगत प्रकरण में न तो पट्टेदार को निरीक्षण करने की कोई सूचना दी गयी और न ही निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध करायी गई और कारण बताओं नोटिस दिनांक-22.06.2024 में कोई विश्वसनीय साक्ष्य को उल्लेख किये बिना स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के गढ़े/निशान पाये जाने पर समीपवर्ती पट्टेदार पर कल्पना के आधार पर अवैध खनन का आरोप अधिरोपित किया गया है, जो माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। उपरिलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये स्पष्टीकरण पर विचार कर कारण बताओं नोटिस दिनांक-22.06.2024 को निक्षेपित करने की कृपा करें।" उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक-17.07.2024 में मुख्य रूप से अवैध खनन को नकारा गया है, जबकि खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-15.06.2024 को की गयी। जांच के समय ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 के बाहर लगभग 690 मीटर पूरब दिशा में 02 स्थानों पर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पट्टाधारक द्वारा कुल 1350 घन मीटर बालू/मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त खनन पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र की जांच आख्या की मांग की गयी है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि संयुक्त जांच टीम की आख्या दिनांक-15.06.2024 का सम्पूर्ण उल्लेख कारण बताओं नोटिस संख्या-381/खनिज दिनांक-22.06.2024 में स्पष्ट रूप से किया गया है, अलग से जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि खनन क्षेत्र में अवैध खनन मात्र कल्पना के आधार पर लगाया गया है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि खण्ड संख्या-21/1 की जांच के समय खनन क्षेत्र में खण्ड संख्या-21/1 के पट्टाधारक/संचालक द्वारा अवैध खनन करने के कारण ही जांच टीम द्वारा नियमानुसार जांच कर अवैध खनन की पुष्टि की गयी है। अतः पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक-17.07.2024 में उल्लिखित कथन तथ्यहीन/बलहीन पाये जाने के आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक-17.07.2024 को निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।


R

अतः पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 क्षेत्रफल-16.00 हे० पर 1350 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण रायल्टी व खनिज मूल्य की कुल धनराशि रु०-12,15,000/- (रुपये बारह लाख पन्द्रह हजार मात्र) आरोपित की जाती है। उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक-0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होंगे।


23/07/24
(राहुल पाण्डेय)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- मै० ओ० प्रकाश राम अवतार, प्र० श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच० ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ०प्र०।


23/07/24
जिलाधिकारी
हमीरपुर

श्री केशव
26/07/24

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या- 1459/खनिज-एगोएगोसी०-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 30/12/2024
आदेश

श्री ओम प्रकाश राम अवतार प्रो० श्रीमती रेनु गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच० ब्लॉक किदवाई नगर, जनपद कानपुर नगर उ०प्र० के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 रकबा-16.00 हे० क्षेत्र में 2,40,000 घन मीटर बालू/मौरम-की-वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु०-1000/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, नायब तहसीलदार सरीला, चौकी प्रभारी चण्डौत एवं लेखपाल चण्डौत द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-18.11.2024 को जांच की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

जांच के दौरान पाया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र के पट्टाधारक द्वारा पुल के बगल में पूरब दिशा की तरफ नदी की धारा को रोकते हुये अस्थायी रास्ते का निर्माण अपने उक्त खनन क्षेत्र में जाने के लिये किया जा रहा था, जिससे मौके पर पट्टाधारक प्रतिनिधि को उक्त रास्ता न बनाये जाने के निर्देश दिये गये है तथा पुल के पश्चिम दिशा में अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर व पुल के मध्य में पट्टाधारक द्वारा 60 मीटर चौड़ाई, 172 मीटर लम्बाई व 0.3 मीटर गहराई में डोजर के माध्यम से बालू एकत्र कर अवैध खनन/परिवहन कराया गया व खनन क्षेत्र में जाने के लिये बनाये गये रास्ते के दक्षिण दिशा में व स्वीकृत क्षेत्र के पूरब दिशा में पानी के अन्दर से 32 मीटर चौड़ाई, 54 मीटर लम्बाई व 1.2 मीटर गहराई में अवैध खनन किया जाना पाया गया। खनन क्षेत्र में जाते समय तीन वाहन बेव ब्रिज के पीछे खनन क्षेत्र की तरफ देखे गये जिस पर कोई नम्बर प्लेट व माइन टैग नहीं लगा पाया गया। खनन क्षेत्र में मात्र दो सीमास्तम्भ लगे पाये गये, पी०टी०जेड कैमरा खनन क्षेत्र में लगा नहीं पाया गया। उक्त क्षेत्र हेतु दो बे-ब्रिज लगे पाये गये व दोनो पर कैमरा लगा पाया गया किन्तु कैमरा इस प्रकार स्थापित किया गया था कि बेव ब्रिज से गुजरने वाले वाहन पर कितना उपखनिज भरा हुआ है नजर न आये जिसे सही करने हेतु मौके पर उपस्थित पट्टा प्रतिनिधि को अवगत करा दिया गया। बेव ब्रिज से होकर गुजरने वाले वाहनों के रास्ते के अतिरिक्त एक अन्य रास्ता भी अवैध परिवहन कराने के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसे बन्द कराने का भी मौखिक रूप से पट्टाधारक प्रतिनिधि को अवगत करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर व पुल के मध्य पश्चिम दिशा में 60मी०X172मी०X0.3 मीटर में कुल 3096 घन मीटर तथा स्वीकृत क्षेत्र पूरब दिशा में पानी के अन्दर से 32मी०X54मी०X1.2मीटर कुल 2073.6 घन मीटर अर्थात् कुल 5169.6 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया।

पट्टाधारक का उक्त उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 का उल्लंघन व नियम-21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने पर उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 5169.6 घन मीटर बालू/मौरम की रायल्टी रु०-7,75,440/- (रुपये सात लाख पच्चहत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र) तथा बाजार मूल्य रु०-38,77,200/- (रुपये अठतीस लाख सत्तर हजार दो सौ मात्र) अर्थात् कुल रु०-46,52,640/- (रुपये अठतीस लाख चवन हजार छ सौ चालीस मात्र) की देयता बनती है।

7

संपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 ओग प्रकाश राम अवतार प्रो0 श्रीमती रेनु गुप्ता को कार्यालय के पत्र संख्या-1226/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-26.11.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना साखान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उक्त नोटिस दिनांक-26.11.2024 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक-14.12.2024 प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "अवैध खनन का आरोप मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता को अस्वीकार है। मैंने अपने पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कोई अवैध खनन नहीं किया है। एम0 रास्ते के निर्माण में जो अवैध खनन व परिवहन का आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल गलत है। अतिके पार्थी ने पिछले वर्ष की भोंति इस वर्ष भी पुल के नीचे वर्षा के कारण बने गड्ढों के अगल-बगल में जमा बजड़ा एवं मिट्टीयुक्त बालू को उठाकर खनन क्षेत्र तक रास्ता बनाया है न की अवैध खनन कर परिवहन किया है। पार्थी के खण्ड में जांच टीम ने न तो कोई अवैध खनन करते हुये किसी को देखा है और न ही खनन में प्रयोग किये जाने वाली मशीनों को पकड़ा है। यहां जो भी अगल-बगल से अवैध खनन दर्शाया गया है वह अवैध खनन न होकर मात्र रास्ते में प्रयोग किये जाने वाला बजड़ा व मिट्टी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कारण बताओ नोटिस के साथ निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.11.2024 विधिक दृष्टि में पोषणनीय नहीं है। स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के निशान पाये जाने पर समीपवर्ती पट्टेदार पर कल्पना के आधार पर अवैध खनन का आरोप अधिरोपित किया गया है, जो माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुमन्य नहीं है। सीमा स्तम्भ के फोटोग्राफ दिनांक-01.11.2024 से 18.11.2024 तक की रिकार्डिंग प्रत्यावेदन के साथ संलग्न कर रहा है। उपरिलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये स्पष्टीकरण पर विचारकर कारण बताओ नोटिस दिनांक-26.11.2024 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।"

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक-14.12.2024 में मुख्य रूप से अवैध खनन को नकारा गया है, जबकि जांच के दौरान प्रश्नगत क्षेत्र में पट्टाधारक द्वारा पुल के बगल में पूरब दिशा की तरफ नदी की जलधारा को रोकते हुये अस्थाई रास्ते का निर्माण अपने उक्त खनन क्षेत्र में जाने के लिये किया जा रहा था, जिससे मौके पर पट्टाधारक प्रतिनिधि को उक्त रास्ता न बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा पुल के पश्चिम दिशा में अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर व पुल के मध्य में पट्टाधारक द्वारा 60 मीटर चौड़ाई, 172 मीटर लम्बाई व 0.3 मीटर गहराई में डोजर के माध्यम से बालू एकत्र कर अवैध खनन/परिवहन कराया गया व खनन क्षेत्र में जाने के लिये बनाये गये रास्ते के दक्षिण दिशा में व स्वीकृत क्षेत्र के पूरब दिशा में पानी के अन्दर से 36 मीटर चौड़ाई, 54 मीटर लम्बाई व 1.2 मीटर गहराई में अवैध खनन किया जाना पाया गया। खनन क्षेत्र में जात समय तीन वाहन वे-ब्रिज के पीछे खनन क्षेत्र की तरफ देखे गये, जिस पर कोई नम्बर प्लेट व मज्दुर टैग नहीं लगा पाया गया। खनन क्षेत्र में मात्र दो सीमास्तम्भ लगे पाये गये, पी0टी0जेड0 कैमरा खनन क्षेत्र में लगा नहीं पाया गया। उक्त क्षेत्र हेतु दो वे-ब्रिज लगे पाये गये व दोनो पर कैमरा लगा पाया गया किन्तु कैमरा इस प्रकार स्थापित किया गया था कि वे-ब्रिज से गुजरने वाले वाहन पर दिक्कत उपस्थित न हो सके। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पुल के मध्य पश्चिम दिशा में कुल 3096 घन मीटर तथा स्वीकृत क्षेत्र के पूरब दिशा में पानी के अन्दर कुल 2073.6 घन मीटर अर्थात् कुल 5169.6 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया। इसके आतिरिक्त खनन पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र की जांच आख्या की मांग की गयी है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि संयुक्त जांच टीम की आख्या दिनांक-18.11.2024 का सम्पूर्ण उल्लेख कारण बताओ नोटिस संख्या-1226/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-24) दिनांक-03.07.2024 में स्पष्ट रूप से किया

गया है, अलग से जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक/स्पर्धीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि खनन क्षेत्र में अवैध खनन मात्र कल्याण के आधार पर लगाया गया है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि खण्ड संख्या-21/1 के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर व पुल के मध्य पश्चिम दिशा में तथा पूरव दिशा में कुल 5169 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने की संयुक्त टीम की जांच में पुष्टि की गयी है। पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन में दिनांक- 01.11.2024 से 18.11.2024 तक की रिकार्डिंग संलग्न होने का उल्लेख किया गया है, परन्तु रिकार्डिंग उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक-16.07.2024 में उल्लिखित कथन तथ्यहीन/बलहीन पाये जाने के आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक-16.07.2024 को निरस्त करते हुये निरस्तारित किया जाता है।

पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 कैमरों को दिनांक-01.11.2024 से 18.11.2024 तक (18 दिन) की रिकार्डिंग उपलब्ध नहीं कराया गया, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(2) का उल्लंघन किये जाने के कारण नियम-60(3) के अन्तर्गत प्रत्येक चूक के लिये प्रतिदिन रु0-25,000/-की दर से 18 दिन का कुल 4,50,000/- (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र) की देयता होती है।

अतः पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 के पट्टाधारक मै0 ओम प्रकाश राम अवतार द्वारा 5169.6 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण रायल्टी व खनिजमूल्य की कुल रु0-46,52,640/- (रुपये छियास लाख बावन हजार छः सौ चालीस मात्र) व खनन क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 कैमरों की शारित रु0-4,50,000/- अर्थात् कुल रु0-51,02,640/- (रुपये इक्क्यावन लाख दो हजार छः सौ चालीस मात्र) आरोपित की जाती है। उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक-0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होंगे।

(घनश्याम श्रीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर
o/c

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- मै0 ओम प्रकाश राम अवतार प्रो0 श्रीमती रेनु गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर, जनपद कानपुर नगर उ0प्र0।

दीनदत्त
31/12/24

(जिलाधिकारी)
हमीरपुर
o/c

संलग्न - 7

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या- 189/खनिज-एम0एम0रशी0-सीस-निविदा (2025-26) दिनांक- 07/05/2025
श्री ओम प्रकाश राग अवतार प्रो0 श्रीमती रेनु गुप्ता,
पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच0 ब्लाक,
किदवई नगर जनपद कानपुर उ0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 रकबा-16.00 हे0 क्षेत्र में 2,40,000 घन मीटर बालू/मौरम का खनन पट्टा रू0-1000/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित है।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ के पत्र संख्या-35/एम-प्रवर्तन हमीरपुर/2020 दिनांक-08.04.2025, जिसके द्वारा जनपद हमीरपुर में स्वीकृत/संचालित बालू/मौरम के खनन पट्टा क्षेत्रों की स्थलीय निरीक्षण/जांच आख्या दिनांक-02.12.2024 की प्रति संलग्न कर अवैध खनन/परिवहनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त पत्र के साथ संलग्न क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खनन अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-28.11.2024 से 01.12.2024 तक की अवधि में जनपद हमीरपुर में बालू/मौरम के स्वीकृत खनन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया। खनन एवं परिवहन के विवरण प्राप्त कर क्षेत्र में प्रदर्शित गद्दों के आकलन के उपरान्त यह पाया कि पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर एवं नवम्बर ई-एम0एम0-11 की निर्गत मात्रा से अधिक मात्रा का खनन एवं परिवहन किया गया है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर, 2024 के उपरान्त ई-एम0एम0-11 के पोर्टल की मात्रा 28846 घन मीटर के सापेक्ष स्वीकृत क्षेत्र में उपलब्ध गद्दों के अनुसार लब्ध मात्रा 29351 घन मीटर खनन किया गया है। इस प्रकार आप द्वारा 505 घन मीटर बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया जाना पाया गया।

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-03 व 21 का उल्लंघन एवं नियम-58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा 505 घन मीटर बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन किये जाने के कारण नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 505 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रू0-75,750/- (रुपये पच्चेत्तर हजार सात सौ पचास मात्र) एवं खनिमुख मूल्य रू0-3,78,750/- (रुपये तीन लाख अठहत्तर हजार सात सौ पचास मात्र) कुल रू0-4,54,500/- (रुपये चार लाख चौवन हजार पांच सौ मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के

अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा उक्त कृत्य किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर
o/c

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।

जिलाधिकारी
हमीरपुर
o/c

दी. नं. 500
११/०५/२०२५

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या- 236 /खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2025-26) दिनांक- 15/05/2025

मै0 ओम प्रकाश राम अवतार,
प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता,
निवासी-128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर,
जनपद कानपुर नगर उ0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 में स्थित 16.00 हे० क्षेत्र में 2,40,000 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु०-1000/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल चण्डौत द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-27.04.2025 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमितताएँ पायीं गयी हैं:-

"जांच के समय ग्राम चण्डौत खण्ड संख्या-21/1 के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पूर्व व उत्तर दिशा में अवैध खनन के 1-1 चिन्ह (गड्ढे) देखे गये, जिसका विवरण निम्नवत है :-

- 1- जी०पी०एस० कोडिनेट्स A-N-25°908894" व E-79°651396" तथा कोडिनेट्स B-N-25°909786" व E-79°650351" के मध्य 140X15X0.5 = 1050 घन मीटर।
- 2- जी०पी०एस० कोडिनेट्स P-N-25°91146" व E-79°648987" तथा कोडिनेट्स Q-N-25°912717" व E-79°647962" के मध्य 170X10X0.5 = 850 घन मीटर।

कुल 1900 घन मीटर का अवैध खनन पाया गया। नदी की जलधारा में खनन कार्य होना नहीं पाया गया।"

उपरोक्तानुसार आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के पूर्व व उत्तर दिशा में 02 स्थानों पर कुल 1900 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया।

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-03 व 21 का उल्लंघन एवं नियम-58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पूर्व व उत्तर दिशा में कुल-1900 घन मीटर अवैध खनन खनन किये जाने के कारण नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 1900 घन मीटर बालू/मौरम के लिये सार्वजनिक के मद में रु०-2,85,000/- (रुपये दो लाख पचासी हजार मात्र), खनिमुख मूल्य रु०-14,25,000/- (रुपये चौदह लाख पचीस हजार मात्र) कुल रु०-17,10,000/- (रुपये सत्रह लाख पचास हजार मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना आग्रह स्विकृतिकरण समस्त विन्दुओं पर प्रस्तुत करने का चयन करें कि वर्यो न आप द्वारा उक्त कृत्य

किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर

०/८

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।

जिलाधिकारी,
हमीरपुर

०/८

16/05/2023

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या- 382/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 22.06.2024

मै0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0,
निदेशक चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया,
निवासी-9ए पैरामाउण्ट विला श्यामला हिल्स नियर,
रीजनल कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/18 रकबा-8.180 हे0 क्षेत्र में 1,30,864 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-567/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-16.03.2024 से 15.03.2029 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त खनन क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-15.06.2024 को की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी है:-

“जांच के समय ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/18 के बाहर लगभग 200 मीटर पूरब दिशा में 04 स्थानों पर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खण्ड संख्या-25/19 की तरफ अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

- 1- जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°53'28.86" N 79°31'47.05"E के आसपास 40X20X1 =800 घन मीटर
- 2- जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°53'34.17" N 79°31'53.27"E के आसपास 15X10X1.2 =180 घन मीटर
- 3- जी0पी0एस0 कोडनेट्स 25°53'32.89" N 79°31'54.45"E के आसपास 75X14X0.8 =840 घन मीटर,

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा कुल 1820 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। नदी की जलधारा में खनन होना नहीं पाया गया।”

आपका उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 का उल्लंघन एवं नियम-58 व 21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 1820 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-2,73,000/- (रुपये दो लाख तिहत्तर हजार मात्र) तथा बाजार मूल्य रु0-13,65,000/- (रुपये तेरह लाख पैसठ हजार मात्र) कुल रु0-16,38,000/- (रुपये सोलह लाख अठतीस हजार मात्र) की देयता बनती है।

२

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा नोटिस प्राप्त के 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आप द्वारा अवैध खनन किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अगल में लारी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

Rahul
22/06/24
(राहुल पाण्डेय)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।

Rahul
22/06/24
जिलाधिकारी
हमीरपुर

परीक्षा नहीं/NOT INSURED

382 क्रमांक/NR-171342301-14

लगाये गये अंक टिकटों का मूल्य रु. 26/-

Amount of Stamps affixed Rs. 26/-

एक रजिस्ट्रार को प्राप्त किया Date-stamp

Received & Registered

पाने वाले का पता Address of

कोषाल

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

संख्या-1557-10

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या- 1557 / खनिज- एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25)
आदेश

दिनांक- 22/01/2025

मै0 यूफोरिया गाइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 निदेशक श्री चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया जिनासी 9ए पैरामाउण्ट विला श्यामला हिल्स नियर रीजनल कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0 जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/18 में स्थित 8.180 हे0 क्षेत्र में 132.864 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-567/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक 16.03.2024 से 15.03.2029 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-12.12.2024 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमितताएँ पायी गयी हैं :-

जांच में पाया गया कि ग्राम इछौरा तहसील सरीला जनपद हमीरपुर के खण्ड संख्या-25/18 के पट्टाधारक द्वारा खण्ड संख्या-25/17 में रास्ता बनाकर अवैध खनन किये जाने के साक्ष्य पाये गये, जिसमें से अवैध खनन के क्षेत्रफल 350 मी0ल0 X 50 मी0चौ0 X 0.6 मी0ग0 कुल 10500 घन मीटर में बालू/मौरम का अवैध खनन पाया गया, जिसके जी0पी0एस0 कोडिनेट ABCDEFGHI निम्नवत है :-

A-N-25°53'18.25"	E-79°31'26.46"	B-N-25°53'15.95"	E-79°31'23.56"
C-N-25°53'13.72"	E-79°31'21.42"	D-N-25°53'10.04"	E-79°31'17.42"
E-N-25°53'11.50"	E-79°31'16.64"	F-N-25°53'14.88"	E-79°31'19.57"
G-N-25°53'15.98"	E-79°31'20.89"	H-N-25°53'17.67"	E-79°31'23.00"
I-N-25°53'19.55"	E-79°31'25.11"		

अतः उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खण्ड संख्या-25/17 में रास्ता बनाकर 350 मी0ल0 X 50 मीटर चौ0 X 0.6 मीटर ग0 में कुल-10500 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया। पट्टाधारक द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-03 व 21 के अन्तर्गत एवं नियम 58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खण्ड संख्या-25/17 में रास्ता बनाकर कुल-10500 घन मीटर का अवैध खनन खनन किये जाने के कारण नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 10500 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-15,75,000/- (रुपये पन्द्रह लाख पच्चहतर हजार मात्र), बाजार मूल्य रु0-78,75,000/- (रुपये अठहत्तर लाख पच्चहतर हजार मात्र) कुल रु0-94,50,000/- (रुपये चौंसठ लाख पचास हजार मात्र) की देयता बनती है। उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 यूफोरिया गाइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 निदेशक चन्द्रशेखर चौरसिया को कार्यालय के पत्र संख्या-1348/ खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-12.12.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत वक़ाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक-12.12.2024 के क्रम में प्रत्यावेदन दिनांक-24.12.2024 प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "अवैध खनन का कारण मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता को अस्वीकार है। मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता ने अपने पक्ष में स्पष्टीकरण के बाहर अवैध खनन नहीं किया गया है तथा नोटिस दिनांक-12.12.2024 में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कारण बताओ नोटिस के साथ निरीक्षण आख्या की प्रति स्पष्ट नहीं कराई गयी है। पट्टाधारक को अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस दिया जाना वैधानिक होता है, परन्तु विषयगत प्रकरण में न तो पट्टाधारक को निरीक्षण करने की कोई

सूचना दी गयी और न ही निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध करायी गयी और कारण बताओं नोटिस दिनांक-12.12.2024 में कोई विश्वसनीय साक्ष्य का उल्लेख किये बिना स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के ताजे गद्दे/निशान पाये जाने पर राभीपवर्ती पट्टेदार पर कल्पना के आधार पर अवैध खनन का आरोप अधिरोपित किया गया है, जो माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत अनुमन्थ नहीं है। उपरिलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये स्पष्टीकरण पर विचार कर कारण बताओं नोटिस दिनांक-12.12.2024 को निक्षेपित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक-24.12.2024 में मुख्य रूप से अवैध खनन को नकारा गया है, जबकि जांच में पाया गया कि ग्राम इजौरा तहसील सरीला जनपद हमीरपुर के खण्ड संख्या-25/18 के पट्टाधारक द्वारा खण्ड संख्या-25/17 में रास्ता बनाकर 350 मी०ल० X 50 मी०चौ० X 0.6 मी०ग० कुल 10500 घन मीटर में कालू मौसम का अवैध खनन करने के साक्ष्य पाये गये हैं। खनन पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र की जांच आख्या की मांग की गयी है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि संयुक्त जांच टीम की जांच आख्या दिनांक-12.12.2024 का सम्पूर्ण उल्लेख कारण बताओं नोटिस संख्या-1348/खनिज-एम०एम०सी-तौस-विधिविध (2024-25) दिनांक-12.12.2024 में करते हुये प्रेषित किया गया है, अलग से जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि खनन क्षेत्र में अवैध खनन मात्र कल्पना के आधार पर लगाया गया है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि खण्ड संख्या-25/18 की जांच के समय पट्टाधारक द्वारा खण्ड संख्या-25/17 में रास्ता बनाकर अवैध खनन किये जाने के साक्ष्य पाये गये। पट्टाधारक/संचालक द्वारा अवैध खनन के साक्ष्य पाये जाने के कारण ही संयुक्त जांच टीम द्वारा नियमानुसार जांच कर अवैध खनन की पुष्टि की गयी है। अतः पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक-24.12.2024 में उल्लिखित कथन तथ्यहीन/बलहीन पाये जाने के आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक-24.12.2024 को निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

मैं 0 युफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा०लि० के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम इजौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/18 क्षेत्रफल-8.180 हे० के पट्टाधारक द्वारा 10,500 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण उन पर कुल रु०-94,50,000/- (रुपये चौरानवे लाख पचास हजार मात्र) आरोपित की जाती है तथा निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाधीर्षक-0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेदार पट्टाधारक स्वयं होंगे।

(धनश्याम मीना)
जिलाधिकारी

07/ हमीरपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख राबिब, भूतत्व एवं खनिकर्ष विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्ष निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
3. म० युफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा०लि० निदेशक श्री चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी०डी० चौरसिया निवासी 97 परामाडण्ट गिला श्यामला हिल्स गिबर रीजनल कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म०प्र० उ०प्र०।

जिलाधिकारी
हमीरपुर

07/ 1493

खनन-11

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या- 496 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2025-26) दिनांक- 07/05/2025
मै0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0,
निदेशक श्री चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया,
निवासी-9ए पैरामाउण्ट विला श्यामला हिल्स नियर रीजनल
कालेज हुजुर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/18 रकबा-8.180 हे0 क्षेत्र में 1,30,864 घन मीटर बालू/मौरम का खनन पट्टा रु0-567/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-16.03.2024 से 15.03.2029 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित है।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ के पत्र संख्या-35/एम-प्रवर्तन हमीरपुर/2020 दिनांक-08.04.2025, जिसके द्वारा जनपद हमीरपुर में स्वीकृत/संचालित बालू/मौरम के खनन पट्टा क्षेत्रों की स्थलीय निरीक्षण/जांच आख्या दिनांक-02.12.2024 की प्रति संलग्न कर अवैध खनन/परिवहनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त पत्र के साथ संलग्न क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खनन अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-28.11.2024 से 01.12.2024 तक की अवधि में जनपद हमीरपुर में बालू/मौरम के स्वीकृत खनन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया। खनन एवं परिवहन के विवरण प्राप्त कर क्षेत्र में प्रदर्शित गड्ढों के आकलन के उपरान्त यह पाया कि पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर एवं नवम्बर ई-एम0एम0-11 की निर्गत मात्रा से अधिक मात्रा का खनन एवं परिवहन किया गया है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर, 2024 के उपरान्त ई-एम0एम0-11 के पोर्टल की मात्रा 12516 घन मीटर के सापेक्ष स्वीकृत क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढों के अनुसार लब्ध मात्रा 13,166 घन मीटर खनन किया गया है। इस प्रकार आप द्वारा 650 घन मीटर बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया जाना पाया गया।

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-03 व 21 का उल्लंघन एवं नियम-58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा 650 घन मीटर बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन किये जाने के कारण नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 650 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-97,500/- (रुपये सत्तानवे हजार पांच सौ मात्र) एवं खनिमुख मूल्य रु0-4,87,500/- (रुपये चार लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) कुल रु0-5,85,000/- (रुपये पांच लाख पचासी हजार मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्त के 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा उक्त कृत्य किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

जिलाधिकारी
हमीरपुर

15/5/25

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या-1458/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25)

दिनांक 30/12/2024

आदेश

मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी-233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भेंवरकुंआ इन्दौर जी0पी0 म0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 में स्थित 17.731 हे0 क्षेत्र में 2,83,661 घन मीटर बालू/मौरम की वार्षिक आकलित मात्रा के लिये रु0-630/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है।

उक्त क्षेत्र की अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) हमीरपुर, उपजिलाधिकारी सरीला, खान अधिकारी हमीरपुर एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी, सरीला द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-22.11.2024 को की गयी। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्र में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

"जांच के समय खनन कार्य अपनी स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत पाया गया। पट्टेधारक द्वारा जिस स्थान पर खनन कार्य किया जा रहा था, उस स्थान से पूरब की तरफ लगभग-266 मीटर व पश्चिम की तरफ लगभग-250 मीटर तथा उत्तर की तरफ 180 मीटर खनन क्षेत्र रिक्त पड़ा था, जो कि खण्ड संख्या-25/21 का आवंटित क्षेत्र है। क्षेत्रीय वनाधिकारी सरीला एवं उनकी टीम ने प्रश्नगत खण्ड से वन क्षेत्र की दूरी मापी, जो लगभग 1.5 किलो मीटर की दूरी पायी गयी। तत्पश्चात् नदी की मुख्य धारा प्रवाहित हो रही थी। नदी की मुख्य धारा में कही भी खनन कार्य होना नहीं पाया गया व न ही खनन क्षेत्र में कोई प्रतिबन्धित मशीन पायी गयी। पट्टेधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र के चारो सीमा स्तम्भों को नहीं लगाया गया था, जिसे मौके पर ही लगवा दिया गया। स्वीकृत क्षेत्र में नियमानुसार पी0टी0जेड0 कैमरा लगाया जाना चाहिये था, जो पट्टेधारक द्वारा नहीं लगाया गया था, जिसे तत्काल लगाने हेतु मौके पर उपस्थित पट्टा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत खनन क्षेत्र हेतु स्थापित वे-ब्रिज व सी0सी0टी0वी0 कैमरे की जांच की गयी, जांच के समय सभी कैमरे सही पाये गये, किन्तु एक कैमरा जो वे-ब्रिज पर खड़े वाहन के पीछे की तरफ से फोटो ले रहा था, उस कैमरे का फोकस नीचे की तरफ किया गया था, जिससे की वाहन पर भरे उपखनिज का पूरा फोटो नहीं आ रहा था, जिसे मौके पर ही सही करा दिया गया तथा निर्देशित किया गया कि भविष्य में सभी कैमरो के सही तरीके से स्थापित करें। ताकि वाहनों के आगे व पीछे का फोटो मय उपखनिज स्पष्ट रूप से नजर आता रहे।"

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा न लगाये जाने के कारण खनन पट्टा प्रारम्भ होने के दिनांक-11.11.2024 से जांच तिथि-22.11.2024 तक कुल 12 दिन की होते हैं, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(2) का उल्लंघन उल्लंघन है, जिसके परिणाम स्वरूप नियमावली-2021 के नियम-60(3) के अनुसार रु0-25000/- प्रतिदिन के हिसाब से 12 दिनों की कुल शारित रु0-3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र) की देयता बनती है। उक्त के अतिरिक्त जांच तिथि-22.11.2024 के समय मौके पर खनन क्षेत्र में 04 सीमास्तम्भ नहीं लगे पाये जाने के कारण प्रत्येक सीमास्तम्भ रु0-25,000/-के हिसाब से कुल रु0-1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) की देयता बनती है। उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-1308/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-09.12.2024 द्वारा संसूचित किया गया।

उक्त नोटिस दिनांक-09.12.2024 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक-13.12.2024 प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "जांच टीम ने चारो स्तम्भों को नहीं पाया जिये मौके पर ही लगवा दिया गया, इससे स्पष्ट है कि सीमा स्तम्भ मौके पर मौजूद थे। इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि सीमा स्तम्भ हमेशा अस्थायी रूप से बनवाये जाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि गाँव के पालतू जानवर सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और खड़े सीमास्तम्भों को गिरा देते हैं किन्तु प्रार्थी के कर्मचारी उसे तत्काल पुनः स्थापित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त जांच टीम ने स्वीकृत क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा नहीं पाया। इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि प्रार्थी का उपरोक्त खण्ड संख्या-11.11.2024 को स्वीकृत/निष्पादित किया गया था किन्तु रायल्टी पोर्टल से जांच की जा सकती है कि खनन कार्य दिनांक-29.11.2024 से ही प्रारम्भ हुआ है क्योंकि तौल कांटा नहीं हो पाया था। खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा न लगाये जाने के कारण खनन पट्टा प्रारम्भ की दिनांक-11.11.2024 से जांच तिथि 22.11.2024 तक कुल 12 दिन होते हैं, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(2) का उल्लंघन है, जिसके परिणाम स्वरूप नियमावली-2021 के नियम-60(3) के अनुसार रुपये 25 हजार प्रतिदिन के हिसाब से 12 दिनों की कुल शास्ति रुपये 03 लाख की देयता बनती है। जांच के समय खनन क्षेत्र में 04 सीमा स्तम्भ नहीं लगे पाये जाने के कारण प्रत्येक सीमा स्तम्भ रुपये 25 हजार के हिसाब से कुल 01 लाख रुपये की देयता बनती है। पी0टी0जेड0 कैमरा के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी ने पट्टा निष्पादित होते ही अपने क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा दिया था, किन्तु खनन कार्य दिनांक-19.11.2024 से प्रारम्भ हुआ तो ज्ञात हुआ कि पी0टी0जेड0 कैमरा सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसे तत्काल मरम्मत के लिये भेजा गया, जिसे जांच तिथि के बाद तत्काल लगा दिया गया था। (पी0टी0जेड0 कैमरा की फोटोग्राफ संलग्न एवं चारो सीमा स्तम्भ के फोटोग्राफ संलग्न हैं) इस प्रकार प्रार्थी ने उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(2) का उल्लंघन नहीं किया है एवं जांच तिथि तक प्रार्थी की खदान में खनन कार्य दिनांक-19.11.2024 से कुल 04 दिन ही हो पाया था।"

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक-13.12.2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पट्टाधारक पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र की जांच के समय पट्टाधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र के चारो सीमा स्तम्भों को नहीं लगाया गया था, जिसे मौके पर ही लगवा दिया गया। स्वीकृत क्षेत्र में नियमानुसार पी0टी0जेड0 कैमरा लगाया जाना चाहिये था, जो पट्टाधारक द्वारा नहीं लगाया गया था, जिसे तत्काल लगाने हेतु मौके पर उपस्थित पट्टा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया। पट्टाधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र के चारो सीमा स्तम्भों को नहीं लगाया गया था, जिसके सम्बन्ध में नोटिस दिनांक-09.12.2024 निर्गत की गयी थी। पट्टाधारक द्वारा चारो सीमास्तम्भ के फोटोग्राफ प्रत्यावेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है किन्तु पी0टी0जेड0 कैमरे की दिनांक-11.11.2024 से जांच तिथि-22.11.2024 तक कुल 12 दिन की रिकार्डिंग उपलब्ध नहीं करायी गयी जबकि अनुरोध किया गया कि खनन पट्टा स्वीकृत होने के दिनांक-11.11.2024 के उपरान्त दिनांक-19.11.2024 से रायल्टी पोर्टल पर जनरेट की गयी है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक के पक्ष में खनन पट्टा दिनांक-11.11.2024 से 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत/निष्पादित किया गया है। यह पट्टाधारक की स्वयं की जिम्मेदारी है कि पट्टा स्वीकृत होने के दिनांक से खनन पट्टे में पी0टी0जेड0 कैमरा को संचालित रखना चाहिये था, जो पट्टाधारक द्वारा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त चारो सीमास्तम्भ का प्रश्न है तो पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन के साथ चारो सीमास्तम्भ के फोटोग्राफ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण 04 सीमास्तम्भों पर लगायी गयी शास्ति रु0-1,00,000/-को पृथक किया जाता है। शेष 12 दिन की पी0टी0जेड0 कैमरों की रिकार्डिंग उपलब्ध न कराये जाने के कारण शास्ति आरोपित किया जाना प्रस्तावित है। अतः पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत

7

प्रत्यावेदन दिनांक-13.12.2024 में उल्लिखित कथन सीमास्तम्भों पर आरोपित शास्ति को पृथक करते हुये शेष कथन तथ्यहीन/बलहीन पाये जाने के आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक-13.12.2024 को निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा न लगाये जाने के कारण खनन पट्टा प्रारम्भ होने के दिनांक-11.11.2024 से जांच तिथि-22.11.2024 तक कुल 12 दिन की होते हैं, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(2) का उल्लंघन उल्लंघन है, जिसके परिणाम स्वरूप नियमावली-2021 के नियम-60(3) के अनुसार रु0-25000/- प्रतिदिन के हिसाब से 12 दिनों की कुल शास्ति रु0-3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र) की देयता बनती है।

अतः पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 के पट्टाधारक मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज द्वारा पी0टी0जेड0 कैमरे की रिकार्डिंग उपलब्ध न कराये जाने के कारण कुल रु0-3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र) आरोपित की जाती है। उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक-0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होंगे।

(धनश्याम प्रीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

१/८

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्न पुत्र श्री सुच्या सिंह घुम्न निवासी-233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भेंवरकुंआ इन्दौर जी0पी0 म0प्र0।

जिलाधिकारी
हमीरपुर

१/८

जीमा नहीं/NOT INSURED	
क्रमांक/No	RU-100090305-2
लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य Amount of Stamps affixed	रु० के 514
एक रजिस्ट्री Received a Registered	तारीख-मोहर Date-stamp
पाने वाले का नाम Addressed to	
इन्द्र (म)	पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of Receiving Officer
जीमा नहीं/NOT INSURED	

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या- 1923/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25)

दिनांक- 28/03/2025

आदेश

मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्या सिंह घुम्मन निवासी-233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भेंवरकुंआ इन्दौर म0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/21 में स्थित 17.731 हे0 क्षेत्र में 2,83,661 घन मीटर बालू/मौरम की रु0-630/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया गया है।

उक्त क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, उप निरीक्षक थाना चिकारसी, राजस्व निरीक्षक सरीला, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-30.01.2025 को जांच किया गया। जांच आख्या के अनुसार खनन क्षेत्रों में निम्न अनियमिततायें पायी गयी हैं:-

"दिनांक-30.01.2025 को संयुक्त टीम द्वारा स्थलीय जांच की गयी। जांच के समय खनन पट्टा क्षेत्र में सभी सीमास्तम्भ लगे पाये गये। खनन क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा पाया गया, परन्तु रिकार्डिंग नहीं दिखा सके। ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/21 के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में जी0पी0एस0 कोडिनेट्स संख्या-ए N-25.8906138 व " E-79.5407742 व कोडिनेट्स संख्या-बी N-25.890566 व " E-79.54021 व के मध्य 50मील0x25मी0चौ0x0.9मी0ग0 कुल-1125 घन मीटर अवैध खनन किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किये जाने के साक्ष्य पाये गये। जांच के समय पट्टाधारक को निर्देशित किया गया कि अपने स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन करना सुनिश्चित करें।"

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में कुल-1125 घन मीटर का अवैध खनन पाया गया। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किये जाने के साक्ष्य पाये गये। आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-03, 21 व 42(ज) का उल्लंघन एवं नियम-58 व 60(4) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा की ओर रिक्त क्षेत्र में कुल-1125 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 1125 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-1,68,750/- (रुपये एक लाख अरसद् हजार सात सौ पचास मात्र), बाजार मूल्य रु0-8,43,750/- (रुपये आठ लाख तितालिस हजार सात सौ पचास मात्र) तथा नदी की जलधारा में खनन करने के कारण नियमावली-2021 के नियम-60(4) के अन्तर्गत रु0-5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) कुल रु0-15,12,500/- (रुपये पन्द्रह लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की देयता बनती है। उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन को कार्यालय के पत्र संख्या-1732/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-27.02.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उक्त नोटिस दिनांक-27.02.2025 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक-03.03.2025 प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "अवैध खनन का आरोप मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता को अस्वीकार है। मुझ स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कभी भी अवैध खनन नहीं किया है तथा नोटिस दिनांक-27.02.2025 के साथ भी कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कारण बताओ नोटिस दिनांक-27.02.2025 के साथ निरीक्षण आख्या की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गयी है। अतः कारण बताओ नोटिस दिनांक-27.02.2025 विधिक दृष्टि में पोषणीय नहीं है। मा0 न्यायालय एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरिलिखित निर्णयों से स्पष्ट है कि निरीक्षण की सूचना, निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध कराये जाना तथा शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व आरोपित व्यक्ति को विश्वसनीय साक्ष्यों का एकत्रीकरण उपलब्ध कराये के उपरान्त ही किसी

पट्टेदार को अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओं नोटिस दिया जाना वैधानिक होता है, परन्तु विषयगत प्रकरण में न तो पट्टेदार को क्षेत्र के निरीक्षण करने की कोई सूचना दी गई और न ही निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध करायी गई और कारण बताओं नोटिस दिनांक-07.02.2025 में कोई विश्वसनीय साक्ष्य संलग्न किये बिना स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के गद्दे/निशान पाये जाने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता के समीपवर्ती खनन अनुज्ञा धारक होने के आधार पर मात्र काल्पनिक अवैध खनन का आरोप अधिरोपित किया गया है, जो मा० न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। कारण बताओं नोटिस दिनांक-27.02.2025 में नदी की जलधारा में खनन किये जाने के साक्ष्य पाये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु कारण बताओं नोटिस दिनांक-27.02.2025 में कौन से साक्ष्य पाये गये हैं, उनका कोई उल्लेख वर्णित नहीं किया गया है। उपरिलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता के विनम्र स्पष्टीकरण पर विचार कर विषयगत कारण बताओं नोटिस दिनांक-27.02.2025 को न्यायहित में निक्षेपित करने की कृपा करें।"

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक-03.03.2025 में मुख्य रूप से अवैध खनन को नकारा गया है जबकि दिनांक-30.01.2025 को संयुक्त टीम द्वारा स्थलीय जांच की गयी। जांच के समय ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 के पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में जी०पी०एस० कोडिनेट्स संख्या-ए N-25.8906138 व " E-79.5407742 व कोडिनेट्स संख्या-बी N-25.890566 व " E-79.54021 व के मध्य 50मील0X25मी0चौ0X0.9मी0ग0 कुल-1125 घन मीटर अवैध खनन किया जाना पाया गया। उक्त के अतिरिक्त पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किया जाना पाया गया। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में कुल 1125 घन मीटर का अवैध खनन तथा नदी की जलधारा में अवैध खनन किये जाने की पुष्टि हुई। इसके अतिरिक्त खनन पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र की जांच आख्या की मांग की गयी है, के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि संयुक्त जांच टीम की आख्या दिनांक-30.01.2025 का सम्पूर्ण उल्लेख कारण बताओं नोटिस संख्या-1732/खनिज- एम०एम०सी-तीस-विध (2024-25) दिनांक-27.02.2025 में स्पष्ट रूप से किया गया है, अलग से जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक-03.03.2025 में उल्लिखित कथन तथ्यहीन/बलहीन पाये जाने के आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक-03.03.2025 को निरस्त करते हुये निरस्तारित किया जाता है।

मै० डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो० श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी-233 विष्णुपुरी एन०एक्स० भँवरकुंआ इन्दौर म०प्र० के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 क्षेत्रफल-17.731 हे० के पट्टाधारक द्वारा 1125 घन मीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण उन पर कुल रु०-15,12,500/- (रुपये पन्द्रह लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) आरोपित की जाती है तथा निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक-0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके पट्टाधारक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(घनश्याम मोना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर
०/८

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- मै० डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो० श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी-233 विष्णुपुरी एन०एक्स० भँवरकुंआ इन्दौर म०प्र०।

जिलाधिकारी
हमीरपुर
०/८

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

खनन-14

संख्या-- 276 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2025-26) दिनांक- 20/05/2025
आदेश

मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन, निवासी-233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भँवरकुंआ इन्दौर म0प्र0 के पक्ष में जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 में स्थित 17.731 हे0 क्षेत्र में 2,83,661 घन मीटर बालू/मौरम की रु0-630/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया गया है।

उक्त क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक, हमीरपुर द्वारा दिनांक-19.04.2025 को प्रस्तुत की गयी, जिसमें उल्लेख किया गया कि "ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 में स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर नदी की जलधारा में 06 Suction Pump Machine/Lifter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये गये। पट्टाधारक का उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) का स्पष्ट उल्लंघन है। पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में पाये गये 06 Suction Pump Machine/Lifter को पुलिस बल थाना जरिया से समन्वय स्थापित करते हुये दिनांक-18.04.2025 को थाना परिसर जरिया की सुपुर्दगी में दिया गया है।"

पट्टाधारक द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-42(ज) का उल्लंघन एवं नियमावली-2021 नियम-60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। नियमावली-2021 के नियम-60 में निम्नवत प्राविधानित किया गया है :-

"60(4) नियम-42(ज) के अधीन उपबन्धित उपबन्धों के अनुसार जलधारा में सक्शन मशीन/लिफ्टर के माध्यम से खनन कार्य निषिद्ध होगा। यदि कोई पट्टाधारक उक्त नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो प्रत्येक अवसर पर पाँच लाख रुपये की दर से शास्ति के लिये दायी होगा, जो जिला मजिस्ट्रेट या निदेशक के आदेश पर वसूला जायेगा। शास्ति की उपरोक्त उल्लिखित धनराशि को जमा करने में विफल होने पर उस धनराशि को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित पट्टे के सापेक्ष की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी।"

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर नदी की जलधारा में 06 Suction Pump Machine/ Lifter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये गये। पट्टाधारक का उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज नियमावली-2021 के नियम-42(ज) के अन्तर्गत प्रत्येक चूक रु0-5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) के अनुसार 06 लिफ्टर मशीनों की कुल रु0-30,00,000/- (रुपये तीस लाख मात्र) की देयता बनती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पट्टाधारक मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज को कार्यालय के पत्र संख्या-101/खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-19.04.2025 द्वारा कारण

बताओ नोटिस के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने अथवा प्रश्नगत प्रकरण में 15 दिवस के अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उक्त नोटिस दिनांक-19.04.2025 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक-01.05.2025 प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "कारण बताओं नोटिस दिनांक-19.04.2025 खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर निर्गत की गयी है। खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक-19.06.2025 में 06 Suction Pump Machine/Lifter के माध्यम से जल के अन्दर से खनन कार्य करना संसूचित किया गया है। इस सम्बन्ध में विनम्रतापूर्वक उल्लेख करना है कि अपील संख्या-306 वर्ष, 2022 में हरिहर मिनरल्स बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में भी Suction Pump Machine/Lifter के उपयोग का आरोप में 0 हरिहर मिनरल्स के ऊपर लगाया गया था, जबकि विषयगत Suction Pump Machine न होकर मोटर पम्प थे, जिनके द्वारा पानी लेकर उप खनित बालू में मिट्टी के कणों को हटाकर धुलाई कर उन्हें बाजार में बिक्री योग्य बनाया जाता है। इस सम्बन्ध में विनम्रतापूर्वक उल्लेख करना है कि ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 में बालू/मौरम साफ-सुथरी न होकर मिट्टी के कण सम्मिलित होने के कारण बालू/मौरम विनिर्माण कार्यों में प्रयोग नहीं होती है, जिसकी साफ-सफाई के लिये गढ़ढो में पानी पानी लेकर धुलाई कर परिवहित की जाती है। Suction Pump Machine और मोटर पम्प में महत्वपूर्ण अन्तर है। Suction Pump Machine बालू/मौरम जल के अन्दर से खींच कर बाहर फैंकती है, परन्तु मोटर मात्र जल ही बाहर निकालते हैं, जिससे मिट्टी मिश्रित बालू/मौरम की सफाई होती है। उपरिलिखित तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता विषयगत अनियमितता के आरोप को अस्वीकार कर यह प्रार्थना करता है कि जब किये गये मोटर पम्पों को लब्ध उपखनिजों की धुलाई हेतु अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पट्टाधारक/स्पष्टीकरण प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक-01.05.2025 में मुख्य रूप से विषयगत Suction Pump Machine न होकर मोटर पम्प थे, जिनके द्वारा पानी लेकर उप खनित बालू में मिट्टी के कणों को हटाकर धुलाई कर उन्हें बाजार में बिक्री योग्य बनाया जाता है। जबकि खान निरीक्षक, हमीरपुर द्वारा दिनांक-19.04.2025 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 में स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर नदी की जलधारा में 06 Suction Pump Machine/Lifter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये गये। पट्टाधारक का उक्त कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) का स्पष्ट उल्लंघन है। पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र में पाये गये 06 Suction Pump Machine/Lifter को पुलिस बल थाना जरिया से समन्वय स्थापित करते हुये दिनांक-18.04.2025 को थाना परिसर जरिया की सुपुर्दगी में दिया गया है। पट्टाधारक द्वारा अवैधानिक तरीके से 06 Suction Pump Machine/Lifter द्वारा बालू/मौरम का खनन/परिवहन किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) का उल्लंघन एवं नियमावली-2021 के नियम-60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

26

अतः पट्टा क्षेत्र तहसील सरीला ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 के पट्टाधारक मै० डिजियाना इण्डस्ट्रीज द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर नदी की जलधारा में 06 Suction Pump Machine/Lifter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये जाने के कारण नियमावली-2021 के नियम-42(ज) के अन्तर्गत प्रत्येक चूक रु०-5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) के अनुसार 06 लिफ्टर मशीनों की कुल रु०-30,00,000/- (रुपये तीस लाख मात्र) आरोपित की जाती है। उक्त अधिरोपित धनराशि खनिज विभाग के लेखाशीर्षक-0853 में 30 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में उक्त देय धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी, जिसके जिम्मेवार पट्टाधारक स्वयं होंगे।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर
ole

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
3. मै० डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रा० लिजिन्डर पाल सिंह दुम्भन पुत्र श्री सुच्चा सिंह दुम्भन निवासी- 233 वि०पुरी एन०एस० ब्रॉडरूडका इन्दौर म००००।

जिलाधिकारी,
हमीरपुर
ole

बीमा नहीं/NOT INSURED	
क्रमांक/No.	RV-256024153-IN
पुस्तिका नं० 276	
लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य Amount of Stamps affixed	रु० 769
एक रजिस्ट्री* Received a Registrar	तारीख-मोहर Date Stamp
पाने वाले/अभिप्रेत Received by	जिलाधिकारी District Officer
पाने वाले के अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of Receiving Officer	

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या- 197 / खनिज-एम0एम0सी0-तीस-विविध (2025-26) दिनांक- 07/05/2025
मै0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज,
प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन,
निवासी-233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भँवरकुंआ इन्दौर म0प्र0।

कारण बताओ नोटिस

जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या-25/21 रकबा-17.731 हे0 क्षेत्र में 2,83,661 घन मीटर बालू/मौरम का खनन पट्टा रु0-630/-प्रति घन मीटर की दर से दिनांक-11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये आपके पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित है।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ के पत्र संख्या-35/एम-प्रवर्तन हमीरपुर/2020 दिनांक-08.04.2025, जिसके द्वारा जनपद हमीरपुर में स्वीकृत/संचालित बालू/मौरम के खनन पट्टा क्षेत्रों की स्थलीय निरीक्षण/जांच आख्या दिनांक-02.12.2024 की प्रति संलग्न कर अवैध खनन/परिवहनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त पत्र के साथ संलग्न क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खनन अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-28.11.2024 से 01.12.2024 तक की अवधि में जनपद हमीरपुर में बालू/मौरम के स्वीकृत खनन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया। खनन एवं परिवहन के विवरण प्राप्त कर क्षेत्र में प्रदर्शित गढ़बों के आकलन के उपरान्त यह पाया कि पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर एवं नवम्बर ई-एम0एम0-11 की निर्गत मात्रा से अधिक मात्रा का खनन एवं परिवहन किया गया है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर, 2024 के उपरान्त ई-एम0एम0-11 के पोर्टल की मात्रा 2946 घन मीटर के सापेक्ष स्वीकृत क्षेत्र में उपलब्ध गढ़बों के अनुसार लब्ध मात्रा 3246 घन मीटर खनन किया गया है। इस प्रकार आप द्वारा 300 घन मीटर बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया जाना पाया गया।

आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 नियम-03 व 21 का उल्लंघन एवं नियम-68 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

आप द्वारा 300 घन मीटर बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन किये जाने के कारण नियमावली-2021 के नियम-21 के अन्तर्गत 300 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में रु0-45000/- (रुपये पैतालिस हजार मात्र) एवं खनिमुख मूल्य रु0-2,25,000/- (रुपये दो लाख पचीस हजार मात्र) कुल रु0-2,70,000/- (रुपये दो लाख सत्तर हजार मात्र) की देयता बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंगित धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति खनन अनुभाग हमीरपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के

अन्दर अपना सारवान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा उक्त कृत्य किये जाने के कारण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि आप द्वारा समय से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(घनश्याम मीना)
जिलाधिकारी
हमीरपुर
o/e

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।

जिलाधिकारी
हमीरपुर
o/e


13/05/2021

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक : 1775/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : जुलाई 15, 2025

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं०-540/एम०-एन०जी०टी०-वाद/2025 दिनांक 13.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest & Climate Change Department; (2) Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, (3) Central Pollution Control Board through its Member Secretary, (4) Uttar Pradesh Pollution Control Board, through its Member Secretary; (5) District Magistrate, Jhansi; (6) District Magistrate, Jalaun; (7) District Magistrate, Hamirpur and (8) District Magistrate, Banda who are impleaded as respondents no. 1 to 8. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 8 requiring them to file their reply/response within two months."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में दो माह में प्रतिवादी संख्या-1 से 8 की ओर से Response/Reply दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या-08 की ओर से Response/Reply इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

(जे० रीमा)
जिलाधिकारी
बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : श्री अंकित वर्मा, शासकीय स्थायी अधिवक्ता, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त ओ०ए० संख्या-203/2025 में प्रतिवादी संख्या-08 की ओर से Response/Reply दाखिल कराने का कष्ट करें।

J. Rishma
15/07/2025
जिलाधिकारी
बाँदा।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-203/2025 राम मिलन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में आख्या (Response/Reply) :-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गयी है। उक्त वाद में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months.
7. List on 16.07.2025 for further consideration."

प्रश्नगत ओ0ए0 सं0-203/2025 राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या (Response/Reply) निम्नवत है :-

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में कार्यालय के पत्र संख्या-1521/खनिज-30, बाँदा दिनांक 27.06.2025 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, बाँदा की ओर से खान अधिकारी बाँदा को उक्त समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा गौके का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 01.07.2025 को करते हुये संयुक्त जांच आख्या प्रस्तुत की गयी (संलग्नक-01)।
2. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के उक्त आदेश के अनुपालन में जनपद बाँदा के खनन क्षेत्र क्रमशः (1) तहसील बाँदा स्थित ग्राम-गंछा, (2) तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के खण्ड सं0-03, (3) तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के खण्ड सं0-05, (4) तहसील पैलानी स्थित ग्राम-मडौली खुर्द खादर, (5) तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के खण्ड सं0-01 व (6) तहसील पैलानी स्थित ग्राम-खपटिहाकलां के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या व अभिलेखीय तथ्य निम्नवत है :-

(i) खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम-गंछा -

- (i). मे0 ओम ट्रेडर्स प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामआसरे तिवारी निवासी ग्राम-मेथौटिकुर, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-गंछा के गाटा सं0-1971/1 रकबा 24.71 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 28.10.2024 से 27.04.2025 तक रवीकृत था, जिसकी अवधि दिनांक 27.04.2025 को समाप्त हो चुकी है।
- (ii). प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 3503 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-3946/खनिज-30 बाँदा दिनांक 23.11.2024 (संलग्नक-02) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस

(2)

निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 31,52,700/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 31,52,700/- चालान नं०-AKV240025816 दिनांक 24.11.2024 व चालान नं०-AKV240025815 दिनांक 24.11.2024 द्वारा जमा किया गया।

(II) खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम-पथरी, खण्ड संख्या-03 -

- (i). मयूर बॉक्सार्ट इंडिया प्राईवेट लिगिटेड कम्पनी पता-8 फ्लोर, डी०एन०-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5, साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल) हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड, कुदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर निवासी-वार्ड नं०-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल, आपोजिट साउंड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं०-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं०-03) कुल रकबा 19.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।
- (ii). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 3373 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3430/खनिज-30 बांदा दिनांक 19.10.2024 (संलग्नक-03) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 30,35,700/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 30,35,700/- चालान नं०-AKV240022184 दिनांक 19.10.2024 द्वारा जमा किया गया।
- (iii). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2166.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3985/खनिज-30 बांदा दिनांक 26.11.2024 (संलग्नक-04) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 19,49,850/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 19,49,850/- चालान नं०-AKV240026036 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- (iv). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 05.02.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 6854.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-4755/खनिज-30 बांदा दिनांक 07.02.2025 (संलग्नक-05) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 61,69,050/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 19.03.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं०-170/खनिज-30 बांदा दिनांक 07.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निरस्तारित किया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 61,69,050/- विभिन्न चालान नं०-AKV250012310 दिनांक 24.04.2025 रू० 10,00,000/-, चालान नं०-AKV250013729 दिनांक 08.05.2025 रू० 25,00,000/- व चालान नं०-AKV250013760 दिनांक 08.05.2025 रू० 26,69,050/- द्वारा जमा किया गया।

(3)

- (v). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 10.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 36518.75 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-5202/खनिज-30 बांदा दिनांक 18.03.2025 (संलग्नक-06) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 3,28,66,875/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 20.03.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं0-299/खनिज-30 बांदा दिनांक 17.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया। पट्टाधारक द्वारा नोटिस दिनांक 18.03.2025 व स्पष्टीकरण निरस्तीकरण पत्र दिनांक 17.04.2025 के विरुद्ध मा0 न्यायालय, आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा के अपील सं0-742/2025 योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 03.05.2025 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

“पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलकर्ता द्वारा समय के अन्दर प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः न्यायहित में अपील पंजीकृत की जाती है। स्थगन के संबंध में अपीलकर्ता के कथनों में बल प्रतीत होता है। ऐसी दशा में अग्रिम नियत तिथि तक के लिए जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 18.03.2025/17.04.2025 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है। गुणदोष पर निस्तारण हेतु अवर कार्यालय की पत्रावली एवं प्रस्तरवार आख्या तलब की जाये। पत्रावली दिनांक 12.06.2025 को पेश हो।”

उपरोक्त आदेश के क्रम में कार्यालय पत्र सं0-1011/खनिज-30 बांदा दिनांक 24.05.2025 द्वारा पत्रावली व प्रस्तरवार आख्या प्रेषित की गयी। पट्टाधारक द्वारा अवैध खनन की कुल धनराशि रू0 3,28,66,875/- से से आंशिक धनराशि रू0 50,00,000/- विभिन्न चालानों के माध्यम से जमा किया गया है।

- (vi). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.05.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 43696 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-667/खनिज-30 बांदा दिनांक 06.05.2025 (संलग्नक-07) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 3,93,26,400/- से अवगत कराया गया।

(iii) खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम-मरौलीखादर, खण्ड संख्या-05 -

- (i). डेरकोन बिल्डटेक प्रा0लि0 निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी-128/189, कं0 ब्लाक, किदवई नगर, जिला कानपुर नगर के पक्ष में जनपद बांदा की तहसील बांदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं0-05) कुल रकवा 23.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है।
- (ii). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 16.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1703 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 4207 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-3378/खनिज-30 बांदा दिनांक 16.10.2024 (संलग्नक-08) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस

(4)

निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू 54,19,000/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू 54,19,000/- को चालान नं०-AKV240021828 दिनांक 16.10.2024 रू 25,00,000/- व चालान नं०-AKV240022391 दिनांक 22.10.2024 रू 29,19,000/- द्वारा जमा किया गया।

- (iii). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 14.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2991.75 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3986/खनिज-30 बांदा दिनांक 26.11.2024 (संलग्नक-09) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू 26,92,575/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू 29,92,575/- को चालान नं०-AKV240026050 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- (iv). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 4371.20 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-4470/खनिज-30 बांदा दिनांक 04.01.2025 (संलग्नक-10) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू 39,34,080/- से अवगत कराया गया।
- (v). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 11.02.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1150 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-4852/खनिज-30 बांदा दिनांक 17.02.2025 (संलग्नक-11) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू 10,35,000/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू 10,35,000/- को चालान नं०-AKV250015095 दिनांक 22.05.2025 द्वारा जमा किया गया।
- (vi). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.04.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 24203.75 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-183/खनिज-30 बांदा दिनांक 08.04.2025 (संलग्नक-12) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू 2,17,83,375/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 05.5.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं०-1310/खनिज-30 बांदा दिनांक 13.06.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया।
- (vii). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 7217 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-1588/खनिज-30 बांदा दिनांक 02.07.2025 (संलग्नक-13) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू 65,45,300/- से अवगत कराया गया।

(5)

(IV) खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम-मझौली खुर्द खादर -

- (i). मे0 प्रजाविजन विजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा0लि0 निवासी-94 एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह पुत्र श्री यदुवंशी अशोक कुमार सिंह निवासी म0नं0-72 साई नगर फेस-2 सिंहपुर, थाना सारनाथ, तहसील रादर, जिला वाराणसी के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-मझौलीखुर्द खादर के गाटा सं0-58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।
- (ii). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 22.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1651.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1363.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-3948/खनिज-30 बांदा दिनांक 23.11.2024 (संलग्नक-14) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 27,13,500/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 27,13,500/- चालान नं0-AKV240025886 दिनांक 25.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- (iii). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 08.01.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 5624.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-4569/खनिज-30 बांदा दिनांक 16.01.2025 (संलग्नक-15) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 50,62,050/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 23.01.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं0-1323/खनिज-30 बांदा दिनांक 13.06.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया।
- (iv). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 17298.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-5238/खनिज-30 बांदा दिनांक 21.03.2025 (संलग्नक-16) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 1,55,68,650/- से अवगत कराया गया।

(V) खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम-मरौलीखादर, खण्ड संख्या-01 -

- (i). श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास, गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं0-01) कुल रकबा 17.2802 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।

(6)

- (ii). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1403 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-3431/खनिज-30 बांदा दिनांक 19.10.2024 (संलग्नक-17) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 12,62,700/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 12,62,700/- चालान नं0-AKV240022185 दिनांक 19.10.2024 द्वारा जमा किया गया।
- (iii). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 24.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2332 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-3984/खनिज-30 बांदा दिनांक 26.11.2024 (संलग्नक-18) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 20,98,800/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 20,98,800/- चालान नं0-AKV240026063 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- (iv). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1471 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 2003 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-4454/खनिज-30 बांदा दिनांक 04.01.2025 (संलग्नक-19) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 31,26,600/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 31,26,600/- को चालान नं0-AKV250000702 दिनांक 08.01.2025 रू0 15,00,000/- व चालान नं0-AKV250001039 दिनांक 11.01.2025 रू0 16,26,600/- द्वारा जमा किया गया।
- (v). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19.05.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1219.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-984/खनिज-30 बांदा दिनांक 22.05.2025 (संलग्नक-20) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 10,97,500/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 10,97,500/- चालान नं0-AKV250015906 दिनांक 30.05.2025 द्वारा जमा किया गया।
- (vi). प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1804.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-1589/खनिज-30 बांदा दिनांक 02.07.2025 (संलग्नक-21) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 17,49,050/- से अवगत कराया गया।

(7)

(VI) खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम-खपटिहांकलां

- (i). Suddhatam Enterprises प्रो० श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-खपटिहांकलां के गाटा सं०-62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत था, जिसकी अवधि दिनांक 11.05.2025 को समाप्त हो चुकी है।
- (ii). प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 21.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 1101.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3947/खनिज-30 बांदा दिनांक 23.11.2024 (संलग्नक-22) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति ₹० 9,91,350/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि ₹० 9,91,350/- चालान नं०-AKV240025804 दिनांक 24.11.2024 व चालान नं०-AKV240025897 दिनांक 25.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- (iii). प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 3619.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 731 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-4382/खनिज-30 बांदा दिनांक 30.12.2024 (संलग्नक-23) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति ₹० 39,65,450/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि ₹० 39,65,450/- चालान नं०-AKV240029987 दिनांक 31.12.2024, चालान नं०-AKV240029984 दिनांक 31.12.2024 व चालान नं०-AKV240029990 दिनांक 31.12.2024 द्वारा जमा किया गया।
- (iv). प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 20.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर 2078 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-5240/खनिज-30 बांदा दिनांक 21.03.2025 (संलग्नक-24) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति ₹० 18,70,200/- से अवगत कराया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि ₹० 18,70,200/- में से आंशिक धनराशि ₹० 10,00,000/- चालान नं०-AKV250018378 दिनांक 30.06.2025 द्वारा जमा किया गया।
- (v). प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 29.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर 2875.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-28/खनिज-30 बांदा दिनांक 02.04.2025 (संलग्नक-25) द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति ₹० 25,87,950/- से अवगत कराया गया।

(8)

3. उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि खनन पट्टा क्षेत्रों के लिये निर्गत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में उल्लेख है कि "The mining work will be open-cast and manual/semi mechanized (subject to orders)- Heavy machine such as excavator, Scooper etc. should not be employed for mining purpose. No drilling/blasting should be involved at any stage." उक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम-41(ग) का विवरण निम्नवत है :-

"41(ग) पट्टेदार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट शर्त के अनुसार नदी की जलधारा को छोड़कर मशीन की सहायता से खनन कर सकता है और लोडिंग तथा अनलोडिंग के लिये भी मशीन का प्रयोग कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन से पट्टेदार भूमि पर किसी भी मशीनरी, संयंत्र प्रसाधन फर्श भट्टियां, ईट भट्टों, कार्यशाला, मालगोदाम और समान प्रकार के अन्य भवनों का परिनिर्माण तथा निर्माण कर सकता है।"

जनपद में खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र दिये गये शर्तों एवं उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-41(ग) के अनुसार Open cast/Semi Mechanized (Manually Operated machines) मशीनों की सहायता से खनन कार्य तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग का कार्य किया जाता है।

4. राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) लखनऊ द्वारा जारी पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों में यह उल्लिखित है कि खनन क्षेत्रों में खनन कार्य दिन में ही किया जाये के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध अवगत कराना है कि दिन में खनन क्षेत्रों से उपखनिज बालू/गीरम का खनन कार्य करके बालू/मौसम का परिवहन करने वाले वाहनों में लोडिंग कर काटों के समीप खड़ा करा दिया जाता है तथा कुछ उपखनिज की मात्रा को निकालकर पट्टा क्षेत्र में संग्रहित कर लिया जाता है, जिसे रात्रि के समय परिवहन किये जाने वाले वाहनों पर निर्धारित मात्रा के अनुसार लोडिंग करते हुये गन्तव्य स्थान के लिये रवाना किया जाता है साथ ही यह भी अवगत कराना है कि दिन के समय विभिन्न ग्राम, कस्बा, शहरों में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित होने के कारण वाहन चालकों के पक्ष में निर्गत परिवहन पास/ई-एम०एम०-11 में गन्तव्य स्थान हेतु निर्धारित अवधि की समय सीमा समाप्त होने लगती है, जिससे विभिन्न जिलों में अवैध परिवहन/ओवरलोडिंग हेतु लगाये गये विभिन्न चेक गेट्स तथा प्रयतन दलों द्वारा वाहनों का चालान कर दिया जाता है, जिस कारण से वाहन स्वामी/उपखनिज परिवहनकर्ता दिन के समय परिवहन कम करते हैं जबकि रात्रि के समय में ज्यादातर परिवहन का कार्य वाहनों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण रात्रि के समय में परिवहन पास/ई-एम०एम०-11 जनित किया जाता है। रात्रि में खनन का कार्य नहीं किया जाता है।

5. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्त के अनुसार नदी की जलधारा छोड़कर खनन कार्य किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) में उल्लेख किया गया है कि "42(ज)(1)- पट्टेदार नदी तल में तीन मीटर की गहराई अथवा जलस्तर जो भी कम हो, के परे कोई खनन संक्रियायें नहीं करेगा। और कोई खनन, जिलाधिकारी द्वारा ऐसे परीक्षण किये गये सुरक्षा क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।" प्रतिबन्ध यह है कि कोई खनन, जल धारा में सबशन मशीन, लिपटर आदि की सहायता से नहीं किया जायेगा।"

नदी की जलधारा में खनन कार्य प्रतिबन्धित रहता है एवं जनपद में गठित टास्क फोर्स द्वारा जनपद में संचालित किसी भी खनन पट्टा क्षेत्र में जलधारा में खनन कार्य न हो न ही किसी प्रकार का अवैध खनन हो के सम्बन्ध में सतत निगरानी किया जाता है साथ ही साथ अगर किसी भी खनन क्षेत्र में जलधारा/लिपटर आदि मशीन लगाकर खनन किया जाता है तो सम्बन्धित के विरुद्ध उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) का उल्लंघन करने पर नियम-60(4) के अन्तर्गत रू० 5.00 लाख जुर्माना अधिरोपित किया जाता है।


(9)

6. उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन पर सतर्क दृष्टि रखते हुये जनपद के स्वीकृत समस्त खनन क्षेत्रों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है एवं किसी भी प्रकार का अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विधिक कार्यवाही की जाती है तथा जनपद में अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण रोकथाम हेतु जनपद स्तर/तहसील स्तर पर टास्कफोर्स का गठन किया गया है, जिसके द्वारा निरन्तर प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है। जनपद के स्वीकृत/संचालित खनन क्षेत्रों से गुजरने वाले वाहनों की निगरानी रखने हेतु वे-ब्रिज/सी०सी०टी०वी० कैमरा स्थापित कराया गया है, जो निदेशालय स्थित Central Command Centre से Integrated है। जनपद में स्वीकृत/संचालित खनन क्षेत्रों में पी०टी०जेड० कैमरा/सीमास्तम्भ/Geo-fencing किया गया है। अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण रोकथाम हेतु मानव रहित AI Based 03 Check Gate क्रमशः स्थल नरैनी रोड गिरवा चौक व तहसील नरैनी अन्तर्गत नरैनी से करतल मार्ग व तहसील बाँदा अन्तर्गत थाना मटौंध के बाँदा से मटौंध रोड पर तिराहा के पास स्थापित कराया गया है, जो आधुनिक कैमरा और RFID Scanner युक्त है, जो भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ स्थित Central Command Centre से Integrated है। चेक गेट के माध्यम से उपखनिजों के अवैध परिवहन करने वाले वाहनों का आटोमेटिक पहचान के उपरान्त नोटिस निर्गत किया जाता है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 में अवैध खनन/परिवहन/ओवरलोडिंग के 2266 वाहन सम्बन्धित मामलों में शमन की कार्यवाही करते हुये रु० 11,25,11,499/- राजकीय कोष में जमा कराया गया है, इसके अतिरिक्त समय-समय पर जांच में पाये गये अवैध खनन/अधिक खनन के 54 मामलों से कुल रु० 8,67,69,990/- राजस्व जमा कराया गया है। जनपद में अवैध भण्डारण के 03 मामलों से रु० 7,64,700.00/- राजस्व जमा कराया गया है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


खान अधिकारी
बाँदा।


प्रभारी अधिकारी खनिज
बाँदा।


जिलाधिकारी
बाँदा।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 निम्नवत् है :-

....."5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months.

7. List on 16.07.2025 for further consideration.".....

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर-203/2025 राम मिलन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 27.06.2025 को विडियों कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया था कि निरीक्षण शिकायतकर्ता के उपस्थिति में किया जाना उचित होगा। तत्पश्चात दिनांक 01.07.2025 निरीक्षण की तिथि निर्धारित की गयी।

उपर्युक्त माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 27.05.2025 के क्रम में गठित समिति के नामित अधिकारी 1. श्री सदीप रॉय, वैज्ञानिक 'घ', क्षेत्रीय निदेशालय केंद्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ 2. श्री अशीष चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी, भू-वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, झाँसी 3. श्री विकास सिंह परमार, खान अधिकारी, जनपद-हमीरपुर 4. श्री राज रंजन, खान अधिकारी, जनपद-बॉदा 5. श्री इमरान अली, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, झाँसी 6. डॉ0 माधवी कमलवंशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा (नोडल) द्वारा दिनांक 01.07.2025 को खनिज विभाग, हमीरपुर कार्यालय में शिकायतकर्ता श्री राम मिलन के साथ बैठक एवं उनकी उपस्थिति में खनन पट्टों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, मौके पर श्री राम मिलन द्वारा अपना लिखित रूप से बयान प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नवत् उल्लेख किया गया है:-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर-203/2025 राम मिलन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त जाँच समिति द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 27.05.2025 में उल्लिखित खनन क्षेत्रों जनपद-हमीरपुर व जनपद-बॉदा की जाँच शिकायतकर्ता श्री राम मिलन पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार द्विवेदी, निवासी- ग्राम + पोस्ट मुस्करा, थाना-मुस्करा, तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर की उपस्थिति में किया गया, जाँच के समय पाया गया कि पिछले एक सप्ताह से बरसात हो जाने के कारण उल्लिखित क्षेत्र जलमगन हो गये हैं तथा क्षेत्रों में जलधारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण कोई भी खनन गढ़वा परिलक्षित नहीं हो रहा है और न ही किसी प्रकार की मशीनों से खनन ही हो रहा है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि लगभग एक सप्ताह से बारिश ज्यादा हो जाने के कारण खनन क्षेत्र तक पहुँचने वाले रास्ते भी जलमगन हो गये हैं। साथ ही साथ शिकायतकर्ता श्री राम मिलन द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में अगर भारी पोकलेन मशीन या अन्य अनियमितता की जाती है तो सम्बन्धित विभाग व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सूचित करेंगे।

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये शिकायत के क्रम में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 01.07.2025 को वार्ता/पूछताछ मे मेरे द्वारा यह कथन बिना दबाव के स्वच्छ मन से दे रहा हूँ।

Ullk

(2)

- जनपद-जालौन तथा जनपद-झाँसी के खनन पट्टो तथा जनपद-जालौन व झाँसी के खनन विभाग से मुझे कोई शिकायत नहीं है।
 - जनपद-हमीरपुर के खनन क्षेत्र बेरी खण्ड संख्या-10/6, ग्राम-चण्डौत खण्ड संख्या-21/1 एवं ग्राम-इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/17, 25/18 एवं 25/21 में मुझे पोकलेन मशीन चलने तथा उत्पन्न गढ़बो की शिकायत है।
 - उक्त के अतिरिक्त मुझे कोई शिकायत नहीं है।" (साक्ष्य संलग्न)
- निरीक्षण के समय के फोटोग्राफ्स निम्नवत् है:-



जनपद-हमीरपुर में आच्छादित खनन क्षेत्रों की आख्या निम्नवत् है:-

- मैसर्स कॉवर इण्टर प्राइजेज प्रा०लि०, खण्ड नं०-10/06, ग्राम-बेरी तहसील व जनपद-हमीरपुर।
 - मैसर्स कॉवर इण्टर प्राइजेज प्रा०लि०, खण्ड नं०-10/06, ग्राम-बेरी तहसील व जनपद-हमीरपुर को एस०ई०आई०ए०ए० के पत्रांक EC23B001UP191792 दिनांक 02.11.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 196097/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2023 दिनांक 23.11.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 23.11.2023 से 31.12.2027 तक है।
 - यह कि खनन विभाग, जनपद-हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम बेरी के खण्ड संख्या-10/6- यह कि खनन पट्टा मे० कॉवर इण्टर प्राइजेज प्रा०लि० निदेशक श्री कॅवर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी-डी-19 सेक्टर-40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ०प्र० व शिवानी सिंह पुत्री श्री अनिल कुमार सिंह पता-हाउस नं०-208 गली नं०-13 लिबर्टी शोरुम के पास भीकम कालौनी, बल्लबगढ़ फरीदाबाद हरियाणा के पक्ष में तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी खण्ड संख्या-10/6 रकबा-36.437 हे० क्षेत्र पर बालू/मौरम खनन हेतु वार्षिक मात्रा-5,82,912 घन मीटर हेतु दिनांक-09.11.2023 से 08.11.2028 तक की अवधि के लिये स्वीकृत था। खान अधिकारी हमीरपुर द्वारा खनन क्षेत्र की जांच दिनांक-24.06.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1238.3 घन मीटर बालू/मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-551/खनिज-एम०एम०सी- तीस-विधि (2023-24) दिनांक-05.07.2024 निर्गत करते हुये अर्थदण्ड रु०-11,14,470/- आरोपित किया गया। पट्टाधारक द्वारा

Wish

(3)

उक्त धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या-233/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-23.07.2024 द्वारा अवैध खनन किये जाने के कारण अर्धदण्ड अधिरोपित किया गया है। तहसीलदार हमीरपुर, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-23.12.2024 को जांच की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-1418/खनिज- एम0एम0सी-तीस-विविध (2023-24) दिनांक-26.12.2024 द्वारा अर्धदण्ड रु0-5,00,000/- आरोपित किया गया। उक्त क्षेत्र की पुनः जांच उपजिलाधिकारी हमीरपुर, क्षेत्राधिकारी हमीरपुर एवं खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-27.02.2025 को की गयी जिसमें पट्टाधारक द्वारा 663 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-1816/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-10.03.2025 द्वारा अर्धदण्ड रु0-5,96,700/-आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि खनन क्षेत्र में लगे वे-ब्रिज के माध्यम से दिनांक-09.11.2025 से 05.04.2025 तक निकासी किये गये उपखनिज के अवैध परिवहन किये जाने के कारण 356 वाहनों पर कुल रु0-1,52,74,484/- धनराशि आरोपित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र को इस कार्यालय के आदेश संख्या-141/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-24.04.2025 द्वारा खनन पट्टा निरस्त करते हुये देय बकाया धनराशि ससमय जमा करने हेतु तथा ससमय न जमा किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भाँति वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. मैसर्स ओम प्रकाश राम औतार, खण्ड नं0-21/1, ग्राम-चण्डौत, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर

- मैसर्स ओम प्रकाश राम औतार, खण्ड नं0-21/1, ग्राम-चण्डौत, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC23B001UP115799 दिनांक 23.11.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 195179/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2023 दिनांक 29.11.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 29.11.2023 से 31.12.2027 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम चण्डौत खण्ड संख्या 21/1- यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 ओम प्रकाश राम अवतार प्रो0 श्रीमती रेनु गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी-128/346 एच0 ब्लाक किदवाई नगर जनपद कानपुर नगर उ0प0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या-21/1 रकबा-16.00 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 2,40,000 घन मीटर खनन हेतु दिनांक- 09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत खनन क्षेत्र की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, तहसीलदार सरीला जनपद हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-19.03.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 6425 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-39/खनिज- एम0एम0सी-तीस-विविध (2023-24) दिनांक-04.04.2024 द्वारा अर्धदण्ड रु0-58,32,500/- आरोपित किया गया है। तत्पश्चात बकाया धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या-623/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-20.07.2024 द्वारा अधिरोपित करते हुये धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक-15.06.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1350 घन मीटर का अवैध खनन पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-381/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-22.06.2024 द्वारा अर्धदण्ड रु0-12,15,000/-आरोपित किया गया है। तत्पश्चात बकाया धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या-230/खनिज-एम0एम0सी- तीस-विविध (2024-25) दिनांक-23.07.2024 द्वारा अधिरोपित करते हुये धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, नायब तहसीलदार सरीला, चौकी प्रभारी चण्डौत, लेखपाल चण्डौत डाड़ा द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-18.11.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 5169.6 घन मीटर का अवैध खनन किया गया तथा खनन क्षेत्र में सी0सी0सी0टी0 कैमरा नहीं लगाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-1226/खनिज-एम0एम0सी- तीस-विविध (2024-25) दिनांक-26.11.2024 द्वारा अर्धदण्ड रु0-51,02,640/-आरोपित किया गया।

Handwritten signature

(4)

तत्पश्चात् पट्टाधारक द्वारा बकाया धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या-1459/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-30.12.2024 द्वारा अर्धदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 505 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-189/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-07.05.2025 द्वारा रु0-4,54,500/- अर्धदण्ड आरोपित किया गया है। उक्त क्षेत्र की पुनः जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल चण्डौत द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-27.04.2025 की गयी, जिसमें पट्टाधारक द्वारा कुल 1900 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-236/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-15.05.2025 द्वारा अर्धदण्ड रु0-17,10,000/-आरोपित किया गया है।

- उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक संख्या-एच18723/सी-2/सा0-668/24 दिनांक 16.10.2024 द्वारा रु0-1,04,96,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

3. मै0 रेवा शुगर इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, खण्ड नं0-25/17, ग्राम-इछौरा, जितकरी, तहसील सरीला जनपद-हमीरपुर।

- यह कि खनन विभाग, जनपद-हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इछौरा जितकरी खण्ड संख्या 25/17- यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 रेवा शुगर इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 निदेशक रसमीत सिंह मल्होत्रा पुत्र श्री अजीत सिंह मल्होत्रा पता-पोस्ट व तहसील पिपरिया नेहरुवार्ड नं0-13 अल्का टाकीज के पास पिपरिया हौशंगाबाद म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/17 रकबा-12.145 हे0 वार्षिक आकलित मात्रा-1,94,296 घन मीटर हेतु कार्यालय के पत्र संख्या-1737/खनिज-एम0एम0सी- तीस-विविध (2022-23) दिनांक-21.02.2023 द्वारा आशय पत्र (LOI) निर्गत किया गया है। उक्त खनन पट्टा वर्तमान समय में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया में है।
- उक्त खनन पट्टे को कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में सहमति जल/वायु निर्गत नहीं है।

4. मैसर्स यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0, खण्ड नं0-25/18, ग्राम-इछौरा, जितकरी, तहसील सरीला जनपद-हमीरपुर।

- मैसर्स यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0, खण्ड नं0-25/18, ग्राम-इछौरा, जितकरी, तहसील सरीला जनपद-हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP110127 दिनांक 14.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 205700/UppCB/Banda(UppCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2024 दिनांक 22.03.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 22.03.2024 से 31.12.2028 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इछौरा जितकरी खण्ड संख्या 25/18- यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 निदेशक चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया निवासी-9ए पैरामाउण्ट विला श्यामला हिल्स नियर, रीजनल कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/18 रकबा-8.180 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 1,30,864 घन मीटर खनन हेतु दिनांक-16.03.2024 से 15.03.2029 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक हमीरपुर, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा 15.06.2024 संयुक्त रूप से की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1820 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-382/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-22.06.2024 द्वारा अर्धदण्ड रु0-16,38,000/- आरोपित किया गया है। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक

Ullah

(5)

चिकारी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-12.12.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक 10500 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-1348/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-12.12.2024 द्वारा अर्धदण्ड रु0-94,50,000/-आरोपित किया गया है। तत्पश्चात् आदेश संख्या-1557/ खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-22.01.2025 द्वारा अर्धदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। खनन क्षेत्र की जांच उपजिलाधिकारी सरीला, क्षेत्राधिकारी सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-11.02.2025 को की गयी जांच में पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्दर खनन कार्य करते हुये पाया गया। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 650 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-196/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-07.05.2025 द्वारा रु0-5,85,000/-अर्धदण्ड आरोपित किया गया है।

5. मैसर्स डिजियाना इण्डस्ट्रीज, खण्ड नं0-25/21, ग्राम-इछौरा जितकरी, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।

- मैसर्स डिजियाना इण्डस्ट्रीज, खण्ड नं0-25/21, ग्राम-इछौरा जितकरी, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0 के पत्रांक EC24B001UP180555 दिनांक 14.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 206013/UppCB/Banda(UppCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2024 दिनांक 22.04.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 22.04.2024 से 31.12.2025 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इछौरा जितकरी खण्ड संख्या 25/21- यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्न पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्न निवासी-233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भँवरकुँआ इन्दौर जौ0पी0 म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जितकरी के खण्ड संख्या-25/21 रकबा-17.731 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 2,83,661 घन मीटर खनन हेतु दिनांक-11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत खनन क्षेत्र की जांच अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), हमीरपुर, उपजिलाधिकारी सरीला, खान अधिकारी हमीरपुर, क्षेत्रीय वनाधिकारी सरीला द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-22.11.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा न लगाये जाने के कारण 12 दिन की शास्ति रु0-3,00,000/-आरोपित की गयी है। तत्पश्चात् पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या-1458/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-30.12.2024 द्वारा अर्धदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकारी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-12.12.2024 को की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकारी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-15.01.2025 को की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, उपनिरीक्षक थाना चिकारी, राज्य निरीक्षक सरीला एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-30.01.2025 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1125 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-1732/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक- 27.01.2025 द्वारा अर्धदण्ड रु0-15,12,500/- आरोपित किया गया है। तत्पश्चात् पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या-1923/खनिज- एम0एम0सी-तीस- विविध (2024-25) दिनांक-28.03.2025 द्वारा अर्धदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। उपजिलाधिकारी सरीला, क्षेत्राधिकारी सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-06.03.2025 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। नदी की जलधारा में खनन कार्य होना नहीं पाया गया। खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा क्षेत्र की जांच दिनांक-19.04.2025 को की गयी।

Wish

(6)

जांच में 06 Suction Pump Machine/Lifter द्वारा बालू/मोरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये जाने पर उक्त मशीनों को सम्बन्धित थाने की सुपुर्दगी में देते हुये पत्र संख्या-101/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2024-25) दिनांक-19.04.2025 द्वारा अर्धदण्ड रु0-30,00,000/- आरोपित किया गया है। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या-276/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-28.05.2025 द्वारा अर्धदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 300 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-197/खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2025-26) दिनांक-07.05.2025 द्वारा रु0-2,70,000/- अर्धदण्ड आरोपित किया गया है।

जनपद-बौदा में आच्छादित खनन क्षेत्रों की आख्या निम्नवत् है:-

1. मैसर्स ओम ट्रेडर्स, गाटा नं0-1971/1, ग्राम-गंछा, तहसील व जनपद-बौदा।

- मैसर्स ओम ट्रेडर्स, गाटा नं0-1971/1, ग्राम-गंछा, तहसील व जनपद-बौदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B0107UP5134183N दिनांक 08.10.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 223566/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 21.10.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 21.10.2024 से 31.12.2025 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-बौदा से प्राप्त सूचना के अनुसार मे0 ओम ट्रेडर्स प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामआसरे तिवारी निवासी ग्राम-मेथीटिकुर, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव के पक्ष में जनपद बौदा की तहसील बौदा स्थित ग्राम-गंछा के गाटा सं0-1971/1 रकबा 24.71 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 28.10.2024 से 27.04.2025 तक स्वीकृत था, जिसकी अवधि दिनांक 27.04.2025 को समाप्त हो चुकी है।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 3503 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-3946/खनिज-30 बौदा दिनांक 23.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रु0 31,52,700/- से अयगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रु0 31,52,700/- चालान नं0-AKV240025816 दिनांक 24.11.2024 व चालान नं0-AKV240025815 दिनांक 24.11.2024 द्वारा जमा किया गया।

2. मैसर्स मयूर बॉक्ससॉर्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0-72/47 का भाग एवं 74/01 का भाग (खण्ड नं0-3), ग्राम-पथरी, तहसील व जनपद-बौदा।

- मैसर्स मयूर बॉक्ससॉर्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0-72/47 का भाग एवं 74/01 का भाग (खण्ड नं0-3), ग्राम-पथरी, तहसील व जनपद-बौदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP191707 दिनांक 06.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 204966/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 14.03.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 14.03.2024 से 31.12.2028 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-बौदा से प्राप्त सूचना के अनुसार मयूर बॉक्ससॉर्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी पता-6 फ्लोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5, साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल) हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड, कुदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर निवासी-वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,

Handwritten signature

(7)

आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं०-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं०-03) कुल रकबा 19.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 3373 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3430/खनिज-30 बाँदा दिनांक 19.10.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 30,35,700/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 30,35,700/- चालान नं०-AKV240022184 दिनांक 19.10.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2166.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3985/खनिज-30 बाँदा दिनांक 26.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 19,49,850/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 19,49,850/- चालान नं०-AKV240026036 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 05.02.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 6854.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-4755/खनिज-30 बाँदा दिनांक 07.02.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 61,69,050/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 19.03.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं०-170/खनिज-30 बाँदा दिनांक 07.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 61,69,050/- विभिन्न चालान नं०-AKV250012310 दिनांक 24.04.2025 रू० 10,00,000/-, चालान नं०-AKV250013729 दिनांक 08.05.2025 रू० 25,00,000/- व चालान नं०-AKV250013760 दिनांक 08.05.2025 रू० 26,69,050/- द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 10.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 36518.75 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-5202/खनिज-30 बाँदा दिनांक 18.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 3,28,66,875/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 20.03.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं०-299/खनिज-30 बाँदा दिनांक 17.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया। पट्टाधारक द्वारा नोटिस दिनांक 18.03.2025 व स्पष्टीकरण निरस्तीकरण पत्र दिनांक 17.04.2025 के विरुद्ध मा० न्यायालय, आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा के अपील सं०-742/2025 योजित की गयी, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 03.05.2025 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

—8



(8)

“पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलकर्ता द्वारा समय के अन्दर प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः न्यायहित में अपील पंजीकृत की जाती है। स्थगन के संबंध में अपीलकर्ता के कथनों में बल प्रतीत होता है। ऐसी दशा में अग्रिम नियत तिथि तक के लिए जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 18.03.2025/17.04.2025 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है। गुणदोष पर निस्तारण हेतु अवर कार्यालय की पत्रावली एवं प्रस्तरवार आख्या तलब की जाये। पत्रावली दिनांक 12.06.2025 को पेश हो।”

उपरोक्त आदेश के क्रम में कार्यालय पत्र सं०-1011/खनिज-30 बांदा दिनांक 24.05.2025 द्वारा पत्रावली व प्रस्तरवार आख्या प्रेषित की गयी। पट्टाधारक द्वारा अवैध खनन की कुल धनराशि रू० 3,28,66,875/- से से आंशिक धनराशि रू० 50,00,000/- विभिन्न चालानों के माध्यम से जमा किया गया है।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.05.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 43696 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-667/खनिज-30 बांदा दिनांक 06.05.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 3,93,26,400/- से अवगत कराया गया।

3. मैसर्स डेस्कान बिल्डटेक प्रा०लि०, गाटा नं०-333/7, खण्ड नं०-5, ग्राम-मरौली खादर, तहसील व जनपद-बाँदा।

- मैसर्स डेस्कान बिल्डटेक प्रा०लि०, गाटा नं०-333/7, खण्ड नं०-5, ग्राम-मरौली खादर, तहसील व जनपद-बाँदा को एस०ई०आई०ए०के के पत्रांक EC23B001UP162818 दिनांक 18.04.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 179001/UppCB/Banda(UppCBRO)/CTO/both/BANDA/2023 दिनांक 21.04.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 21.04.2023 से 31.12.2027 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद-बाँदा से प्राप्त सूचना के अनुसार डेस्कान बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी-128/189, के० ब्लाक, किदवई नगर, जिला कानपुर नगर के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-06) कुल रकबा 23.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 16.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1703 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 4207 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3378/खनिज-30 बांदा दिनांक 16.10.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 54,19,000/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 54,19,000/- को चालान नं०-AKV240021828 दिनांक 16.10.2024 रू० 25,00,000/- व चालान नं०-AKV240022391 दिनांक 22.10.2024 रू० 29,19,000/- द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 14.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2991.75 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के

Wish

(9)

नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-3986/खनिज-30 बांदा दिनांक 26.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 26,92,575/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 29,92,575/- को चालान नं0-AKV240026050 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 4371.20 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-4470/खनिज-30 बांदा दिनांक 04.01.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 39,34,080/- से अवगत कराया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 11.02.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1150 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-4852/खनिज-30 बांदा दिनांक 17.02.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 10,35,000/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 10,35,000/- को चालान नं0-AKV250015095 दिनांक 22.05.2025 द्वारा जमा किया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.04.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 24203.75 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0-183/खनिज-30 बांदा दिनांक 08.04.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 2,17,83,375/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 05.5.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं0-1310/खनिज-30 बांदा दिनांक 13.06.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 7217 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में पट्टाधारक को नोटिस निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।
4. **मैसर्स प्रज्ञाविजन बिजिनेस प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0-58, 107, 108, 109, 110, 111, 114, ग्राम-मडौली खुर्द खादर, तहसील-पैलानी, जनपद-बाँदा।**
- मैसर्स प्रज्ञाविजन बिजिनेस प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0-58, 107, 108, 109, 110, 111, 114, ग्राम-मडौली खुर्द खादर, तहसील-पैलानी, जनपद-बाँदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B0107UP5972290N दिनांक 15.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 205059/U PPCB/Banda(U PPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 15.03.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 15.03.2024 से 31.12.2025 तक है।

Handwritten signature

(10)

- यह कि खनन विभाग, जनपद-बोंदा से प्राप्त सूचना के अनुसार मे० प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा०लि० निवासी-94 एल्लिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह पुत्र श्री यदुवंशी अशोक कुमार सिंह निवासी म०नं०-72 साईं नगर फेंस-2 सिंहपुर, धाना सारनाथ, तहसील सदर, जिला वाराणसी के पक्ष में जनपद बोंदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-मडौलीखुर्द खादर के गाटा सं०-58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 22.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1651.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1363.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3948/खनिज-30 बांदा दिनांक 23.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 27,13,500/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 27,13,500/- चालान नं०-AKV240025886 दिनांक 25.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 08.01.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 5624.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-4569/खनिज-30 बांदा दिनांक 16.01.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 50,62,050/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 23.01.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं०-1323/खनिज-30 बांदा दिनांक 13.06.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 17298.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-5238/खनिज-30 बांदा दिनांक 21.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 1,55,68,650/- से अवगत कराया गया।
5. मैसर्स श्री प्रशांत कुमार गुप्ता, गाटा नं०-पार्ट ऑफ 333/7, खण्ड नं०-01, ग्राम-मरौली खादर, जनपद-बोंदा।
- मैसर्स श्री प्रशांत कुमार गुप्ता, गाटा नं०-पार्ट ऑफ 333/7, खण्ड नं०-01, ग्राम-मरौली खादर, जनपद-बोंदा को एस०ई०आई०ए०ए० के पत्रांक EC24B001UP141265 दिनांक 29.04.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 209807/Uppcb/Banda(Uppcbro)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 13.05.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 13.05.2024 से 31.12.2025 तक है।
 - यह कि खनन विभाग, जनपद-बोंदा से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास, गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा के पक्ष में जनपद बोंदा की तहसील बोंदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-01) कुल रकबा 17.2802 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।

(11)

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1403 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3431/खनिज-30 बांदा दिनांक 19.10.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 12,62,700/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 12,62,700/- चालान नं०-AKV240022185 दिनांक 19.10.2024 द्वारा जमा किया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 24.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2332 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3984/खनिज-30 बांदा दिनांक 26.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 20,98,800/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 20,98,800/- चालान नं०-AKV240026063 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1471 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 2003 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-4454/खनिज-30 बांदा दिनांक 04.01.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 31,26,600/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 31,26,600/- को चालान नं०-AKV250000702 दिनांक 08.01.2025 रू० 15,00,000/- व चालान नं०-AKV250001039 दिनांक 11.01.2025 रू० 16,26,600/- द्वारा जमा किया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19.05.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1219.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-964/खनिज-30 बांदा दिनांक 22.05.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 10,97,500/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 10,97,500/- चालान नं०-AKV250015906 दिनांक 30.05.2025 द्वारा जमा किया गया।
 - प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1804.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में पट्टाधारक को नोटिस निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।
6. मैसर्स शुद्धतम इण्टरप्राइजेज, गाटा सं०-62 व 63/1, ग्राम-खपटिहाकलां, तहसील पैलानी, जनपद बाँदा ।
- Suddhatam Enterprises प्र० श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-खपटिहाकलां के

(12)

गाटा सं०-62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत था, जिसकी अवधि दिनांक 11.05.2025 को समाप्त हो चुकी है।

- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 21.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 1101.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-3947/खनिज-30 बांदा दिनांक 23.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 9,91,350/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 9,91,350/- चालान नं०-AKV240025804 दिनांक 24.11.2024 व चालान नं०-AKV240025897 दिनांक 25.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 3619.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 731 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-4382/खनिज-30 बांदा दिनांक 30.12.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 39,65,450/- से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू० 39,65,450/- चालान नं०-AKV240029987 दिनांक 31.12.2024, चालान नं०-AKV240029984 दिनांक 31.12.2024 व चालान नं०-AKV240029990 दिनांक 31.12.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 20.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर 2078 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-5240/खनिज-30 बांदा दिनांक 21.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 18,70,200/- से अवगत कराया गया।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 29.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर 2875.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं०-28/खनिज-30 बांदा दिनांक 02.04.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू० 25,87,950/- से अवगत कराया गया।
- उक्त खनन पट्टे को कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में सहमति जल/वायु निर्गत नहीं है।


संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण के उपरान्त दिये गये सुझाव एवं उपचारात्मक कार्यवाही निम्नवत् है:-

1. खनन क्षेत्र में स्थापित प्रत्येक खनन पट्टों में खनन विभाग द्वारा जारी जियो को-आर्डिनेट के अनुसार पिलर की स्थापना किया जाये, साथ ही प्रत्येक पट्टाधारक के पास के०एम०एल० फाईल उपलब्ध हो, जिससे की खनन के दौरान अपने क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने की सम्भावना नगण्य हो।

Handwritten signature

(13)


2. वाहनों के आवागमन से उड़ने वाली धूल के नियन्त्रण हेतु टैंकर से जल का छिड़काव किया जाये एवं मौरम को गीला कर तिरपाल से ढक कर आवागमन हेतु प्रयोग किया जाये तथा उक्त के सम्बन्ध में लॉग बुक मेन्टेन की जाये।
3. जनपद-हमीरपुर एवं बाँदा में पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सहमति जल/वायु में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सघन वृक्षारोण किया जाये, जिसकी प्रगति आख्या एवं विवरण सम्बन्धित विभागों को फोटोग्राफ्स सहित प्रेषित किया जाये।
4. सी0ई0आर0 के मद में आवंटित धनराशि को पर्यावरणीय स्वीकृति में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही खर्च किया जाये।
5. जल धारा को अवरोधित किये बिना स्वीकृत खनन क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायें।
6. खनन क्षेत्र में अस्थाई (Bio-Toilet) को स्थापित कर प्रयोग किया जायें।
7. खनन क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु कलर कोड के अनुसार डस्ट बिन स्थापित कर प्रयोग किया जाये एवं सम्बन्धित स्थानीय निकाय के माध्यम से अपशिष्ट का निस्तारण किया जाये।
8. जनपद में संचालित खनन पट्टों की जांच समय-समय पर अथवा माह में कम से कम एक निरीक्षण अवश्य रूप से कर ली जाए।




डॉ० माधवी कमलवंशी,
क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा



इमरान अली,
क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, झाँसी



सज रंजन,
खान अधिकारी,
जनपद-बाँदा



राम पदारथ सिंह,
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
जनपद-झाँसी



जी०के० दत्ता,
खान अधिकारी,
जनपद-जालौन



विकास सिंह परमार,
खान अधिकारी,
जनपद-हमीरपुर



अशीष चौधरी,
क्षेत्रीय अधिकारी,
भू-वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
झाँसी



संदीप रॉय,
वैज्ञानिक "घ",
क्षेत्रीय निदेशालय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 3431 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : अक्टूबर / 19, 2024

नोटिस

श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता
पुत्र श्री राम किशन गुप्ता
निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास,
गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं0-01) कुल रकबा 17.2802 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 18.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

- पट्टाधारक श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 04 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त चारों पिट्ट का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-
- स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य से निर्माण पिट्ट के जियोकोऑर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°33'39.80"N	80°17'38.70"E	381	1.50	571.50
	B	25°33'39.91"N	80°17'39.25"E			
	C	25°33'40.40"N	80°17'39.27"E			
	D	25°33'40.57"N	80°17'38.82"E			
	E	25°33'40.30"N	80°17'38.47"E			
02	A	25°33'38.19"N	80°17'38.78"E	338	1.75	591.50
	B	25°33'38.12"N	80°17'39.21"E			
	C	25°33'38.53"N	80°17'39.48"E			
	D	25°33'38.86"N	80°17'39.20"E			
	E	25°33'38.75"N	80°17'38.72"E			
03	A	25°33'37.04"N	80°17'38.52"E	1417	2.00	2834.00
	B	25°33'36.32"N	80°17'38.52"E			
	C	25°33'35.54"N	80°17'38.39"E			
	D	25°33'35.55"N	80°17'37.56"E			
	E	25°33'36.54"N	80°17'37.28"E			
	F	25°33'37.25"N	80°17'37.91"E			
04	A	25°33'39.33"N	80°17'37.35"E	2051	1.75	3589.00
	B	25°33'38.75"N	80°17'37.58"E			
	C	25°33'38.00"N	80°17'37.48"E			
	D	25°33'37.62"N	80°17'36.98"E			
	E	25°33'37.89"N	80°17'36.29"E			
	F	25°33'39.04"N	80°17'35.98"E			
	G	25°33'39.80"N	80°17'36.65"E			
कुल योग :-						7586.00

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 3984 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 26, 2024

नोटिस

श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता
पुत्र श्री राम किशन गुप्ता
निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास,
गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं-0-333/7 का भाग (खण्ड सं-01) कुल रकबा 17.2802 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक 24.11.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 24.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 05 पिट्टे का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त चारों पिट्टे का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टे की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टे का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°33'39.57"N	80°17'37.08"E	6555	2.50	16387.50
	B	25°33'38.90"N	80°17'39.22"E			
	C	25°33'35.89"N	80°17'39.64"E			
	D	25°33'36.09"N	80°17'37.06"E			
02	A	25°33'35.37"N	80°17'34.97"E	1538	2.50	3845.00
	B	25°33'35.88"N	80°17'34.35"E			
	C	25°33'36.73"N	80°17'34.87"E			
	D	25°33'36.64"N	80°17'36.04"E			
	E	25°33'35.54"N	80°17'36.06"E			
03	A	25°33'37.75"N	80°17'33.75"E	5988	2.50	14970.00
	B	25°33'37.57"N	80°17'34.55"E			
	C	25°33'36.99"N	80°17'36.46"E			
	D	25°33'39.94"N	80°17'36.64"E			
	E	25°33'40.44"N	80°17'34.62"E			
04	A	25°33'38.41"N	80°17'32.61"E	7116	2.00	14232.00
	B	25°33'38.53"N	80°17'33.35"E			
	C	25°33'41.26"N	80°17'34.69"E			
	D	25°33'42.11"N	80°17'32.48"E			
	E	25°33'40.56"N	80°17'30.76"E			
05	A	25°33'38.07"N	80°17'32.16"E	2157	2.50	5392.50
	B	25°33'40.57"N	80°17'29.95"E			
	C	25°33'39.53"N	80°17'28.52"E			
	D	25°33'37.61"N	80°17'29.55"E			
	E	25°33'37.73"N	80°17'31.30"E			
कुल योग :-						54827.00

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन पट्टा प्रारम्भ से दिनांक 24.11.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 51092 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई०एम०एम०-11 जनित किया गया है तथा पूर्व में जांच दिनांक 18.10.2024 को 1403 घनमीटर का अतिरिक्त खनन का अर्धदण्ड आरोपित किया गया था। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से { 54827 - (51092 + 1403) } = 2332 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है। "

(2)

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 2332 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 3,49,800/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 17,49,000/- कुल ₹0 20,98,800/- (रूपये बीस लाख अठानवे हजार आठ सौ मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


जिलाधिकारी,
बॉदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 4454 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : जनवरी
दिसम्बर 04, 2024

नोटिस

श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता
पुत्र श्री राम किशन गुप्ता
निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास,
गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं0-01) कुल रकबा 17.2802 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, खान अधिकारी बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, उपजिलाधिकारी बाँदा, डिप्टी कलेक्टर बाँदा व अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बाँदा द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 26.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

- जांच के समय यह पाया गया कि खनन क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन कार्य करने से बने गड्ढे में पानी आ गया है। पानी आ जाने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उक्त स्थान पर बालू/मोरम का खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।
- संयुक्त जांच टीम द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की जांच के क्रम में यह देखा गया कि पट्टाधारक के स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर एक रास्ता/मार्ग मरौली खण्ड सं0-02 की तरफ लगभग 150 मी0 लम्बा एवं 7 मी0 चौड़ा रास्ता बना हुआ पाया गया एवं लगभग 150 मी0 दूर जा कर खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया जाना पाया गया, जिसको दृष्टिगत रखते हुये उक्त बने रास्ते को जे0सी0बी0/पोकलैण्ड मशीन के माध्यम से कटवा/तुड़वा दिया गया है।
- पट्टाधारक श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 04 पिट तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिटों का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-
- स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोआर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	विन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°33'43.40"N	80°17'30.68"E	18486	1.50	27,729.00
	B	25°33'41.72"N	80°17'32.42"E			
	C	25°33'41.31"N	80°17'39.01"E			
	D	25°33'45.32"N	80°17'38.69"E			
02	A	25°33'41.38"N	80°17'32.65"E	10071	1.75	17,624.00
	B	25°33'39.47"N	80°17'34.15"E			
	C	25°33'37.44"N	80°17'38.34"E			
	D	25°33'40.47"N	80°17'38.63"E			
03	A	25°33'38.86"N	80°17'33.92"E	13470	1.00	13,470.00
	B	25°33'36.80"N	80°17'38.67"E			
	C	25°33'33.90"N	80°17'39.71"E			
	D	25°33'36.59"N	80°17'32.62"E			
04	A	25°33'44.53"N	80°17'27.77"E	26146	1.00	26,146.00
	B	25°33'39.31"N	80°17'33.71"E			
	C	25°33'37.10"N	80°17'31.33"E			
	D	25°33'40.94"N	80°17'24.74"E			
कुल योग :-						84,969

(2)

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन पट्टा प्रारम्भ से दिनांक 26.12.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 79763 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है तथा पूर्व में जांच दिनांक 18.10.2024 को 1403 घनमीटर व जांच दिनांक 24.11.2024 को 2332 घन मी0 कुल 3735 घनमीटर का अतिरिक्त खनन का अर्धदण्ड आरोपित किया गया था। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से $[84969 - (79763 + 3735)] = 1471$ घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।

7. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन कार्य से निर्माण पिट्ट के जियोकोऑर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°33'43.70"N	80°17'39.33"E	1453	1.00	1453
	B	25°33'41.81"N	80°17'39.53"E			
	C	25°33'41.85"N	80°17'40.42"E			
	D	25°33'43.94"N	80°17'40.06"E			
02	A	25°33'34.05"N	80°17'45.81"E	550	1.00	550
	B	25°33'33.11"N	80°17'45.94"E			
	C	25°33'33.27"N	80°17'46.54"E			
	D	25°33'34.21"N	80°17'46.54"E			
कुल योग :-						2003

पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 2003 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है।

8. इस प्रकार उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा खनन अनुज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत 1471 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 2003 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।"

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

आप द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में कुल 1471 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 2,20,650/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 11,03,250/- कुल ₹0 13,23,900/- तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर कुल 2003 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 3,00,450/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 15,02,250/- कुल ₹0 18,02,700/- राजस्व की क्षति हुई है।

इस प्रकार आप द्वारा 1471 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन से ₹0 13,23,900/- तथा 2003 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन से ₹0 18,02,700/- कुल घनराशि (13,23,900 + 18,02,700) ₹0 31,26,600/- (₹0 इकत्तीस लाख छब्बीस हजार छः सौ मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

जिलाधिकारी,
बॉदा।
१६

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 964 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : मई 22, 2025

नोटिस

श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता
पुत्र श्री राम किशन गुप्ता
निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास,
गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं-0-333/7 का भाग (खण्ड सं-01) कुल रकबा 17.2802 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप नायब तहसीलदार बाँदा, खान अधिकारी बाँदा व उपजिलाधिकारी बाँदा द्वारा दिनांक 19.05.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या संख्या-919/खनिज-30, बाँदा दिनांक 20.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"पट्टाधारक मे० श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°33'34.42"N	80°17'45.50"E	207	0.50	103.50
	B	25°33'35.57"N	80°17'45.20"E			
	C	25°33'35.69"N	80°17'45.50"E			
	D	25°33'34.72"N	80°17'45.58"E			
02	E	25°33'49.76"N	80°17'43.35"E	372	3.00	1116.00
	F	25°33'50.09"N	80°17'42.93"E			
	G	25°33'50.48"N	80°17'43.24"E			
	H	25°33'49.82"N	80°17'44.15"E			
कुल योग :-						1219.50

इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 1219.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1219.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 1,82,925/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 9,14,625/- कुल ₹० 10,97,550/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अथवा लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. N. N. N.
22/05/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 1589 / खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक : 02/07/2025

श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता
पुत्र श्री राम किशन गुप्ता
निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास,
गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं0-01) कुल रकबा 17.2802 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या संख्या-1555/खनिज-30, बाँदा दिनांक 30.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°33'46.10"N	80°17'40.24"E	1203	1.50	1,804.50
	B	25°33'45.63"N	80°17'39.12"E			
	C	25°33'46.87"N	80°17'38.99"E			
	D	25°33'47.21"N	80°17'40.11"E			
कुल योग :-						1,804.50

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1,804.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।

5. उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि खनन पट्टा क्षेत्र की जांच हेतु, खनन पट्टा के पहुंच मार्ग पर 05 वाहन अवैध परिवहन/ओवरलोडिंग करते हुये पाये गये। उक्त वाहनो को संयुक्त जांच टीम द्वारा जिलाधिकारी महोदया के अग्रिम आदेशो तक थानाध्यक्ष मटौंध की अभिरक्षा में दिया गया। उक्त कृत्य कार्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(6) का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1804.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू0 2,70,675/- व खनिज मूल्य के रूप में रू0 13,53,375/- कुल रू0 16,24,050/- तथा ओवरलोडिंग के उपखनिज का परिवहन कर रहे 05 वाहनों के सम्बन्ध में रू0 25,000/- प्रति वाहन के अनुसार कुल रू0 1,25,000/- कुल घनराशि (16,24,050 + 1,25,000) 17,49,050/- (रू0 सतरह लाख उनचास हजार पचास मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. N. N. N.
02/07/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 3378/खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक : अक्टूबर 16, 2024

डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि०
निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता
पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी-128/189, को० ब्लाक, किदवई नगर,
जिला कानपुर नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरीलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-05) कुल रकबा 23.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान अधिकारी बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक 16.10.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 16.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

- पट्टाधारक डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 06 पिट तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त दोनो पिट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-
- स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोआर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	विन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'5.69"N	80°18'2.74"E	203	2.50	507.50
	B	25°34'5.40"N	80°18'2.89"E			
	C	25°34'5.41"N	80°18'3.41"E			
	D	25°34'5.74"N	80°18'3.58"E			
	E	25°34'5.77"N	80°18'3.01"E			
02	A	25°34'5.55"N	80°18'1.79"E	247	1.75	432.25
	B	25°34'5.71"N	80°18'2.02"E			
	C	25°34'5.99"N	80°18'2.08"E			
	D	25°34'6.30"N	80°18'2.00"E			
	E	25°34'6.16"N	80°18'1.58"E			
	F	25°34'5.90"N	80°18'1.57"E			
	G	25°34'5.68"N	80°18'1.62"E			
03	A	25°34'4.03"N	80°18'2.85"E	159	2.75	437.25
	B	25°34'4.31"N	80°18'3.05"E			
	C	25°34'4.65"N	80°18'3.07"E			
	D	25°34'4.62"N	80°18'2.69"E			
	E	25°34'4.31"N	80°18'2.70"E			
04	F	25°34'4.14"N	80°18'2.69"E	421	2.75	1157.75
	A	25°34'3.21"N	80°18'3.62"E			
	B	25°34'3.16"N	80°18'3.17"E			
	C	25°34'2.94"N	80°18'2.86"E			
	D	25°34'2.68"N	80°18'3.12"E			
	E	25°34'2.52"N	80°18'3.46"E			
	F	25°34'2.63"N	80°18'3.67"E			
	G	25°34'2.58"N	80°18'3.95"E			
H	25°34'2.91"N	80°18'3.87"E				

(3)

(2)

05	A	25°34'7.90"N	80°18'3.29"E	736	2.00	1472.00
	B	25°34'7.76"N	80°18'3.16"E			
	C	25°34'8.61"N	80°18'0.11"E			
	D	25°34'8.91"N	80°18'0.27"E			
06	A	25°34'8.61"N	80°18'0.11"E	341	5.00	1705.00
	B	25°34'8.91"N	80°18'0.27"E			
	C	25°34'9.43"N	80°17'58.70"E			
	D	25°34'9.30"N	80°17'58.67"E			
कुल योग :-						5711.75

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार मानसून सत्र के पश्चात दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 16.10.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 4009 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से (5712 - 4009) = 1703 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है।

5. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन कार्य से निर्माण पिट्ट के जियोकोऑर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'9.64"N	80°17'58.73"E	410	5.00	2050.00
	B	25°34'9.41"N	80°17'59.61"E			
	C	25°34'9.24"N	80°18'0.55"E			
	D	25°34'8.91"N	80°18'0.27"E			
	E	25°34'9.43"N	80°17'58.70"E			
02	A	25°34'9.13"N	80°18'0.46"E	719	3.00	2157.00
	B	25°34'8.71"N	80°18'1.48"E			
	C	25°34'8.00"N	80°18'3.89"E			
	D	25°34'7.78"N	80°18'3.69"E			
	E	25°34'8.91"N	80°18'0.27"E			
कुल योग :-						4207.00

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 4207 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है।

6. जांच में यह भी पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा उपखनिज बालू/मोरम का खनन/परिवहन कार्य के कारण सम्बन्धित खनन क्षेत्र में पानी आ जाने के पश्चात भी पट्टाधारक द्वारा पानी में खनन कार्य करते हुये पाया गया एवं निर्धारित गहराई से अधिक गहराई में खनन करते हुये पाया गया। पट्टाधारक का उक्त कृत्य पट्टा विलेख में उल्लिखित शर्तों एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

7. जांच में यह भी पाया गया कि खनन क्षेत्र में पहुंच मार्ग से जाते समय 02 वाहन क्रमशः यू0पी0 78जे0टी0-8402 व यू0पी0 91टी0-4621, जिसपर उपखनिज बालू/मोरम लदा था। उक्त वाहनों की जांच के समय उपखनिज के परिवहन हेतु परिवहन प्रपत्र ई0एम0एम0-11 नहीं पाया गया। उक्त वाहनों को एम0चेक ऐप के माध्यम से ई0घालान करते हुये मटोंघ थाना की सुपुर्दगी में अग्रिम आदेशों तक के लिये दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र से बिना परिवहन प्रपत्र ई0एम0एम0-11 के वाहनों को उपखनिज बालू/मोरम उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उनकी प्रथम दृष्टया संलिप्तता परिलक्षित होती है।

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 1703 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 4207 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।"

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

(3)

आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 1703 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 2,55,450/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 12,77,250/- कुल ₹0 15,32,700/- तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर कुल 4207 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 6,31,050/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 31,55,250/- कुल ₹0 37,86,300/- एवं अनुमोदित खनन योजना एवं खनन पट्टा की शर्तों का उल्लंघन करने पर नियमावली-2021 के नियम-60(2) के अनुसार शास्ति की धनराशि ₹0 50,000/- तथा 02 ओवरलोड वाहनो के सम्बन्ध में नियमावली-2021 के नियम-60(6) के अनुसार शास्ति की धनराशि ₹0 50,000/- राजस्व की क्षति हुई है।

इस प्रकार आप द्वारा 1703 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन से ₹0 15,32,700/- व 4207 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन से ₹0 37,86,300/- व अनुमोदित खनन योजना एवं खनन पट्टा की शर्तों का उल्लंघन की धनराशि ₹0 50,000/- तथा 02 ओवरलोड वाहनो की शास्ति की धनराशि ₹0 50,000/- कुल धनराशि (15,32,700 + 37,86,300 + 50,000 + 50,000) ₹0 54,19,000/- (₹0 चौवन लाख उन्नीस हजार मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


जिलाधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 3486 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 26, 2024

नोटिस

डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि०
निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता
पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी-128/189, के० ब्लाक, किदवई नगर,
जिला कानपुर नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-05) कुल रकबा 23.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक 14.11.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 14.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनिवारितायें पायी गयी :-

- "6. पट्टाधारक डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 06 पिट्टे का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त 06 पिट्टे का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टे की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टे का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'8.61"N	80°18'0.11"E	341	5.00	1705.00
	B	25°34'8.91"N	80°18'0.27"E			
	C	25°34'9.43"N	80°17'58.70"E			
	D	25°34'9.30"N	80°17'58.67"E			
02	A	25°34'7.90"N	80°18'3.29"E	736	2.00	1472.00
	B	25°34'7.76"N	80°18'3.16"E			
	C	25°34'8.61"N	80°18'0.11"E			
	D	25°34'8.91"N	80°18'0.27"E			
03	A	25°33'58.43"N	80°18'12.93"E	3770	1.00	3770.00
	B	25°33'58.99"N	80°18'11.57"E			
	C	25°33'55.89"N	80°18'10.53"E			
	D	25°33'55.65"N	80°18'11.85"E			
04	A	25°33'56.83"N	80°18'7.68"E	5731	1.50	8596.50
	B	25°34'0.16"N	80°18'8.39"E			
	C	25°33'59.69"N	80°18'10.29"E			
	D	25°33'56.32"N	80°18'9.54"E			
05	A	25°34'0.04"N	80°18'7.54"E	4601	1.25	5751.25
	B	25°33'57.56"N	80°18'7.06"E			
	C	25°33'58.00"N	80°18'4.79"E			
	D	25°34'0.35"N	80°18'5.61"E			
06	A	25°34'2.30"N	80°18'4.32"E	4314	1.00	4314.00
	B	25°34'1.65"N	80°18'8.10"E			
	C	25°34'0.41"N	80°18'7.54"E			
	D	25°34'1.00"N	80°18'3.92"E			
कुल योग :-						25608.75

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार मानसून सत्र के पश्चात दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 14.11.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 20,914 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई०एम०एम०-11 जनित किया गया है

(2)

तथा पूर्व में जांच दिनांक 16.10.2024 को 1703 घनमीटर का अतिरिक्त खनन का अर्धदण्ड आरोपित किया गया था। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से { 25608.75 - (20914 + 1703) } = 2991.75 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।”

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा धिलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 2991.75 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू० 4,48,762.50/- य खनिज मूल्य के रूप में रू० 22,43,812.50/- कुल रू० 26,92,575/- (रूपये छब्बीस लाख बानवे हजार पांच सौ पचहत्तर मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


चिन्माधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

क्रमांक 11171 / खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक : 01-1-25

डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि०
निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता
पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी-128/189, को० ब्लाक, किदवई नगर,
जिला कानपुर नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-गरीलीखादर के गाटा रा०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-05) कुल रकबा 23.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/गोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, खान अधिकारी बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, उपजिलाधिकारी बाँदा, डिप्टी कलेक्टर बाँदा व अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) बाँदा द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 26.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमितताएँ पायी गयी :-

- जांच के समय यह पाया गया कि खनन क्षेत्र में उपखनिज बालू/गोरम का खनन कार्य करने से बने गड्ढे में पानी आ गया है। पानी आ जाने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उक्त स्थान पर बालू/गोरम का खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।
- पट्टाधारक डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 05 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त 05 पिट्ट का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'9.42"N	80°17'58.70"E	8710	1.00	8710.00
	B	25°34'7.76"N	80°17'58.30"E			
	C	25°34'7.57"N	80°18'4.35"E			
	D	25°34'5.91"N	80°18'3.95"E			
02	A	25°34'2.33"N	80°18'7.53"E	9550	1.00	9550.00
	B	25°34'3.78"N	80°18'8.76"E			
	C	25°34'0.54"N	80°18'14.29"E			
	D	25°33'59.37"N	80°18'12.98"E			
03	A	25°33'59.80"N	80°18'10.22"E	15083	1.00	15083.00
	B	25°33'56.59"N	80°18'7.85"E			
	C	25°33'54.45"N	80°18'11.81"E			
	D	25°33'58.10"N	80°18'13.93"E			
04	A	25°33'56.73"N	80°18'7.45"E	19111	0.45	8599.95
	B	25°33'58.67"N	80°18'2.51"E			
	C	25°34'2.42"N	80°18'5.02"E			
	D	25°34'0.17"N	80°18'9.63"E			
05	A	25°33'57.22"N	80°18'2.92"E	3816	5.00	19080.00
	B	25°33'58.75"N	80°17'57.72"E			
	C	25°33'58.31"N	80°17'57.05"E			
	D	25°33'56.38"N	80°18'2.25"E			
कुल योग :-						61022.95

(2)

उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार मानसून सत्र के पश्चात दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 26.12.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 51,957 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है तथा पूर्व में जांच दिनांक 16.10.2024 को 1703 घनमीटर व जांच दिनांक 14.11.2024 को 2991.75 घनमीटर कुल 4694.75 घनमीटर का अतिरिक्त खनन का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से $[61022.95 - (51957 + 4694.75)] = 4371.20$ घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।"

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में 4371.20 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 6,55,680/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 32,78,400/- कुल ₹0 39,34,080/- (रुपये उन्तालिस लाख चौतीस हजार अस्सी मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

जिलाधिकारी,
बाँदा।

25

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 4052 / खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक : फरवरी 7, 2025

डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि०
निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता
पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी-128/189, को० ब्लाक, किदवई नगर,
जिला कानपुर नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-05) कुल रकबा 23.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा व उपजिलाधिकारी बाँदा द्वारा दिनांक 11.02.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 11.02.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियाकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 01 पिट्स का निर्माण कर अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। उक्त पिट्स का जियाकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	विन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'5.01"N	80°17'57.17"E	575	02	1150
	B	25°34'6.15"N	80°17'57.43"E			
	C	25°34'6.65"N	80°17'58.05"E			
	D	25°34'5.09"N	80°17'57.69"E			
कुल योग :-						1150

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1150 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1150 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू० 1,72,500/- व खनिज मूल्य के रूप में रू० 8,62,500/- कुल रू० 10,35,000/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nishu
12/02/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा।
9/2

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 183 / खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक : अप्रैल 08, 2025

डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि०
निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता
पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी-128/189, के० ब्लाक, किदवई नगर,
जिला कानपुर नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा रां०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-05) कुल रकबा 23.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा, खान अधिकारी बाँदा, व उपजिलाधिकारी बाँदा द्वारा दिनांक 03.04.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या संख्या-126/खनिज-30, बाँदा दिनांक 04.04.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है एवं दोनो पिट्ट को पट्टाधारक द्वारा वेस्ट पदार्थ/ओवरवर्डन (बालू/मोरम छानने के उपरान्त बचा पदार्थ) से पाटा/भरा जा रहा था, उक्त पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'5.11"N	80°17'57.67"E	6435	1.50	9652.50
	B	25°34'5.45"N	80°17'55.94"E			
	C	25°34'9.63"N	80°17'56.99"E			
	D	25°34'9.36"N	80°17'58.64"E			
02	A	25°34'3.55"N	80°17'57.32"E	8315	1.75	14551.25
	B	25°34'3.85"N	80°17'55.11"E			
	C	25°33'59.73"N	80°17'54.36"E			
	D	25°33'58.74"N	80°17'56.24"E			
कुल योग :-						24203.75

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 24203.75 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 24203.75 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू० 36,30,562.50 व खनिज मूल्य के रूप में रू० 1,81,52,812.50 कुल रू० 2,17,83,375.00 राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nallu
08/04/25
जिलाधिकारी,
बाँदा।
P/C

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 1588 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : 02 जून 2025

नोटिस

डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि०
निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता
पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी-128/189, के० ब्लाक, किदवई नगर,
जिला कानपुर नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं०-333/7 का भाग (खण्ड सं०-05) कुल रकबा 23.00 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या संख्या-1554/खनिज-30, बाँदा दिनांक 30.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक डेस्कॉन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 3 से 4 मी० ओवरबडन (मिट्टी/वेस्ट पदार्थ) को हटाते हुये 01 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	बालू/मोरम की औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°34'4.28"N	80°17'55.08"E	1,031	7.00	7,217.00
	B	25°34'3.04"N	80°17'54.79"E			
	C	25°34'3.38"N	80°17'53.49"E			
	D	25°34'4.23"N	80°17'54.24"E			
कुल योग :-						7,217.00

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 7,217.00 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है तथा निर्धारित गहराई 03 मी० से अधिक खनन करने व अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72, 60(2) तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 7217 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 10,82,550/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 54,12,750/- कुल ₹० 64,95,300/- तथा निर्धारित गहराई 03 मी० से अधिक खनन करने व अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर नियमावली-2021 के नियम-60(2) के अनुसार शास्त्र की धनराशि ₹० 50,000/- कुल धनराशि (64,95,300 + 50,000) ₹० 65,45,300/- (₹० पैसठ लाख पैतालिस हजार तीन सौ मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nulke
02/06/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

212

पत्रांक 3430 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : अक्टूबर / 9, 2024

नोटिस

मयूर बॉक्सार्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी
पता-6 पलोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5,
साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल)
हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड,
कदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर
निवासी-वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,
आपोजिट साउथ परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0-03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 18.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

3. पट्टाधारक मयूर बॉक्सार्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, निदेशक श्री रवीश गम्बर के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 03 पिट्टे का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त तीनों पिट्टे का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टे की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टे का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°37'40.84"N	80°16'58.30"E	709	1.75	1240.75
	B	25°37'41.01"N	80°16'58.87"E			
	C	25°37'41.38"N	80°16'59.09"E			
	D	25°37'42.03"N	80°16'58.99"E			
	E	25°37'41.78"N	80°16'58.37"E			
	F	25°37'41.37"N	80°16'57.99"E			
02	A	25°37'39.52"N	80°16'58.34"E	445	1.50	667.5
	B	25°37'39.87"N	80°16'58.62"E			
	C	25°37'40.31"N	80°16'58.49"E			
	D	25°37'40.36"N	80°16'57.93"E			
	E	25°37'39.97"N	80°16'57.80"E			
	F	25°37'39.58"N	80°16'57.92"E			
03	A	25°37'39.04"N	80°17'0.23"E	1383	3.00	4149
	B	25°37'38.33"N	80°17'0.46"E			
	C	25°37'38.26"N	80°17'1.05"E			
	D	25°37'38.40"N	80°17'1.72"E			
	E	25°37'39.22"N	80°17'1.75"E			
	F	25°37'39.62"N	80°17'1.36"E			
	G	25°37'39.66"N	80°17'0.94"E			
कुल योग :-						6057.25

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन पट्टा प्रारम्भ से दिनांक 18.10.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 2685 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से (6058 - 2685) = 3373 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है।

(2)

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 3373 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जो राजस्व की दृष्टि वसूली योग्य है।"

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ०प्र० खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 3373 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 5,05,950/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 25,29,750/- कुल ₹० 30,35,700/- (रुपये तीस लाख पैतीस हजार सात सौ मात्र) राजस्व की दृष्टि परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्वन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्वन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


जिलाधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

क्रमांक : 3985 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 26, 2024

नोटिस

भयूर बॉक्ससाईट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी
पता-6 पलोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5,
साहू लोके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल)
हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड,
कुदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर
निवासी-वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो गॉल,
आपोजिट साउथ परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0-03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप क्षेत्रीय लेखपाल पथरी, खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 23.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

3. पट्टाधारक भयूर बॉक्ससाईट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, निदेशक श्री रवीश गम्बर के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 04 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त तीनों पिट्ट का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	विन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°37'43.72"N	80°17'2.46"E	685	1.50	1027.50
	B	25°37'42.85"N	80°17'2.59"E			
	C	25°37'42.21"N	80°17'3.40"E			
	D	25°37'42.97"N	80°17'3.57"E			
02	A	25°37'39.94"N	80°17'0.05"E	2350	1.00	2350.00
	B	25°37'41.28"N	80°17'2.20"E			
	C	25°37'42.30"N	80°17'1.61"E			
	D	25°37'41.03"N	80°16'59.73"E			
03	A	25°37'39.17"N	80°17'0.09"E	8184	2.25	18414.00
	B	25°37'38.11"N	80°16'59.77"E			
	C	25°37'37.07"N	80°17'0.45"E			
	D	25°37'36.94"N	80°17'1.50"E			
	E	25°37'38.68"N	80°17'4.04"E			
	F	25°37'40.73"N	80°17'3.09"E			
04	A	25°37'40.12"N	80°16'57.99"E	2716	1.50	4074.00
	B	25°37'39.07"N	80°16'56.78"E			
	C	25°37'40.59"N	80°16'55.85"E			
	D	25°37'41.76"N	80°16'58.00"E			
कुल योग :-						25865.50

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन पट्टा प्रारम्भ से दिनांक 23.11.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 20,326 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है तथा पूर्व में जांच दिनांक 18.10.2024 को 3373 घनमीटर का अतिरिक्त खनन का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से $[25865.50 - (20326 + 3373)] = 2166.50$ घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।"

(2)

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 2166.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू0 3,24,975/- व खनिज मूल्य के रूप में रू0 16,24,875/- कुल रू0 19,49,850/- (रूपये उन्नीस लाख उन्चास हजार आठ सौ पचास मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


निधिलाधिकारी,
बाँदा।
१८

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 4755 / खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक : फरवरी 07, 2025

मयूर बॉक्सार्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी
पता-6 फ्लोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5,
साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल)
हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड,
कुदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर
निवासी-वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,
आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0-03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा, खान अधिकारी बाँदा व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक-05.02.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या पत्र सं0-4728/खनिज-30, बाँदा दिनांक 05.02.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमितताएँ पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक मयूर बॉक्सार्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, निदेशक श्री रवीश गम्बर के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी. जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 03 पिट्स का निर्माण कर अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। उक्त पिट्स का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°37'38.07"N	80°17'5.11"E	1575	1.75	2756.25
	B	25°37'39.09"N	80°17'6.54"E			
	C	25°37'40.68"N	80°17'6.22"E			
	D	25°37'40.38"N	80°17'5.45"E			
	E	25°37'39.37"N	80°17'6.10"E			
	F	25°37'38.69"N	80°17'4.72"E			
02	A	25°37'43.11"N	80°17'6.06"E	1393	1.00	1393.00
	B	25°37'43.55"N	80°17'6.09"E			
	C	25°37'43.68"N	80°17'5.68"E			
	D	25°37'42.90"N	80°17'3.87"E			
	E	25°37'42.14"N	80°17'4.35"E			
03	A	25°37'49.50"N	80°17'9.98"E	3607	0.75	2705.25
	B	25°37'49.08"N	80°17'10.11"E			
	C	25°37'44.01"N	80°17'3.04"E			
	D	25°37'44.49"N	80°17'2.76"E			
कुल योग :-						6854.50

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 6854.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है। जांच में यह भी पाया गया कि 02 पिलर मौके पर नहीं थे, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 04.02.2025 को 05 वाहन उक्त खनन पट्टा क्षेत्र के रास्ते पर बिना कोई वैध परिवहन प्रपत्र के उपखनिजों का परिवहन किया जा रहा

(02)

था, जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	वाहन संख्या	मात्रा (घन मी० में)	उपखनिज का नाम	पायी गयी कमियां
1.	UP41AT-5507	25	बालू/मोरम	बिना वैध परिवहन प्रपत्र
2.	UP35T-4716	18	बालू/मोरम	बिना वैध परिवहन प्रपत्र
3.	UP78DT-7608	25	बालू/मोरम	बिना वैध परिवहन प्रपत्र
4.	UP41AT-4872	25	बालू/मोरम	बिना वैध परिवहन प्रपत्र
5.	UP41AT-5840	14	बालू/मोरम	बिना वैध परिवहन प्रपत्र

उपरोक्त वाहनों को जिलाधिकारी महोदय के अग्रिम आदेशों तक थाना कोतवाली देहात की अभिरक्षा में दिया गया, उक्त कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(6) का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 6854.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू० 10,28,175/- व खनिज मूल्य के रूप में रू० 51,40,875/- कुल रू० 61,69,050/- तथा उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(6) का उल्लंघन करते हुये खनन पट्टा क्षेत्र के रास्ते पर दिनांक 04.02.2025 को बिना कोई वैध परिवहन प्रपत्र के उपखनिज का परिवहन कर रहे 05 वाहनों के सम्बन्ध में रू० 25,000/- प्रति वाहन के अनुसार कुल रू० 1,25,000/- तथा जांच के समय खनन क्षेत्र में पिलर मौके पर ना पाये जाने के सम्बन्ध में उक्त नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में उपरोक्त नियमावली के नियम-60(3) के अर्न्तगत जांच के दिनांक 05.02.2025 से प्रतिदिन रू० 25,000/- की दर से शास्ति शुल्क देय परिलक्षित है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रोतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nubha
06/02/2025
जिलाधिकारी,
बोदा।
9/2

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 5202/खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक : मार्च 18, 2025

मयूर बॉक्सआईट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी
पता-6 फ्लोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5,
साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल)
हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड,
कुदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर
निवासी-वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,
आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0-03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार बाँदा, खान अधिकारी बाँदा व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक-10.03.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या पत्र सं0-5090/खनिज-30, बाँदा दिनांक 10.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक मयूर बॉक्सआईट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, निदेशक श्री रवीश गम्बर के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 01 पिट्स का निर्माण कर अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। उक्त पिट्स का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	विन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°37'52.48"N	80°17'16.10"E	40,617	1.00	40,617.00
	B	25°37'49.80"N	80°17'17.02"E			
	C	25°37'46.53"N	80°17'10.08"E			
	D	25°37'42.17"N	80°17'4.26"E			
	E	25°37'44.87"N	80°17'2.45"E			
	F	25°37'49.22"N	80°17'8.48"E			
कुल योग :-						40,617.00

उक्त अवैध खनन की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जांच आख्या दिनांक 05.02.2025, जिसमें 6854 घन मी0 का अवैध खनन पाया गया था, उक्त अवैध खनन जिसमें पिट संख्या-02 में 1393 घन मी0 तथा पिट संख्या-03 में 2705.25 घन मी0 कुल 4098.25 घन मी0 अवैध खनन पाया गया था। वर्तमान में उक्त दोनो पिट को मिलाकर (पिट सं0-02 व 03) कुल 40,617 घन मी0 मोरम का अवैध खनन किया गया है। अतः दिनांक 05.02.2025 में पाये गये अवैध खनन को वर्तमान में किये गये अवैध खनन को घटाने पर (40617 - 4098.25) 36518.75 घन मी0 अवशेष बचता है।

अतः वर्तमान समय में 01 मी0 गहराई में 36518.75 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन किया गया है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है। जांच के समय मौके पर कोई भी पिलर नहीं पाये गये, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन है।"

(2)

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 36518.75 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 54,77,812.50 व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 2,73,89,062.50 कुल ₹0 3,28,66,875/- तथा जांच के समय खनन क्षेत्र में पिलर मौके पर ना पाये जाने के सम्बन्ध में उक्त नियामावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में उपरोक्त नियामावली के नियम-60(3) के अर्न्तगत जांच के दिनांक 10.03.2025 से प्रतिदिन ₹0 25,000/- की दर से शास्ति शुल्क देय परिलक्षित है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nulke
18/03/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा।
JES

5202

REG32328419IN INR:8285332329419
R. FROM COUNTER BAUDA RMS (21000)
Counter No:2,19/03/2025,14:30
To:MANR BOXITE ,BILASPUR
PIN:495001, Bilaspur BilaspurCH HD
From:JILAGHAWATI,MANIJ BAUDA
Wt:30gms,RS=17.0
Amt:31.85,Tax:4.86,Amt.Paid:32.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
Dial 18002666868-Clear mask -Stay safe

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 667 / खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक : मई 06, 2025

मयूर बॉक्ससॉर्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी
पता-6 फ्लोर, डी0एन0-24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर-5,
साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल).
हेड ऑफिस पता-कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड,
कुदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर
निवासी-वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,
आपोजिट साउंड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0-03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप क्षेत्रीय लेखपाल पथरी, राजस्व निरीक्षक बाँदा, खान निरीक्षक बाँदा, तहसीलदार बाँदा, खान अधिकारी बाँदा व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा द्वारा दिनांक 03.05.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या पत्र सं0-619/खनिज-30, बाँदा दिनांक 05.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक मयूर बॉक्ससॉर्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, निदेशक श्री रवीश गम्बर के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जिंयाकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 01 पिट्स का निर्माण कर अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। उक्त पिट्स का जिंयाकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	विन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°37'52.02"N	80°17'30.91"E	84313	1.00	84313.00
	B	25°37'49.28"N	80°17'19.61"E			
	C	25°37'48.57"N	80°17'16.72"E			
	D	25°37'47.72"N	80°17'12.63"E			
	E	25°37'45.11"N	80°17'7.40"E			
	F	25°37'44.13"N	80°17'5.97"E			
	G	25°37'43.28"N	80°17'6.78"E			
	H	25°37'42.69"N	80°17'6.52"E			
	I	25°37'42.98"N	80°17'5.60"E			
	J	25°37'42.17"N	80°17'4.26"E			
	K	25°37'44.87"N	80°17'2.45"E			
	L	25°37'49.22"N	80°17'8.48"E			
	M	25°37'53.01"N	80°17'16.24"E			
	N	25°37'54.14"N	80°17'30.17"E			
कुल योग :-						84313.00

उक्त अवैध खनन में यह भी पाया गया कि जांच आख्या दिनांक 05.02.2025, जिसमें 6854 घन मी0 का अवैध खनन पाया गया था, उक्त अवैध खनन जिसमें पिट्ट संख्या-02 में 1393 घन मी0 तथा पिट्ट संख्या-03 में 2705.25 घन मी0 कुल 4098.25 घन मी0 अवैध खनन पाया गया था तथा जांच आख्या दिनांक

(2)

10.03.2025 द्वारा कुल 36518.75 घन मी० अवैध खनन पाया गया था। वर्तमान में पूर्व के अवैध खनन के पुराने पिट (जांच आख्या दिनांक 05.02.2025 के पिट सं०-02 व 03 एवं जांच आख्या दिनांक 10.03.2025 के पिट) एवं नये अवैध खनन के पिट को मिलाकर कुल 84313.00 घन मी० मोरम का अवैध खनन किया गया है। अतः पूर्व में दिनांक 05.02.2025 व 10.03.2025 को पाये गये अवैध खनन को वर्तमान में किये गये नये अवैध खनन से घटाने पर [84313 - (4098.25 + 36518.75)] 43696.00 घन मी० अवशेष बचता है।

अतः वर्तमान समय में 1.00 मी० गहराई में 43696 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।”

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 43696 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू० 65,54,400/- व खनिज मूल्य के रूप में रू० 3,27,72,000/- कुल रू० 3,93,26,400/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्वन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्वन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nudhe
06/05/2025
जिलाधिकारी,
बॉदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 3948/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 23, 2024

नोटिस

मे0 प्रजाविजन विजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा0लि0
निवासी-94 एल्डिको ग्रीन, गोगती नगर, लखनऊ
निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह
पुत्र श्री यदुवंशी अशोक कुमार सिंह
निवासी म0नं0-72 साई नगर फेस-2 सिंहपुर,
थाना सारनाथ, तहसील सदर, जिला धाराणरी।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-मडौलीखुर्द खादर के गाटा सं0-58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप नायब तहसीलदार पैलानी, खान निरीक्षक बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 22.11.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 22.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

- पट्टाधारक मे0 प्रजाविजन विजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा0लि0 निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 03 पिट तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 पिट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिटों का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-
- स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोआर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	विन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°44'16.76"N	80°23'11.28"E	2810	2.00	5620
	B	25°44'15.31"N	80°23'11.23"E			
	C	25°44'14.94"N	80°23'13.37"E			
	D	25°44'16.48"N	80°23'13.49"E			
02	A	25°44'16.38"N	80°23'13.91"E	3521	1.50	5281.50
	B	25°44'14.95"N	80°23'13.79"E			
	C	25°44'14.59"N	80°23'16.34"E			
	D	25°44'16.27"N	80°23'16.52"E			
03	A	25°44'16.35"N	80°23'17.37"E	5329	1.00	5329
	B	25°44'16.37"N	80°23'20.59"E			
	C	25°44'15.67"N	80°23'20.57"E			
	D	25°44'15.84"N	80°23'22.34"E			
	E	25°44'14.82"N	80°23'21.15"E			
	F	25°44'14.65"N	80°23'17.59"E			
कुल योग :-						16230.50

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार पट्टा प्रारम्भ से दिनांक 22.11.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 14,579 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से (16230.50 - 14579) = 1651.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है।

(2)

5. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोऑर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	और गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°44'16.69"N	80°23'20.62"E	909	1.50	1363.50
	B	25°44'16.68"N	80°23'21.68"E			
	C	25°44'15.82"N	80°23'21.79"E			
	D	25°44'15.67"N	80°23'20.57"E			
कुल योग :-						1363.50

पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1363.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है।

6. इस प्रकार उपरोक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 1651.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1363.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है। "

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में कुल 1651.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 2,47,725/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 12,38,625/- कुल ₹० 14,86,350/- तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर कुल 1363.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 2,04,525/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 10,22,625/- कुल ₹० 12,27,150/- राजस्व की क्षति हुई है।

इस प्रकार आप द्वारा 1651.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन से ₹० 14,86,350/- तथा 1363.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन से ₹० 12,27,150/- कुल घनराशि (14,86,350+ 12,27,150) ₹० 27,13,500/- (₹० सत्ताईस लाख तेरह हजार पांच सौ मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


जिलाधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 4569 /खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक : जनवरी 16, 2025

मे0 प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा0लि0
निवासी-94 एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ
निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह
पुत्र श्री यदुवंशी अशोक कुमार सिंह
निवासी म0नं0-72 साई नगर फेस-2 सिंहपुर,
थाना सारनाथ, तहसील सदर, जिला वाराणसी।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-गडौलीखुर्द खादर के गाटा सं0-58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे0 भूक्षेत्र में बालू/गोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर, तहसीलदार पैलानी व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 08.01.2025 को की गयी।


प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 08.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक मे0 प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा0लि0 निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियाकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	विन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°44'15.04"N	80°23'27.00"E	2891	1.25	3613.75
	B	25°44'14.88"N	80°23'25.38"E			
	C	25°44'15.46"N	80°23'25.28"E			
	D	25°44'15.28"N	80°23'23.97"E			
	E	25°44'16.03"N	80°23'24.00"E			
	F	25°44'16.50"N	80°23'26.93"E			
02	A	25°44'18.04"N	80°23'28.93"E	1149	1.75	2010.75
	B	25°44'16.29"N	80°23'28.88"E			
	C	25°44'16.24"N	80°23'28.38"E			
	D	25°44'17.28"N	80°23'28.36"E			
	E	25°44'17.17"N	80°23'27.73"E			
	F	25°44'17.85"N	80°23'27.78"E			
कुल योग :-						5624.50

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 5624.50 घन मी0 बालू/गोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।

4. जांच के समय यह पाया गया कि खनन क्षेत्र में उपखनिज बालू/गोरम का खनन कार्य करने से बने गड्डे में पानी आ गया है, जिसके क्रम में मौके पर उपस्थित पट्टाधारक के प्रतिनिधि को सख्त निर्देश दिये गये कि खनन संक्रियायें के कारण जिन गड्डे में पानी आ गया है, उन गड्डे से जब तक पानी उतर न जाये तब-तक उन गड्डे में खनन संक्रियायें न की जाय।"



(2)

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 5624.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू0 8,43,675/- व खनिज मूल्य के रूप में रू0 42,18,375/- कुल रू0 50,62,050/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


जिलाधिकारी,
बैदा।
95

RUG32616640IN IVR:8285332616640
RL NPCM COUNTER BANDA EMS <210001> Inward Post
Counter No:2,20/01/2025,19:01
To:PRAGYAVIJAN BUSINESS,WARRASI
PIN:221001, Varanasi HD
From:OFFICE OF IM ,BANDA
Wt:30gms,REG=17.0
Amt:31.86,Tax:4.86,Amt.Paid:32.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Inal 18002666866> Wear Masks, Stay Safe

RU
Co
—
Am
.R
—
Fr
Fr
Tc
De

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 5238/खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक : मार्च 21, 2025

मे0 प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा0लि0
निवासी-94 एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ
निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह
पुत्र श्री यदुवंशी अशोक कुमार सिंह
निवासी म0नं0-72 साई नगर फेस-2 सिंहपुर,
थाना सारनाथ, तहसील सदर, जिला वाराणसी।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-मडौलीखुर्द खादर के गाटा सं0-58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, तहसीलदार पैलानी व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 19.03.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 20.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक मे0 प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा0लि0 निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°44'16.12"N	80°23'36.34"E	16842	0.75	12631.50
	B	25°44'17.95"N	80°23'37.01"E			
	C	25°44'18.20"N	80°23'28.42"E			
	D	25°44'18.12"N	80°23'27.61"E			
	E	25°44'17.15"N	80°23'27.63"E			
	F	25°44'17.28"N	80°23'28.33"E			
	G	25°44'15.49"N	80°23'28.44"E			
02	A	25°44'16.99"N	80°23'26.99"E	9324	1.25	11655.00
	B	25°44'15.01"N	80°23'27.03"E			
	C	25°44'14.83"N	80°23'25.34"E			
	D	25°44'15.42"N	80°23'25.23"E			
	E	25°44'15.22"N	80°23'23.87"E			
	F	25°44'16.00"N	80°23'23.88"E			
	G	25°44'15.57"N	80°23'20.58"E			
	H	25°44'16.77"N	80°23'20.61"E			
	I	25°44'16.98"N	80°23'23.94"E			
	J	25°44'17.86"N	80°23'24.41"E			
K	25°44'18.04"N	80°23'24.93"E				
L	25°44'17.23"N	80°23'25.43"E				
कुल योग :-						24286.50

उक्त अवैध खनन की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जांच आख्या दिनांक 22.11.2024, जिसमें 1363.50 घन मी0 का अवैध खनन तथा जांच आख्या दिनांक 08.01.2025, जिसमें 5624.50 घन मी0 अवैध खनन कुल 6988 घन मी0 अवैध खनन पाया गया था। वर्तमान में उक्त दोनों अवैध खनन पिट्ट को मिलाकर कुल 24286.50 घन मी0 मोरम का अवैध खनन किया गया है। अतः दिनांक 22.11.2024 व 08.01.2025 में पाये गये अवैध खनन को वर्तमान में किये गये अवैध खनन को घटाने पर (24286.50 - 6988) 17298.50 घन मी0 अवशेष बचता है।

(2)

अतः वर्तमान समय में 17298.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है। जांच के समय मौके पर कोई भी पिलर नहीं पाये गये, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन है।”

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 17298.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 25,94,775/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 1,29,73,875/- कुल ₹0 1,55,68,650/- तथा जांच के समय खनन क्षेत्र में पिलर मौके पर ना पाये जाने के सम्बन्ध में उक्त नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में उपरोक्त नियमावली के नियम-60(3) के अर्न्तगत जांच के दिनांक 19.03.2025 से प्रतिदिन ₹0 25,000/- की दर से शास्ति शुल्क देय परिलक्षित है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Rulhe
21/03/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा। o/c
Garam

5238

RJ032670552IN IWR:6285332670552
SL MACH COUNTER BANDH SMS (210001)
Counter No:2,21/03/2025,16:18
To:FRAGYA BUSINESS FVT,SINGHPUR
PIN:221001, Varanasi PD
From:JILAMHINARI,BAWALI BANDA
Wt:30gms,FE0=17.0
Amt:31.86,Tax:4.86,Amt.Paid:32.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
(Dial 18002666969)-Clear nask -Stay safe)

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 3946/खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक : नवम्बर 23, 2024

मे0 ओम ट्रेडर्स
प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद
पुत्र श्री रामआसरे तिवारी
निवासी ग्राम-मेथीटिकुर, तहसील सफीपुर,
जिला उन्नाव।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम-गंछा के गाटा सं0-1971/1 रकबा 24.71 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 28.10.2024 से 27.04.2025 तक स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान अधिकारी बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, अति0 उपजिलाधिकारी बाँदा व अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बाँदा द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी। प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 23.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. अनुज्ञाधारक मे0 ओम ट्रेडर्स प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियाकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 05 पिट्टे का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पांचों पिट्टे का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टे की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टे का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°25'18.59"N	80°17'34.67"E	2140	2.80	5992.00
	B	25°25'17.81"N	80°17'35.48"E			
	C	25°25'19.82"N	80°17'35.79"E			
	D	25°25'19.99"N	80°17'37.35"E			
02	A	25°25'17.71"N	80°17'31.80"E	512	2.30	1177.60
	B	25°25'18.19"N	80°17'31.18"E			
	C	25°25'17.72"N	80°17'30.65"E			
	D	25°25'17.13"N	80°17'31.02"E			
03	A	25°25'13.50"N	80°17'27.78"E	3546	1.30	4609.80
	B	25°25'11.80"N	80°17'27.32"E			
	C	25°25'10.76"N	80°17'29.28"E			
	D	25°25'12.33"N	80°17'30.04"E			
04	A	25°25'9.88"N	80°17'28.74"E	5191	1.00	5191.00
	B	25°25'10.53"N	80°17'27.11"E			
	C	25°25'9.94"N	80°17'26.37"E			
	D	25°25'7.19"N	80°17'25.67"E			
	E	25°25'7.36"N	80°17'27.27"E			
05	A	25°25'6.87"N	80°17'26.56"E	2061	0.80	1648.80
	B	25°25'6.30"N	80°17'24.98"E			
	C	25°25'5.19"N	80°17'24.53"E			
	D	25°25'4.83"N	80°17'24.88"E			
	E	25°25'5.57"N	80°17'26.41"E			
कुल योग :-						18619.20

अनुज्ञाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन अनुज्ञा-पत्र प्रारम्भ से दिनांक 23.11.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 15116 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से (18619 - 15116) = 3503 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जो राजस्व की क्षति वसूली योग्य है। "

(2)

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन अनुज्ञा-पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा-पत्र क्षेत्र में कुल 3503 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू0 5,25,450/- व खनिज मूल्य के रूप में रू0 26,27,250/- कुल रू0 31,52,700/- (रूपये इकत्तीस लाख बावन हजार सात सौ मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।


जिलाधिकारी,
बाँदा।
9/

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 3947/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 23, 2024

नोटिस

Suddhatam Enterprises

प्रो० श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा,
गौतमबुद्ध नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-खपटिहाकलां के गाटा सं०-62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप नायब तहसीलदार पैलानी, खान निरीक्षक बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 21.11.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 21.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

3. अनुज्ञाधारक Suddhatam Enterprises प्रो० श्री मनोज कुमार मिश्रा के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से अनुज्ञाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र क्षेत्र के अन्तर्गत 02 पिट्टे का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त दोनो पिट्टे का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टे की संख्या	विन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टे का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°40'51.61"N	80°20'54.44"E	1105	1.50	1657.50
	B	25°40'51.66"N	80°20'55.73"E			
	C	25°40'52.75"N	80°20'54.96"E			
	D	25°40'52.52"N	80°20'53.89"E			
02	A	25°40'56.63"N	80°21'2.33"E	728	2.00	1456.00
	B	25°40'57.17"N	80°21'2.24"E			
	C	25°40'57.63"N	80°21'2.94"E			
	D	25°40'56.29"N	80°21'3.42"E			
कुल योग :-						3113.50

पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन अनुज्ञा-पत्र प्रारम्भ से दिनांक 21.11.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 2012 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई०एम०एम०-11 जनित किया गया है। इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से $(3113.50 - 2012) = 1101.50$ घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जो राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन अनुज्ञा-पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा-पत्र क्षेत्र में कुल 1101.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 1,65,225/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 8,26,125/- कुल ₹० 9,91,350/- (रुपये नौ लाख इक्यानवे लाख तीन सौ पचास मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

जिलाधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 4382/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : दिसम्बर 30, 2024

नोटिस

Suddhatam Enterprises

प्रो० श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा

निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा,

गौतमबुद्ध नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-खपटिहाकलां के गाटा सं०-62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, खान अधिकारी बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर, डिप्टी कलेक्टर बाँदा व अपर जिलाधिकारी न्यायिक बाँदा द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 26.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

- संयुक्त जांच टीम द्वारा जब स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में पहुंचने के क्रम में, यह देखा गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में पहुंच हेतु एक नया पहुंच मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जो पहले बने पहुंच मार्ग की दूसरी तरफ है। नया पहुंच मार्ग बालू/मोरम के ऊपर से बनायी जा रही है, जिसमें लगभग 200 मी० पहुंच मार्ग बालू/मोरम में बनी हुयी पायी गयी। उक्त के अतिरिक्त यह अवगत कराना है कि नया पहुंच मार्ग से 01 पिट में बालू/मोरम का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है। मौके पर उपस्थित अनुज्ञाधारक के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पहुंच मार्ग किसी भी प्रकार से बालू/मोरम से होते हुये न जाय एवं उक्त बालू/मोरम में बने 200 मी० को पुराई करा दी जाय।
- संयुक्त जांच टीम द्वारा खनन अनुज्ञा क्षेत्र की जांच के क्रम में यह देखा गया कि अनुज्ञाधारक के स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र के बीच से नदी की जलधारा प्रवाहित हो रही है, जिसके क्रम में खनन अनुज्ञा क्षेत्र के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिये अनुज्ञाधारक द्वारा नदी के तल में बोल्टर डालकर एक रास्ते का निर्माण किया जाना पाया गया, जिससे नदी की जलधारा अस्थायी रूप से बाधित हुई है। जिसको दृष्टिगत रखते हुये उक्त बने रास्ते को जे०सी०वी०/पोकलैण्ड मशीन के माध्यम से कटवां/तुड़वा दिया गया है।
- जांच के समय यह पाया गया कि खनन क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन कार्य करने से बने गड्ढे में पानी आ गया है। पानी आ जाने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उक्त स्थान पर बालू/मोरम का खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।
- अनुज्ञाधारक Suddhatam Enterprises प्रो० श्री मनोज कुमार मिश्रा के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से अनुज्ञाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत 02 पिट तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 पिट (नया पहुंच मार्ग के समीप) का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिटों का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-
- स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोऑर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°40'55.88"N	80°21'1.76"E	4678	2.00	9356.00
	B	25°40'58.57"N	80°21'1.14"E			
	C	25°40'59.07"N	80°21'2.42"E			
	D	25°40'55.42"N	80°21'3.88"E			
02	A	25°40'51.44"N	80°20'54.30"E	4895	1.20	5874.00
	B	25°40'51.18"N	80°20'55.90"E			
	C	25°40'53.78"N	80°20'55.65"E			
	D	25°40'54.31"N	80°20'53.78"E			
	E	25°40'53.47"N	80°20'53.18"E			
कुल योग :-						15,230

(2)

अनुज्ञाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन अनुज्ञा प्रारम्भ से दिनांक 26.12.2024 तक (जांच के समय तक) कुल 10,509 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है तथा पूर्व में जांच दिनांक 21.11.2024 को 1101.50 घनमीटर का अतिरिक्त खनन का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था। इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से $[15,230 - (10,509 + 1101.50)] = 3619.50$ घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।

8. स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र के बाहर खनन कार्य से निर्माण पिट के जियोकोऑर्डिनेट्स निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°40'38.06"N	80°20'56.14"E	731	01	731
	B	25°40'39.04"N	80°20'55.64"E			
	C	25°40'38.87"N	80°20'54.83"E			
	D	25°40'38.00"N	80°20'55.29"E			
कुल योग :-						731

अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 731 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है।

9. इस प्रकार उपरोक्तानुसार अनुज्ञाधारक द्वारा खनन अनुज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत 3,619.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 731 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।"

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन अनुज्ञा-पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

आप द्वारा स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में कुल 3619.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 5,42,925/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 27,14,625/- कुल ₹0 32,57,550/- तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर कुल 731 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 1,09,650/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 5,48,250/- कुल ₹0 6,57,900/- एवं अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र एवं खनन पट्टा की शर्तों का उल्लंघन करने पर नियमावली-2021 के नियम-60(2) के अनुसार शास्ति की धनराशि ₹0 50,000/- राजस्व की क्षति हुई है।

इस प्रकार आप द्वारा 3619.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन से ₹0 32,57,550/- तथा 731 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन से ₹0 6,57,900/- एवं अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र एवं खनन पट्टा की शर्तों का उल्लंघन की शास्ति की धनराशि ₹0 50,000/- कुल धनराशि (32,57,550 + 6,57,900 + 50,000) ₹0 39,65,450/- (₹0 उन्तालिस लाख पैसठ हजार चार सौ पचास मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है। उक्त के अतिरिक्त आप द्वारा नदी की जलधारा को अस्थाई रूप से अवरुद्ध किया जाना गम्भीर अनियमितता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त खनन अनुज्ञा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य को अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित किया जाता है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

जिलाधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 5246 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : मार्च 21, 2025

नोटिस

Suddhatam Enterprises

प्रो० श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा,
गौतमबुद्ध नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-खपटिहाकलां के गाटा सं०-62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, तहसीलदार पैलानी व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 18.03.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 20.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. अनुज्ञाधारक Suddhatam Enterprises प्रो० श्री मनोज कुमार मिश्रा के पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से अनुज्ञाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°40'39.94"N	80°21'0.07"E	4156	0.50	2078.00
	B	25°40'40.99"N	80°21'1.38"E			
	C	25°40'42.00"N	80°21'2.46"E			
	D	25°40'43.21"N	80°21'1.03"E			
	E	25°40'42.06"N	80°21'0.20"E			
	F	25°40'41.21"N	80°20'59.19"E			
कुल योग :-						2078.00

इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 2078.00 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 2078 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 3,11,700/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 15,58,500/- कुल ₹० 18,70,200/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Rulhe
21/03/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा। o/c
Kaman

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 28 / खनिज-30, बाँदा

नोटिस

दिनांक :- मार्च 02, 2025

Suddhatam Enterprises

प्र० श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा,
गौतमबुद्ध नगर।

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-खपटिहाकलां के गाटा सं०-62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, नायब तहसीलदार जसपुरा व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 29.03.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या संख्या-5377/खनिज-30, बाँदा दिनांक 29.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. अनुज्ञाधारक Suddhatam Enterprises प्र० श्री मनोज कुमार मिश्रा के पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से अनुज्ञाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	विन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°40'41.94"N	80°21'5.08"E	3834	0.75	2875.50
	B	25°40'40.86"N	80°21'3.44"E			
	C	25°40'39.90"N	80°21'6.04"E			
	D	25°40'38.71"N	80°21'4.45"E			
कुल योग :-						2875.50

इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 2875.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 2875.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू० 4,31,325/- व खनिज मूल्य के रूप में रू० 21,56,625/- कुल रू० 25,87,950/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. Nulha
01/04/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा।
etc

कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

प्रेषक,

अनिल कुमार-III,

प्रमुख सचिव,

उ० प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ: दिनांक ²⁹ 28/11/2023

विषय:- अवैध खनन एवं परिवहन रोकने हेतु कार्यबल का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या-616/86-2018-371/2005, दिनांक 20.03.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश में अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय जनपद स्तरीय कार्यबल (Task force) का गठन किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उक्त जनपद स्तरीय कार्यबल (Task force) में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त (DCP), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रभारी खनन, सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) तथा जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खनन निरीक्षक को भी सम्मिलित करते हुये प्रश्नगत कार्यबल की संरचना निम्नवत् निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस कमिश्नर द्वारा नामित पुलिस उपायुक्त (DCP)	सदस्य
3.	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/ प्रभारी खनन	सदस्य
4.	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
5.	उपजिलाधिकारी	सदस्य

6. पुलिस क्षेत्राधिकारी/ सहायक पुलिस आयुक्त (ACP)	सदस्य
7. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
8. जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी /खान अधिकारी /खनन निरीक्षक (खान अधिकारी नियुक्त न होने की दशा में)	सदस्य/ सचिव

3. साथ ही मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अब उपरोक्तानुसार गठित 08 सदस्यीय कार्यबल द्वारा प्रदेश में अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु प्रत्येक माह 02 औचक निरीक्षण के साथ-साथ नियमित रूप से प्रवर्तन कार्य किया जाय। कार्यबल द्वारा प्रत्येक सप्ताह अवैध खनन/परिवहन की सघन चेकिंग की जाय तथा उक्त सूचना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०, लखनऊ को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नियमित रूप से ई-मेल cmo.lko62@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाए।

जनपद स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में आपके द्वारा स्वयं प्रवर्तन कार्यों की प्रभावी समीक्षा तथा प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यों में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों व कार्य से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमों के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Digitally Signed by अनिल
(अमित कुमार-111)
Date: 28-11-2023 18:21:29
R:\प्रमुख\सचिव\pd

संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश को इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया जनपदों से कार्यबल द्वारा प्रेषित मासिक रिपोर्ट को संकलित कर उसके आधार पर एक समेकित रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रतिमाह शासन को उपलब्ध करायी जाय।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

I/435766/2023

6. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खनन निरीक्षक,उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश)
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विजय कुमार
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
 ★★ ★

GOVERNMENT OF
 UTTAR PRADESH

वैध तिथि
 VALID UPTO AUG 2040



नाम
 Name: माला श्रीवास्तव
 MALA SRIVASTAVA

पद
 Designation: सचिव
 SECRETARY

संवर्ग
 Cadre: आई. ए. एस.
 I.A.S.

ID NO: AUG 40/300291

मुख्य-स्वागत अधिकारी

*for submission
 before NAT*

*13/8/25
 माला स्व
 ति 2/25
 2/25 के अंतर्गत*

निवास : DIRECTORATE OF URBAN LOCAL BODIES, SECTOR-7
 GOMTI NAGAR VISTAR P.I.N.-226025

आपात दरमाफ : 0522-2238308 (कंप्यूटर रूप); PH:- :9557639552

Blood Group :

1. यह परिचय पत्र अहस्तान्तरणीय है। प्रवेश करते समय सुरक्षाकर्मियों द्वारा मांग किया जा सकता है।

2. परिचय पत्र खो जाने, चोरी होने या नुकसान की स्थिति में मुख्य-स्वागत अधिकारी को तत्काल इसकी सूचना देनी चाहिए।

3. सेवा निवृत्त अथवा पदत्याग या अन्य अवधि सम्पन्न होने पर इसे मुख्य-स्वागत अधिकारी प्रवेश पत्र कार्यालय को वापस करना अनिवार्य है।

4. आपात स्थिति में उपरोक्त दरमाफ संख्या पर संचित किया जाना चाहिए।